ISSN : 2249-5118

नव्या

शोध पत्रिका

अंक : चौदह दिसम्बर, 2016

सम्पादक :

डॉ0 मुक्तिनाथ झा

नव्या सलाहकार मण्डल

प्रो. ए.एल. श्रीवास्तव (अध्यक्ष)

प्रो. धर्मशीला प्रसाद (पटना)
प्रो. रीता रे (उड़ीसा)
प्रो. के.पी. सिंह (जोधपुर)
प्रो. नन्दलाल
प्रो. आनन्द कुमार
प्रो. ए.आर.एन. श्रीवास्तव (इलाहाबाद)
प्रो. विनोद श्रीवास्तव (गोरखपुर)
प्रो. महेश विक्रम सिंह
प्रो. श्रद्धानन्द
प्रो. जयकान्त तिवारी (बी.एच.यू.)
प्रो. सुरेश प्रसाद (बोध गया)
प्रो. ए.के. श्रीवास्तव (लखनऊ)
प्रो. प्रमोद कुमार सिन्हा (भागलपुर)
प्रो. विमला शुक्ल (पटना)
प्रो. रवि प्रकाश पाण्डेय
प्रो. बी.बी. मलिक (लखनऊ)
डॉ. अनिल कुमार सिंह (गाजीपुर)
श्री अनुराग चौबे

प्रबन्ध सम्पादक

डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव

उप-सम्पादक

डॉ. अरविन्द कुमार सिंह
श्री सुधीर कुमार

इस पत्रिका के सभी पद अवैतनिक तथा अस्थायी हैं
पत्रिका का स्वामित्व प्रबन्ध सम्पादक के नाम है

प्रकाशक

नोट- पत्रिका में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

vuØef.kdk

1.	GANDHIAN APPROACH TOWARDS GENDER EQUALITY	Dr. Sanjay	1-7
2.	VOCATIONAL AND PROFESSIONAL EDUCATION IN ANCIENT INDIA : A HISTORICAL ASPECTS	Dr. Prashant Singh	8-14
3.	DEMOCRACY AND DEVELOPMENT IN INDIA	Dr. Jay Prakash Yadav	15-20
4.	पुराणों में ''पुरूषार्थ''	डॉ० रामाश्रय सिंह	21-25
5.	मुसहर जातियों की समस्यायें एवं उनके समाधान हेतु सुझाव	डॉ. हरिशंकर राम	26-31
6.	स्वच्छ भारत अभियान–एक कदम स्वच्छता की ओर	नागेश कुमार चौबे	32-37
7.	शिक्षा विकास एवं छीजन (ड्राप आउट)	सोनी कुमारी	38-40
8.	प्राचीन भारत में प्रचलित चरण तथा शाखा	डॉ0 तेज भान मिश्र	41-46
9.	भारत में शैक्षणिक आन्दोलन	डॉ0 आरती श्रीवास्तव	47-51
10.	साइबर अपराध : सम्प्रत्ययात्मक विश्लेषण	डॉ0 बाल विद्या प्रकाश	52-56
11.	मऊ जनपद में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव	अरविन्द कुमार यादव	57-64
12.	सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का परिवार एवं समाज में समायोजन का एक तुलनात्मक अध्ययन	नीतू	65-73

13.	संकेतार्थ विज्ञान : स्वरूप और सन्दर्भ	डॉ. पवन कुमार सिंह	74-81
14.	पर्यावरण जनजागरूकता सम्बन्धी मुद्दे एवं मीडिया	रजनीश उपाध्याय	82-89
15.	कृषि में महिलाओं का योगदान	डॉ. रमेश कुमार कुशवाहा	90-96
16.	विदेशनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की प्रमुखता : भारतीय विदेशनीति के सन्दर्भ में	अमिताभ पाठक	97-105
17.	जन सम्प्रेषण और स्वास्थ्य चेतना	श्रीमती सुप्रिया उपाध्याय	106-114
18.	हरिशंकर परसाई की व्यंग्य–चेतना	डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा कु. दिव्यलता शर्मा	115-119
19.	आर्य भाषाओं से हिन्दी भाषा में शब्दों का ग्रहण	डॉ. आलोक कुमार सिंह	120-125
20.	किशोरावस्था में मादक पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन	डॉ. आभा सिंह	126-134
21.	कामकाजी महिलाओं के बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में अध्ययन करना	प्रियंका राय	135-141
22.	स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों में दहेज के प्रति मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. अरुण कुमार सिंह	142-152
23.	राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान पूर्वांचल में राजनीतिक चेतना का प्रसार	प्रदीप कुमार यादव	153-157

●

GANDHIAN APPROACH TOWARDS GENDER EQUALITY

Dr. Sanjay*

Gandhiji analysed the Hindu religious traditions and customs and be diagnosed the root cause of women's degeneration, according toe him "Hindu culture has erred on the side of excessive subordination of the wife to the husband, and has insisted on the complete merging of the wife in the husband. This has resalted in the husband's sometimes usurping and exercising authority that reduces him to the level of the broute." he has pointed out gross violation of the dignity og the women veiled under custom and tradition. Custom has widely justified mailing the women subordinate to man is wrong sense. Gandhiji Says," By sheer force of various customs even the most ignorant and worthless men have been enjoying a superioetly over women."

As a result of age - long process women has been degenerated to her present position. Gandhiji says," But somehow or other man has dominated women from ages past, and as women has developed on infirmly complex she had believed in the truth of man's interested teaching that she is inferior to him." Again, "man has learnt to be his tool and in the end found it easy and pleasurable to be such, because when one drags another in his fall, the descent is easy."

Gandhiji, no doubt, blames the religious and cultural customs and the man for the present condition of women best primarily be lays the responsibility on the women themselves . It is because she has connected to be called the worker sex, she has Comidered herself unable is stand on her own without man's protection; she has tacitly acknowledge that she is inferior is man intellectually; she has been flattered by man's tributes to women's physical beauty and powers of attraction; she decorates herself to please the man and has thereby lowered her own status and standard. Thus she has willingly subscribed to

* Professor, Department of Social Work, M.G. Kashi Vidyapith, Varanasi.

her own subordination, injustice and exploitation. she world have given a lead in the society if she had not succumbed to the enjoyments and attraction of her physical decorations.

Gender Equality According to Gandhiji:

Gandhiji recognizes the equal rights of woman with man irrespective of any disability associated with her Gandhiji say's " Women is the companion of man gifted with equal mental capacities. she has the rights to participate in the mistiest detail of the activities of man and she has the some right of freedom and liberty as he. she is entitled to supreme place in her own sphere of activity as man is in his. this ought is be the natural Conditions of things and not a result of leaving is read and write."

Though Gandhiji is un compromising in upholding the equality of sexes and their respective rights, he is equally clear that equality does not mean either uniformity or mere mechanical similarity. equality for him means equal opportunity to play one's role in life. He holds that man and woman are a peerless pair being complimentary is each other; each helps the other, so that without the one the existence of the other Cannot be conceived. He recognizes the biological difference which nature has made and the consequent difference in the spheres and functions of the two sexes. The duty of motherhood, which the vast majority of women will always undertake, requires qualities which man need not passes. she is passive, she is active, she is essentially the mistress of the house. He is the bread. She is the caretaker in every sense of the term. The act of bringing up the infants of the race is her special and social prerogative without her care the human race must become extinct.

Gandhiji is against modern trend of woman competing with man in every sphere forsaking her special calling of nursing the race and administering the home. He says," In my opinion its is degrading both for man and woman that women should be called upon or induced to forsake the hearth. It is revision to barbarity and the beginning of the and. In trying to ride the horse that man rides, she brings herself and him down. the sin will be on man's head fro tempting her companion to desert her special calling. there is as much bravery in keeping one's home in good order

and condition as thaere is in defending it, against attack from without," But this does not mean that Gandhiji wants the women to remain confined within the four walls of the house and that she should not play her part in the broader affairs of he society. He himself called upon the women to participate in the straggle for the independence of the country. He only means that while playing their wider roles in society, women should not ignore and for sake their homes.

Women are not Weaker:

Gandhiji does not consider woman inferior to man in any way rather, he thinks that it is an injustice is call woman a weaker sex. He says," To call Women the weaker sex is a libel; in this man's injustices to women. if strength is meant the brute strength, then indeed, is woman less broute than man. if by strength is meant moral strength, then woman is immeasurably man's superior. Has she cot greater power of endurance, has she not greater courage? If Now-violence is the law of our being, the future is with woman." Thus Gandhiji considered that woman is the personification of strength, endurance and self-sacrifice but she does not realize what tremendous strength she possesses. If she realises this, she can show the world the infinite strength that is latent in her.

Gandhiji, thus insisted on a fundamental respect for the personality and equality of status for women with man. He denied the concept according to which her self-fulfillment is Expected to subordinate itself to man's . He was also against naking a demand upon the woman for the observance of utmost morality irrespective of what man does in his turn, as a result of which, at its extreme, woman has been reduced to become primarily a creative for pleasure of man, on object for his last. All his topically known societies home tended to perfect their monies on he basis of this view. He realized that it was not merely a problem for India, it was a world problem. But the practice of ill-treatment of women in India came in far real sheathing remarks from him, "We know by painful experience of what is daily happening gin India, that there are husbands enough who regard their wives as their properly like their cattle of household furniture, and there-

fore think they home the right to beat them as they world their cattle."

Gandhiji asserts that wife could not be subordinate to her husband in anyway. she is not slave of the husband but his comrade, otherwise Know as his better-half, his colleagues and friend. she is a is share with him of equal rights and of equal duties. Their obligations towards each other and towards the would must therefore, be the same and reciprocal.

Relationship Between Spouse:

Gandhiji Considers that the relationship between wife and husband is a sacred band guided by a law of discipline which is expected to be observed by both. If one breaks the law, it cannot be binding on the other. A wife is not bound to be on accomplice in her husband's crime, when she holds anything to be wrong, she has the right and must dare to do the right. The peace of the household is the most desirable thing, But it cannot be and end in itself married life is intended to promote mutual good But when one partner breaks the law of disciplines, the rightsaccrues to the other of breaking the bond of marriage. It precludes divorce. According to Candhiji in divorce separation should be moral and not physical. it should be to serve the and of correcting the other and thus promote the welfare of the society by freeing him or her from the evil path.

Gandhiji's approach to women's welfare is basically directed towards the removal of blemishes with which they suffer as he realizes that all other problems are linked with it, this is his integrated approach to the problems of women's Welfare. But it does not mean that he is less advocate of economic and political rights of women. He says, "But I am uncompromising in the matter of women's rights (is properly). In my opinion should labor under so legal disability not and sums on a footing of perfect equality" Gandhian emphasis on economic and political rights of women is less because he realizes that when once the women realizes their capacities and strengths latent in them, all other problems will easily be solved as they will be able is resent the glaring inequalities is which they are subjected. But is remove legal inequalities is an attempt to attack the problem at its root, In order

is bring about justice and equality to the women Gandhiji fixes the respectability man and woman in the matter.

Men's responsibilities:

Gandhiji rebukes man for their diseniminatory produces against women. He holds man to be responsible for lower statics of woman. He considers that of all the eves for which man has made himself responsible, none is so degrading, so shocking or so brutal as his souse of the female sex, the better half of the humanity. He therefore, says "All of as men must sang our heads in shame, so long as there is a single woman when are dedicate to our last. I will far rather see the race of man extinct than that we should become less than breasts by making the noblest of God's creation the object of our last." "Prostitution, forced marriage, kidnapping, child marriage, eve-teasing, exploitation, harassment for dowry wife battering are the instances of sins and injustice committed and supported by men aged a not womankind. Men are undauntedly to become for this mal treatment with women and he asks them to do adequate penance otherwise they will hans to pay penalty in heavy terms. He says, "Man, the law giver, will home is pay a dreadful penalty for the degradation he has inposed upon the so-called weaker sex. When women freed from man's names, rises to the full height and rebels against man's legislation and institutions designed by him, her rebellion, no doubt non-violent will be none the less effective." Gandhiji thus pleaded with men is treat women folk with courtesy and respect, if they wanted social progress. To him social welfare work on behalf of women was part and parcel of the remaking of Indian society.

Women's Responsibilities:

Similarly, Gandhiji lashes out at the women and reminds them as to what they should do for their regeneration. He well realized that it could not be done without the women themselves working for this. They should be pune, firm and self-controlled. He says, "women must cease to comider herself the object of man's. she must refuse to adorn herself for men including her husband, if she will be and equal partner with men." Gandhiji thus wants the women to realized their own strength. They should

not be dependent on men and look to them for their protection. The also deplorable condition on men as this tendency betrays their moral weakness.

Gandhiji was a harsh critic of women's decorating herself with ornaments. To him it was a sign of slavery, without the removal of which she could not rise to her heights. Sometimes, women say that they were ornaments to decorate themselves to please their men and not for themselves. But such a statement is self-descriptive as the women in general have succumbed to the temptation of ornaments. Gandhiji, therefore, calls upon the women, "Refuse to be the slaves of your own whims and fancies, and the slaves of men. Refuse to decorate your selves; do not go in for scents and lavender waters. If you want to give out the proper scent, it must come out of your heart, and then you will captivate not man but humanity. It is your birth right….. come to your own and deliver your message again."

Gandhiji was satisfied with the advance of a few city-lured ladies or sophisticated and educated women. In fact, he deplored certain aspects of their so-called advance. He says, of the so-called moderns girls, "I have a fear that the modern girl loves to be Juliet to half a dozen Romeos. She loves adventure the modern girl dresses not is protect herself from wind, rain and sun bust to attract attention to improves upon native by painting herself and looking extra-ordinary."

He showed to the women that it was their duty to guard the character of their husbands as they do of their wives and resist whatever evil in them may be. He says, "women do not know what influence for good they can exert on their husbands. They must have that consciousness and that consciousness will give them the strength, and show them the way to deal with their partners. The pity of it is that most wives do not take interest in their husbands doings. They think they have no right ot do so. It never occurs to them that it to their duty to become guardians of their husbands character. And yet, what can be plainer than that husband and wife are equal shares of each other's virtues and vices."

Thus Gandhiji attached the problem of social injustice to women froms both the sides-from the side of men who do injus-

tice and from the side of women who bear that injustice. He atteampetd is show to men to free themselves from their. Sins of injustice to women and at the same time he emphasized the women's freeing themselves from the slavery of customs, whims and fancies of their own and realize their own capacity and strength. He pointed out ot them both that their progress and the progress of the country is dependent on the removal of the injustice to women.

References :

1. Dayal P. 1986, Gandhiyan Approach to Social Work, Gujrat Vidyapith, Ahmedabad, Gujrat.

●

VOCATIONAL AND PROFESSIONAL EDUCATION IN ANCIENT INDIA : A HISTORICAL ASPECTS

(Vedic Age to Rajpoot Age 1200 A.D.)

Dr. Prashant Singh*

"Hindu thinker did not concur with Milton in thinking that an ideal system of education ought to quality a youth to perform skillfully, justly and magnanimously all the offices both private and public, of peace and war." Hindu thinkers disapprove the idea that the value of liberal education should be judged by its pecuniary productivity, though it is upon the basis of the educational system, ancient India wa able to build up her own economic life and prosperity, education in an ancient India produced a galaxy of thinkers, who made important contribution in advancement of knowledge in the sphere of philosophy, logic, mathematics, astronomy, medicine and enabled India to achieve high material prosperity by giving education and training to young men in commerce, industry and fine and useful arts, which is going to prove in following writing.

The present work makes a brief survey of vocational and professional education is ancient Indi.This is very long period, so I would like to focus on only those subjects which were useful for livelihood.

We have meageer evidence to trace the history of ancient Indian Industrial and vocational education but without economic prosperity, country do not stand through the ages. Because of the religious character of the Ancient Indian literature, we do not get direct evidence of industrial and technical education of ancient India. But we have important evidence found in different places in literature and epigraphs to make the history of ancient Indian Industrial and vocational education.

We have seen that where were several evidences of arts and crafts in the Vedic period, but we have little knowledge about the system of this type of sudy. Specialized studies had started

---

* Assistant Professor, Dr. V.S.P.S. Mahavidyalaya Kanpur

in ‘Home’ only, where the father was the guru. This was the system of hereditary transmission of skills in art and crafts. We have many evidences to prove, that father was the first and natural guru. Examples of Svetaketu and Father Aruni and Varuna and his son Bhrighu were the earliest examples of succession of education. The succession would be religious, literary or higher courses of study or the education related to skill, art and profession.

Caste system would suggest that the student who used to get industrial or vocational. Knowledge should belong to non-Brahmana classes. But in the Vedic age, caste system was not rigid and we find an example of a poet whose father was a doctor and his maternal grand father was stone cutter. But in course of time, it had been changed, and brhamana community had abstained from other useful professions than religion and cultural education. But we have examples of Bramanas who took interest in useful and vocational arts. Manu lays down that Brhamanas who were traders, physician navigators, trainers of animals should not be invited for a shradh. Therefore as we saw, that large majority of studens who took up useful arts were naturally non-Brahmanas (Kshatriya and Vaisya). But in the Vedic period, we had little information about the useful industrial education. Ribhus, the mythological figure raised to divinity as a reward for their artistic skill. Aryan Society was following the various useful professions. Archery, horsemanship, charioting, smithy, carpentry, medicine and mining were the useful arts of age.

Study of Medical Science or Ayurved required the separate Upanayana ceremony, according to Dhanurveda Samhita different Upanayana ceremony had to be performed by a military student. We do not have authentic evidence to (Drove the education of smithy and carpentry in Vedic times but story of Prince Sudas with huge storage of bows, arrow head, chariots, saddles would be conjecture of organized industrial training.

In the Mauryan period, the Arthasastra,Greek writers and Pali literature give mor information. The Arthasastra of Kautilya gives information about the nature of the ores of gold, silver, copper and some other metals and of the procedure by which

they were to be purified. The Arthasastra also refers to the arrangements made by the state for purchasing the yarn spun by widows and other destitute women. Arthasastra gives an account of the work of the heads (Adhyakshas) of various departments of industry, craft and trade and kalis, which supports the usual method of training and educating in industrial arts in this period Pali Buddhist texts also mention eighteen sippas or arts, like commerce, argiculture, accountancy, cattle trading etc. Greek writer, for example Strabo and Nearchus found the Indians good in medicine. Garuda vidya and Sarpa vidya were also mentioned in Gopatha Brahmana and Chhandogya Upanishad and Takshasila was the educational centre famous for the study of serpent charming. The Samihita is based, belongs to this times-Mahavagga gives the account of the medical education of Takshashila, with special reference of surgical knowledge. Nearchus also gives the account of Panjab ship builders. These branches of industrial profession, would not be possible without propr training and education.

In the post Mauryan Age, we have the information of more specialized branches of industrial and technical education. Susruta and Charaka were the pioneer among the medical education. They had imparted the knowledge of Ayurveda on Scientific lines and verbal knowledge and practical training of medicine, pharmacy and surgery were the important features of training Bauddha scripture also give an interesting account of the training of doctor.

Takshila and Nalanda were public institutions, other than individual teachers, had also medical courses. India continued to be famous for its medical skill down to the 8th century A.D. In the latter half of 8th century, Khalita Harun of Baghdad sent some scholar to India to study Hindu medicine and pharmacology and induced about twenty Indian doctors, to come to Baghdad to become chief medical officers.

In the field of veterinary sciences, we know the tradition of knowledge in Mauryan times. Asvavaidyaka of Jayadatta ana Asvachikits of Nakula are other words dealt with veterinary sciences. Some times we get information about the grants made

in favour of doctors. Girnar Rock inscription of Rudradaman (150 A.D.) records about Saka king Rudradaman, who had attained the knowledge of remembering and practice of grammer, music, logic and other great sciences and the managements of horses, elephants and cha riots etc. The golden age of Gupta was famous for its technical advancement.

Important pieces of architecture, sculpture, painting, coining of the age of 300 A.D. to 800 A.D. were the solid evidence to prove the good educational training of the artisans. Shilp or shilpsthan vidya is also mentioned by Yuan-Chwang and I-tsing both. Narada smriti has given the full account of the apprenticeship method of the sculptor, the weaver, the carpenter, the miner and the gold smith. It has also given the detailed system of education of these professions. Basically these professions were usually hereditary in ancient times, but due to circumstances of the family if boy wanted to learn a profession other than his hereditary one, then he was sent to an artisan teacher or institutions. We also have evidence of established commercial education from the earlier times of Manu and Kautilya. Most of the trades and industries of ancient India were organized into guilds (Sreni), which were often more permanent institutions than empires. Some times, they used to run educational institutions and performed public welfare.

In the field of military education, Dhanurveda Samhita (Dhanurveda = military science) gives an account of Upanayana Ceremony of military student. Virmitrodaya of Narada also has mentioned the educational ceremonies related to military education. In Milinda-Panha we have records of clever training of soldiers are archers and thereafter presenting them to the king to receive rewards. Harsh Charita give an account of Harsha, proficient in use of different weapons of war. In Uttarramcharita, Bhavabhuti's account of Kshatriya brahmachari makes it evident that the prince was taught warfare along with other sciences during the period of their stay with teacher.

In later period (pre medieval), no specific change has been seen in educational institutios, but more references of the study of Indian Art and Craft has been found in literature.Sixty four numbers of art and craft has been mentioned in many ancient

literature, like Ramayana, Bhagavata Purana, Vatsyayana's Kamasutra, Lalita-vistara, Kalpasutra, Sukranitisara and many others. Jain literature Samaraichchakaha of Haribhadrasuri, has given the list of 89 Kalas, which prince has learnt by their respective teachers. They are all related to ocupational training. Prithvi Raj Raso of Chandabardai records an account of the subjects of study of the Rajput prince Prithvi Raj Chauhan in detail with special reference of art and sciences (kali Bahuttari... Chatura Siti Vigyan) some times, these type of subjects were being taught to females of royal families. In the Sultanata Period science, medicine, agriculture were also the subjects of higher education. Prasad Mandan, Vastu Mandan, Roopa Mandan, Rajballabhamandan, Devata Murti Prakarana, Roopavatar, Vastusar and Vatesastea of Sutradhara Mandana were the important contribution in the field of study of architecture. Some time even writer of the inscription was also competent in the agricultural sciences. It is amazing to learn from the Chief Kalyan Mandir Prasasti of Vikrama Samvat 1674, that main aim of the education is to earn occupation. Dhanurveda of Bhatta Amar (1673 A.D.) and Vidyamahotsva of Nayan Sukha (1664 A.D.) were the very important literature of armoury and medicine.

Reference :

1. Altekar. (1934). Education in Ancient India, Banaras.
2. Max Muiler. (1988) The sacred Book of East, Kausitaki Upanishad. Vol. 1, Delhi.
3. Max Mauiler. (1988) Chhandogya Upanishad. The Sacred Book of East. The Upanishads. Vol. 1, Delhi.
4. Max Muiler. (1988). Satapatha Brahmana, The sacred Book of East, The Upanishads, Vol. 12, Part I, Delhi, 1.6.2.4
5. Rig-veda V. 1X112, 3.
6. Altekar. (1934) Rajanyavaishya Karmma Vidyahinah, Gautam Dharma Sutra 1,6, 16.
7. Manu Smriti, Hindi Pustak Agency, V.S. 1981, III, 152, 158.
8. Macdonel and Keith (1912). Vedic Index, London, See for Mining
9. Susruta-Samhita. (1960) Cited in Radhakumud Mookerjee, Ancient Indian Education, III ed. Delhi.

10. Ibid
11. Altekar, Op. cit., p. 170
12. R. Shamasastry. (1961). Arthasastra trans. Mysore, VII edition, 1961 Book II, Chapter 12, 13.
13. Ibid. Book II, Chapter 23.
14. P.K. Mukerji, Majjhima Nikaya (1, p. 85; iv, pp 281, 382), Jataka (vi, 427), R.K. Mookerji, op. cit. p. 363.
15. Strabo XV,_C. 706; Nearchus Frag, 15 cited in Altekar, op. cit. p. 171.
16. R.K. Mookerjee, Gopatha Bhahmana, 1,10, p. 108
17. R.K. Mookerjee, Chhandogya Upnishada, VIII, 1-2, p.108
18. Max Muller. (1988). Mahavagga, VIII. I, The Sacred Book of East, Vol. 17, Vinaya Test II, trans. Rhysdavids & Oldenberg, Delhi, 1990.
19. Nearchus, Fragment, 7, Cited by Altekar, op. cit.
20. Max Muller. (1988). Milinda Pa'nha II, The Sacred Book of East. Vol. 35, Part I, trans. Rhysdavids, Delhi, 1990, II.3, p. 81.
21. R.B. Pandey. (1962), Historical and Literacy Inscription, Benaras, 1962, 'Pasu-Chikichha', IInd rock edict of Ashoka; Mahabharata, viratpurva, 91 : and Arthsastra, Book II, Chap. 30, 32 also give this information.
22. Indian Antiquary, VIII, p. 277
23. R.B. Pandey, op. cit., p. 64
24. S.V. Venkatashwara (1928) Indian Culture through the Ages, Mysore Univ. Series, Vol. I, 1928, p. 234.
25. Manu-Smriti, op. cit IX, 328-334.
26. Arthshastra, op. cit. Book II, Chap. 15, 16
27. Example of virabalanju guild maintaining art college at Dambal i 12th cent. A.D., Indian Antiquary. Vol. VIII, p. 195.
28. Max Muller. (1988). Milinda Panha, The Sacred Book of East, Vol. 35, ed. by Max Muller, Part I, trans, by Rhysdavids, 2.1.14 p. 62.
29. Gurunath V. Bhattacharya, Harsh Charita Eng. Trans Cowel and Thomas. (1897) London 1897, Chap II, P. 76.
30. Gurunath V. Bhattacharya, Uttararamacharta, Calcutta, Act 5.5.2-3.

31. Jhinku Yadav. (1977) Samaraichchakaha eka Sanskritik adhyayan, Varanasi. p. 145.
32. Chanda Bardai Prithviraj Raso, Part-I, Udaipur, Rajathan Wishwa-Vidyapeetha, p. 28.
33. Jayasi's Padmavata, Jhansi, V.S. 2012, p. 161, Prthivi Raj Raso, Op. Cit, Part-III, p. 221.
34. G.H. Ojha, Dungarpur Rajya Ka Itihasa Ajmer, 1936, p. 70-71 Chitari Inscriptions 1479 A.D.
35. Rajasthan University, (2001). Poorvamadhyakalin and Madhyakaline Rajasthan Men Siksha Ka Swaroop, Radheshyam, Kholia, Unpublished Thesis, p. 223.

●

DEMOCRACY AND DEVELOPMENT IN INDIA

Dr. Jay Prakash Yadav*

*"**Government of the people for the people and by the people"*** **- Abraham Lincoln**

We all know that democracy is "Government of the people, for the people, by the people." Thus, citizens have great political importance in system of current government of course, this type of government is considered to be much more successful when it comes to power of people. India's one of the largest democratic countries in the world. Is it a success or a failure? Democracy is another word that is loosely used by many and is often equated with electoral politics. Though freedom and democracy are used interchangeably. They are not the same. A truly democratic society is one in which citizens are not just treated as 'vote banks' but as 'participants'. But is this happening in all democracies? Is supreme power really vested with the people? Has democracy reduced economic and social disparities? Where do the poor and vulnerable figure in the system of aspirational polities that prevails in many democracies? These are questions that assume critical significance in a sociological debate on democracy. Development and democracy are closely related concept. Meaningful development can take place only if a democratic system is 'accountable' and 'transparent'. But in a social system where access to political power is closely determined by the play of economic factors, can governance structures be truly democratic? Can a democracy transcend the barriers of religion, region, language, costo, gender, class and ethnic 'dentities' does freedom mean to lerance of criminalization of political machinery? How does democracy handle the nexus between bureaucracy and politics? These and many other questions assume importance when we are discussing democracy in a sociological context. Thus the people have a major stake in the functioning of the government. Which is a major reason for this system of

* Assistant Professor, Department of Sociology, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.(U.P.)

government thriving in the world. Such a form of government is bound to succeed, as it owes its strength to the poplar support of the people. India is in fact one of the largest democratic countries in countries the world, a fact in which we pride ourselves. Is our pride justified? For nearly fifty years, political scientists and foreign policy experts have been trying to fathom the inner workings of India with but limited success. India remains an enigma. Consider just these puzzles.

India is the largest democracy in the world which provides equal opportunities to all the citizens without discrimination. For the proper implementation of democracy and due to some essential requirements of India. Democracy also requires that social power be equal or balanced. Since we live in an unequal world power is not equally distributed. There is a close nexus between political, economic and social power. History abounds with examples of those who have the ability to influence political institutions to further their own interests. This is true from local self governance to national politics. Democracy is not just a from of government but a way of life. It is not about merely conferring voting rights to citizens. It is also not a concept that can be understood in alienation from the way other institutions in our society function. Besides critically reviewing the function of democratic system in a sociological framework it also becomes necessary to find the interlink between democracy and development by identifying those conditions of democracy that promote egalitarian development. A question that is being raised in many quarters is about the inevitability of democratic political structures for ushering development. Sociologists must undertake both macro and micro level studies to address this question.

Is democracy a kind of barrier to the path of development $ the china-model of development usually raises this question. In the third world category. Looking towards india is the right way to answer this question. India has adopted the system of democracy as the ligacy of british india. In the very beginningwe did not have actual experience of governing the state on the democratic line as the monarchy system had been prevalent before. India was

then like the amatueur kind of democracy. It was in its intital trial phase and having no experience of it india, since independence, for more then sixty-five year has witnessed the conduct of the centre and in the states, people exercising their right to vote. However, democracy dose not mean just a process of peaceful election, but it stands for fulfilling social and economic aspirations of the people. Democracy defines the pattern of lifestyle of an entire social system-a design of economic order, a form of government-in fact, a way of life and culture and that is why the question of development is always attached with democracy. Democracy may be a word familiar to must, but it is a concept still misunderstood and misused. Democracy is generally understood to mean a government by the people in whom the supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agents under a free electoral system. Freedom and democracy are often used. Interchangeably. But the two are not synonymous. Democracy is indeed a set of idias and principles about freedom. But it also consists of a set of practices and procedures that have been moulded through a long. Offen tortuous history. In short. Democracy. Is the institutionalization of freedom. For this reason. It is possible to identify the timetested fundamentale of constitutional govern ment. Human-rights. And equality before law that any society must process to be properly called democratic.

During the independence movment. The main concern of the leaders was the transfer of power from the governments, to the ordinary people in the congress sessions during 1910-1913, the calls were for increasing the power and resources of the local bodies. A powerful plea for panchayats came from. Dr. Annie besant when she said. Presiding over the 32nd session of the INC at Calcutta in 1917. Economic and morle deterioration can only be checked by the re-establishment of a healthy and interesting village life. And this depends upon the re-establishmend of the panchayat as the unit of government. In the same session, surendra nath banerji strongly attacked the government for emasculation the institution of local self government. Then under Gandhi ji's leadership, panchayat was

at the centre stage ideologically as well as the vision and mission of the congress party. despite gandhiji's unequilocal commitment to the ideal of "village republice".local self-government was included in the directive principles of state policy of the constitution which is not justicable. Rural decentralization through panchayati-raj system has provided a strong platform for political participation and mobilization and no doubt. This has aroused the political awareness of the people of all section including the marginalized and the socially excluded groups. This has also considerably contributed for strengthening their political organization and capacity for effective bargaining for better delivery of goods and service. It is assumed that in future, decentralization and, democratization would strengthen the capacity of every section of the society. Specially the weaker sections to make the political system at all levels accountable and responsive to the need of people and to respond better to their demand. This will in turn make the public services more efficient and democratic. In developing countries in particular. Decentralization has been a polliactive for a large number of governace problems. Rural decentralization is expected to achieve higher economic efficiency. Better accountability better resource mobilization. Lower cost of service provision and higher satisfaction of local preferences. For-reaching development in political process and decision-making. About one million women representative from village, block and district pancayats are now members of these institutions. Most of these women are young in the age group of 25-45 and about 80% of them do not have political background. This large number of rural women has been empowered with political power that they never expected and heard before. The ethos of democracy can find real nourishment. Only when power reaches the grass-root levels. For the ordinary citizen. It is local democracy which can have real meaning and significance. In a vast country where large massas are still unlettered, village panchayats and participactive democracy can do wonders. If the aim is to establish a democratic society. Where change is brought about by voluntary consent and willing cooperation and not by the force of arms, there may be no alternative to panchayat-raj institutions.

The term development is often used interchangeably with 'change' 'modernisation' and 'progress' however these are at best goals or chosen models of development and do not provide a holistic view of the processes, varieties and challenging inherent in efforts at development. Development simply can not be visualized as economic growth or accumulation of wealth. The discussion of development within the 'human development' paradigm which emerged strongly in the 1990s brought out the need to stress on peoples freedom. Capabilities and well being rather then on income based measurements. Thought we are talking terms of a 'global world' the gap between different group within countries is widening and the elite centric mode of economic development has pushed the vulnerable to the margins. Regional inequalities and rural-urban divide have intensified, with the state virtually handing over land and labor to large corporations. The consumer driven, market controlled economy has no doubt flooded our society with goods and services that have enhanced the quality of human lives, but 'who' and 'how' many have benefited from this model of development ? sociological debates must address this question and try to arrive at workable answers to the challenges and dilemmas that confront development theory and practice. Development of society is a broad based term which requires multi facedted approach. However , the basic building block for the development of the society remains the family. If the family is functioning properly it becomes a strong pillar of societal development. Family members expeet one another to be there in times of crisis and provide emotional support. In rural Indian society, the family structure itself has undergone change. This process can be seen in the in the way marriages are happening, the change in living habits etc. direct to home cable connections etc. had a greater impact and have resulted in great diversity in changing the societal order.

One solution to the current impasse is to allow 'development' to blossom in multiple ways. But, alternatively, one may also perceive that a synthesis or 'critical holism' of multiple perspectives is possible involving certain basic issues of development.

Hopefully, the discourses of development today are coming to some kind of converging point all over the world. and this convergence is around certain central dreams of humanity, happiness, freedom and participation. I aver that the quality of life is the first parameter of defining development. The second parameter is its relation with nature, that is the sustainability question. The third parameter is to consider people as a significant agency of development. all these parameters also create rooms for democratic social movements often at global scale to arouse social consciousness, mobilise opinion and organise opposition. the constitution of independent India reflects both the concern for democracy and it close linkage with development the preamble opens with a most eloquent appeal to the need for equality, liberty, fraternity, justice the dimensions of which are not just political but clearly spell out as social and economic.

References :

1. Yadav Jay Prakash (development, diversity and democracy) chapter in book 'Emerging challenges of inclusive India' edited by Dr. Amarnath paswan (2016),victorious publishers (India) Delhi-110092
2. 40th All India Sociological Conference, Souvenir (2014) edited by Prof. Ravi Prakash Pandey, Vijay Prakashan Mandir Varanasi.
3. Yojana, January 2015, special issue(Sanitation, Development and Social chang) Publication Division Soochana, Bhavan, C.G.O. Complex Lodhi Road New Delhi
4. Kurukshetra, October, 2010, (Panchayati Raj & Rural Development) Publication Division Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.
5. Paswan Amarnath "Emerging Challenges of Incluoive India" (edited, 2016). Victorious Publishers (India) Delhi-110092
6. Yojana, January 2012, special issue(Faster, Sustainable and More Inclusive Growth)
7. Kurukshetra, November, 2015, (Panchayati Raj : Empowering Democracy)
8. Kurukshetra, May, 2013, (Empowering Gram Sabha)

●

lkjk.kk e ^^i|:"kkFk^^

MkŒ jkekJ; flg*

पुरूषार्थ का तात्पर्य विवेकशील मनुष्य के जीवन में व्याप्त लक्ष्यों की पूर्ति है जिसमें मनुष्य के नैतिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के लक्ष्यों को सम्मिलित किया जाता हैं। पुरूषार्थ पुरूष तथा अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरूष का अर्थ विवेकशील प्राणी से हैं तथा अर्थ का निहितार्थ लक्ष्य हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवेकशील प्राणी का लक्ष्य पौरूष से है जिसमें कुछ करने की क्षमता हो।

प्राचीन भारतीय ऋषियों ने आश्रम–व्यवस्था में मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक अवस्थाओं पर गम्भीर चिन्तन किया था। मनुष्य अपने सम्पूर्ण जीवन में जब शरीर का रूप धारण करता हैं तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप में धरती पर अवतरित होता है। उसमें से कारण शरीर के माध्यम से पुरूषार्थ की प्राप्ति के लिए सतत् प्रयास रहता हैं। वे धर्म अर्थ, काम और मोक्ष है। पुरूषार्थ में अर्थ और काम भौतिक सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुख के प्रतिनिधि हैं। मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य हैं जिसकी प्राप्ति में शेष पुरूषार्थ सहायक हैं। मोक्ष की गम्यता सभी के लिए सम्भव नहीं हैं। अतः कालान्तर में भारतीय संस्कृति में त्रिवर्ग का जन्म हुआ धर्म, अर्थ, काम। हिन्दू शास्त्रविदों का मानना हैं कि तीनों पुरूषार्थों में कोई विरोध नहीं है तथा इनका पालन एक साथ सरलता पूर्वक किया जा सकता हैं, लेकिन पुराण–युग में मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य था जिसको प्राप्त करना प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य था। वर्णाश्रम के अन्तर्गत जीवन जीता हुआ मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में सदैव संलग्न रहता था। भागवत पुराण में अर्थ जीवन का साधन हैं साध्य नहीं अर्थ को साधन मानते हुए ही उसे भारतीय जीवन में चरम पुरूषार्थ में से एक माना गया। अन्ततः भारतीय परम्परा में अर्थ का उद्देश्य ही धर्म माना गया है।[1]

अर्थ संकुचित रूप में धन अथवा सम्पत्ति लगाया जाता है। किन्तु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से यह एक व्यापक शब्द था जिससे तात्पर्य असमस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐंश्वर्य, धन, शक्ति आदि प्राप्त करता है। इसकी परिधि में वार्ता तथा राजनीति को भी समाहित कर

---

* असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

लिया गया था। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वार्ता के क्षेत्र है। (कृषि पशुपात्य वाणिज्य च वार्ता) अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन है। प्राचीन शास्त्रों में अर्थ को महत्ता भी स्वीकार किया गया है।

महाभारत में ''परमधर्म कहा गया है। जिसके पास अर्थ नहीं हैं। वे मृतक तुल्य हैं जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते है।[2]

नीतिशास्त्र में वर्णित हैं कि जिसके पास धन हैं वहीं कुलीन हैं, पंडित हैं, वेदों का ज्ञाता हैं, गुणवान है, वक्ता है तथा दर्शनीय हैं। सभी गुण धन में ही होते हैं।[3] किन्तु अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए भी हिन्दू शास्त्रकारों ने उसे धर्म के अधीन बताया है तथा धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर बल दिया है। जो अर्थ की, धर्म की हानि करता हैं वह अमिष्ट नहीं है। मनुस्मृति में स्पष्टतः कहा गया हैं कि धर्म विरूद्ध अर्थ तथा काम का त्याग कर देना चाहिए। आपस्तम्ब ने भी कहा है। कि मनुष्य को धर्मानुकूल सभी सुखों का उपभोग करना चाहिए। इसप्रकार भारतीय जीवन–दर्शन में अर्थ वहीं तक अभीष्ट है जहाँ तक वह धर्मसंगत हो। उदाहरण के लिए दान धर्म का एक अंग हैं, किन्तु दान की भी एक सीमा है। उस दान की प्रंसशा नहीं की जा सकती है, जिससे वृत्ति में अवरोध हो क्योंकि लोक में दान, यज्ञ एवं कर्म वृत्ति की सहायता से ही किये जा सकते हैं।[4]

भारतीय परम्परा के अनुसार अर्थ के प्रति अनाशक्ति की भावना विहित है। हमारे लिए न्यूनतम आसम्ति की वस्तु है एवं एक न्यूनतम चाहत की प्रवृत्ति है।

महाभारत के अनुसार काम, मन तथा हदय का वह सुख है जो इन्द्रियों के विषय से संयुक्त होनें पर निःसृत होता है। यह संसार की प्रथम प्रमुख प्रवृत्ति हैं। इसी के वशीभूत होकर ही मनुष्य सत्तानोंत्पत्ति करता है। हिन्दू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया तथा यह प्रतिपादित किया कि धर्मसंगत काम का आचरण ही व्यक्ति एवं समाज की उन्नति कर सकता है। इसके विपरित होने पर वह मनुष्य के अद्योपतन का मार्ग प्रशस्त करता हैं। काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरूद्ध हो जाता है। काम की तृप्ति होने पर क्रोध तथा क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती हैं। मोह से स्मृतिभ्रम से बुद्धिनाश तथा बुद्धिनाश से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता हैं।[5] इसी कारण कृष्ण अपने को सभी प्राणियों से धर्म युक्त बताते है।

मत्स्य पुराण में कहा गया हैं कि – धर्म रहित काम और अर्थ बन्ध्या पुत्र के समान है (धर्म ही नस्य कामर्थी बन्ध्यासतु समौधुवम्) महाभारत की मान्यता

हैं कि जो व्यक्ति धर्मविहीन काम का अनुसरण करता हैं वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है तथा कठिनाईयों में शत्रु द्वारा हँसी का पात्र बनाया जाता है।[6]

इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दू शास्त्रकारों ने धर्म से विहित काम का आचरण किये जाने पर बता दिया है। व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से तीन एषनायें होती हैं वित्तेषणा, पुत्रौषणा, लोकेषकण। जीवन के उपादानों को प्राप्त करने की ऐषणा ही वित्तैषण हैं। निसर्ग से प्राप्त लैगिंग सन्तोष एवं सन्तान प्राप्त करने की ऐषणा ही पुत्रैषणा है। इसी में काम भावना की संतुष्टि के साथ–साथ सन्तान की कामना भी थी। संसार में मान सम्मान की कामना ही लोकेषणा है। त्रिवर्ग का सम्बन्ध मनुष्य की इन्हीं तीन मूलभूत एषणाओं से है। मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न तो अवश्य करेगा, किन्तु उसकी इच्छा पूर्ति के प्रयत्न सामाजिक हितों में विघ्न न डाल सके इसलिए इस त्रिवर्ग का विधान है।

धर्म यद्यपि उपयुक्त एषणाओं को प्राप्ति का साधन नहीं हैं। धर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है। किन्तु धर्म मनुष्य की एषणाओं को पूर्ण करने के प्रयत्नों को नियमित करता हैं। अतः धर्म का त्रिवर्ग पर सीधा नियन्त्रण है। त्रिवर्ग मनुष्य के व्यक्तिगत सुख का ही साधन नहीं हैं। प्रत्युत समाज का भी श्रेय करने वाला हैं। इसलिए भागवत पुराण में यह कहा गया हैं कि मनुष्य के विहित त्रिवर्ग स्वजनों के लिए सुखकारी होना चाहिए। जिनसे उनको सुख मिले एवं अपने को ही सुख मिले वह त्रिवर्ग हितकारी नहीं।[7]

आत्मा की सांसारिक आवागमन से मुक्ति। इसें पुरूषार्थ में अन्तिम और जीवन का भी अन्तिम तथा सर्वोच्य लक्ष्य माना गया है। इसकी प्राप्ति बिना पूर्व रूपेण सात्विक वृत्तियों के अपनाए तथा मौलिक एवं अध्यात्मिक समुन्नति से सम्भव नहीं है। यद्यपि व्यक्ति का अन्तिम लक्ष्य इन तीनों एषणाओं को त्याग देना हैं किन्तु जब तक इनका त्याग नहीं होता तब तक इनकी प्राप्ति सामाजिक मयार्दा के अनुसार ही विदित है। बुद्धिमान पुरूष को चाहिए कि यज्ञ, दानादि के इस वित्तेषण को, गृह स्थोचित आचारों द्वारा स्त्री और पुरूष व पुत्र की इच्छा को और कालक्रम से स्वर्गादि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। धीर पुरूष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की एषणाओं–इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का मार्ग की ओर प्रस्थान कर देते है।[8]

विष्ण पुराण में आया कि गुण कर्मों से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरूषार्थ की प्राप्ति होती हैं। अतः पौराणिक–युग में इनके व्यापक स्वरूप का परिचय दिया गया है, महर्षि वेदव्यास ने धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादित करते हुए लिखा है

कि धारण करना धर्म हैं।[9] आचार्य मनु सम्पूर्ण वैदिक वाङ्‌मय सभी स्मृतियों, ग्रन्थों, सत्पुरूषों के आचार और अपनी निर्मल बुद्धि ये धर्म के चरम लक्षण माने है।[10]

धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है तथा समाज के प्रति उसे कर्त्तव्य निष्ठ बनाता है। जिससे व्यक्ति का सर्वागणीय विकास होता है श्री मदभावत पुराण में कहा गया हैं कि धर्म का फल मोक्ष हैं। उनका फल अर्थ प्राप्ति नहीं है। अर्थ प्राप्ति का उद्‌देश्य धर्म हैं। अर्थ धर्म पालन का साधन है। भोग विलास का नहीं। काम का अर्थ भी जीवन निर्वाह है। इन्द्रियों की तृप्ति नहीं और जीवन का उदेश्य तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्गादि की प्राप्ति करना उसका फल नहीं। धर्म के सम्बन्ध में विष्ण पुराण में कहा गया है कि धर्मा धर्मजन्य सुख दुःखो को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफल के उपभोग के लिए एक देह से द्वितिय देह में जाना पड़ता है।[11]

अतः हम कह सकते हैं कि पुराणों में पुरूषार्थों के आर्दश द्वारा व्यक्ति के आचरण को समान के अनुकूल मर्यादित किया है। धर्म का फल मोक्ष है। उसका फल अर्थ प्राप्ति नहीं। अर्थ प्राप्ति का उद्‌देश्य धर्म है। अर्थ धर्म पालन का साधन है, भोग विलास का नहीं। काम का फल जीवन निर्वाह है, इन्द्रियों की तृप्ति नहीं हैं और जीवन का भी उद्‌देश्य है, तत्व जिज्ञासा, कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, क्योंकि जीवन का अर्थ हैं करम के लिए, जितने भी धरम हैं, सब धरम के लिए इसके आलावा जो कुछ भी होता है, वह सब पाप है। अगले जनम के लिए यह धर्म, कर्म अर्थ, काम की दृढ़ भित्ति पर आधारित हैं। शरीर नाशवान है। धन, बुद्धि चंचल है, संयोग का अन्त वियोग है। यहाँ सब कुछ क्षंणभगुर है। मोक्ष की प्राप्ति सदाचरण से ही सम्भव है। धर्म, अर्थ और काम सदाचार चलने वाला पुरूष सबको मित्र सब कुछ सहने वाला मनोनिष्ठा में तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा आत्मबल है। वह मनुष्य भव बन्धन से मुक्त होता हैं जो नियमानुसार, नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा वर्ताव करता हैं मिले मील सम्मान पाने की इच्छा नहीं तथा जो अभिमान से दूर रहता हैं वह सर्वथा मुक्त रहता हैं। पुरूषार्थों का सम्बन्ध मनुष्य तथा समाज दोनों से है। वे मनुष्य तथा समाज के बीच के सम्बन्धों की व्याख्या करते हुए उन्हें न्यायसंगत दोनों के उचित सम्बन्धों पर प्रकाश डालतें हैं तथा उनमे अनुचित सम्बन्धों को उजागर करते ताकि मनुष्य उनसे बच सके। एक ऐसे संस्कार का सृजन करता हैं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता हैं व्यक्ति के असंस्कृति स्वरूप को सुसंस्कृत और समाज में अनुशासित करने के निमित्त पुरूषार्थों की अभिव्यक्ति

की गयी है। मानव के लौकिक जीवन की उपेक्षा पारलौकिक जीवन अधिक महत्व पूर्ण होता हैं।

lUnHk xUFk lph %

1. श्रीमद्भागवत पुराण, 1/2/9
2. महाभारत, उद्योग पर्व, 72/23–24
3. नीति शतक–42
4. जवाहरलाल शर्मा, श्री मद्भाग वतपुराण का सांस्कृतिक अध्याय 50–11
5. श्रीमद्भगवत गीता 2/62–63
6. महाभारत, उद्योगपर्व 128,30
7. श्रीमद्भागवत पुराण 10/5128
8. श्रीमद्भागवत पुराण 10/84/38
9. महाभारत शान्ति पर्व 109/11
10. मनुस्मृति 2/12
11. विष्णुपुराण 2/13/8

e|lgj tkfr;k dh leL;k; ,o mud
lek/kku gr| l|>ko

Mk- gfj'kdj jke*

मुसहर जातियों को भारत के कमजोर और पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत गिना जाता है। 2001 के जनगणना के अन ुसार इन जातियों की संख्या 8.43 करोड़ थी। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता ने देश के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विशेष ध्यान रखा और उनके विकास एवं उत्थान के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किये। हम यहाँ मुसहर जातियों का अर्थ, उनकी समस्याओं तथा उन पर होने वाले प्रभाव का उल्लेख करेंगे।

e|lgj tkfr %

मुसहर जातियों को अस्पृश्य जातियाँ भी कहा जाता है। अतः इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर की गयी है। साधारणतः मुसहर जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है, जिन्हें धार्मिक, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक सुविधाएँ दिलाने के लिए जिनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियां, दरिद्र वर्ग, बाहरी जातियां आदि नामों से पुकारा जाता है।

अस्पृश्यता का सम्बन्ध प्रमुखतः पवित्र एवं अपवित्र की धारणा से है। हिन्दू समाज में कुछ कार्यों को पवित्र एवं कुछ कार्यों को अपवित्र समझाा जाता रहा है। हिन्दू धर्म में ब्राह्मण पवित्र कार्य करते हैं, जैसे— शिक्षा देना, हिन्दू संस्कार में यज्ञ करना, लेकिन मुसहर जाति के लोग जूठा पत्तल उठाना, जानवरों व पक्षियों को मार कर खाना, पत्तल पर पड़ा जूठा भोजन को ग्रहण करना, ऐसी दशा में इन व्यवसाय में लगी जातियों का अपवित्र समझा गया है। अस्पृश्य समझाी जाने वाली जातियों के व्यक्ति सवर्ण हिन्दुओं को स्पर्श नहीं कर सकते।

अस्पृश्यता का तात्पर्य है, जो छूने योग्य नहीं है। अस्पृश्यता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने और छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है। सवर्ण हिन्दुओं को अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृश्य लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गयी है। उन पर अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गयी और उनके सम्पर्क से बचने के कई उपाय किये गये।

* प्रवक्ता, समाजशास्त्र, शान्ती शिक्षा निकेतन महिला महाविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0।

इन जातियां के अन्तर्गत जिनके छूने से अन्य व्यक्ति अपवित्र हो जायें और जिन्हें पुनः पवित्र होने के लिए कुछ विशेष संस्कार करने पड़ते हैं।

डॉ. के.एन. शर्मा के अनुसार– ''मुसहर जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाय और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कार्य करना पड़ें।''

डॉ. आर.एन. सक्सेना के अनुसार– ''ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना जाय जिनके छूने से हिन्दुओं (सवर्ण) लोगों को शुद्धि करनी पड़े।''

e|lgj tkfr;ksa dh leL;k%

मुसहर जातियों को भारतीय समाज में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं :

1. दुर्गम निवास स्थान की समस्या
2. सांस्कृतिक सम्पर्क की समस्या
3. आर्थिक समस्याएं
4. सामाजिक समस्याएं
5. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या
6. शिक्षा सम्बन्धी समस्या
7. राजनीतिक चेतना की समस्या
8. सबसे कमजोर कड़ी का पता लगाना
9. एकीकरण की समस्या
10. भरपेट भोजन की समस्या
11. आर्थिक शोषण

1- n|xZe fuokl LFkku dh leL;k& लगभग मुसहर जाति के अधिकांश लोग, मिट्टी के घर, छप्परों, जंगलों, दलदल भूमि पर निवास करती है, जहाँ सड़कों का अभाव है और वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि उन लोगों से सम्पर्क करना एक कठिन कार्य हो गया है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अविष्कारों के मधुर फल से वे अभी अपरिचित ही हैं और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं राजनीतिक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है और उनका जीवन सीमित दृष्टिकोण बन गया है, जिसमें व्यापकता का अभाव है। दुर्गम निवास के कारण डाकखाना, तारघर, टेलीफोन, समाचार–पत्र, कम्प्यूटर व इंटरनेट का अभाव है, अर्थात् उपरोक्त सुविधाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाया है। अतः उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है और देश के साथ एकता के सूत्र में बंध पाने में बाधा उपस्थित हुई है।

2- lkLd`frd lEidZ dh leL;k& मुसहर जातियों का निवास दुर्गम होने के परिणाम स्वरूप उनका आधुनिक संस्कृति से सम्पर्क नहीं हो पाया और वर्तमान की प्रगति की दौड़ में बहुत पिछड़ी हुई है। बाह्य सांस्कृतिक समूह जिनका सम्पर्क मुसहर जातियों से हुआ ये लोग उच्च वर्ग के सम्पर्क के कारण इन लोगों में बाल–विवाह की प्रथा पनपी, जैसे– भूमि व्यवस्था की समस्या, जंगल की समस्या, आर्थिक शोषण एवं ऋण ग्रस्तता, औद्योगिक श्रमिकों की समस्या, बाल–विवाह, वेश्यावृत्ति, गुप्त रोग, ललित कला का ह्रास, खान–पान, पहनावे की समस्या, शिक्षा व धर्म की समस्या आदि।

3- vkfFkZd leL;k& सांस्कृतिक सम्पर्क एवं नवीन सरकारी नीति के कारण मुसहर जाति के लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि सम्बन्धी व पर्यावरण संतुलन सम्बन्धी नयी नीति के कारण जंगलों को काटना, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ना, अनेक क्षेत्रों में शिकार करने व महुआ से शराब बनाने पर नियन्त्रण लगा दिया गया, नहीं तो वे पेड़ों से लकड़ी को तोड़कर बेचने का कार्य और पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर पत्तल बनाने का कार्य करते थे, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो जाता था, लेकिन आधुनिक युग में आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो जाने के कारण वे लोग बाध्य होकर अपने मूल निवास को त्यागकर कारखानों, फैक्ट्रियों व चाय बागानों आदि में कार्य करने चले जाते हैं। अब वे भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं औद्योगिक श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगें। मुसहर जातियों की मजदूरी का लाभ उठाकार ठेकेदार एवं उद्योगपतियों, पूँजीपति कम मजदूरी पर अधिक काम लेने लगे हैं। इन लोगों के निवास और कार्य करने की दशाएं भी सोचनीय है। इस प्रकार से इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

4- lkekftd leL;k& शहरी और सभ्य समाजों के सम्पर्क के कारण मुसहर जातियों में कई सामाजिक समस्याओं ने भी जन्म लिया है। इन जाति के लोगों की निर्धनता का लाभ उठाकर ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी एवं कर्मचारी उनकी स्त्रियों के साथ अनुचित यौन सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, जिससे वेश्यावृत्ति तथा बाह्य विवाह यौन सम्बन्ध की समस्या पनपी है, जो एक विकट समस्या है।

5- LokLF; lEcU/kh leL;k,a& अधिकांश मुसहर जातियाँ झोपड़ी, छप्परों, मिट्टी के गीले स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं। शहरों में उन स्थानों पर निवास करते हैं, जहाँ गन्दे नाले के जल का प्रवाह एवं खुले स्थानों पर जहाँ गन्दगी का विशेष स्थान होता है। इन भागों में अनेक बीमारियाँ पायी जाती हैं।

गीले एवं गन्दे कपड़े पहने रहने के कारण इनको कई प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। इन लोगों में मलेरिया, पीलिया, चेचक एवं गुप्तांगों की बीमारियाँ भी पायी जाती है। बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सालयों का अभाव है। डॉक्टर एवं आधुनिक दवाओं की सुविधाएं नहीं हैं। ये लोग जड़ी–बूटियों, झाड़–फूंक एवं जादू–टोने पर विश्वास करते हैं। अधिकांश मुसहर जाति के लोग स्वास्थ्य के नियमों से अज्ञान हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। ये लोग महुआ, चावल, ताड़ व गुड़ आदि की शराब का प्रयोग करते हैं, जो अधिक हानिकारक हैं। संतुलित आहार एवं विटामिन युक्त भोजन के अभाव में भी इन लोगों का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है।

6- f'k{kk lEcU/kh leL;k,|& मुसहर जाति में अधिकांश शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञानता के अन्धकार में पल रहे हैं। अशिक्षा के कारण वे अनेक अन्धविशवास, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से घिरे हुए हैं। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का प्रसार जनजातियों व मुसहर जातियों में किया किन्तु शिक्षा प्राप्त करके ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ये लोग हिन्दू धर्म के अलावा कोई धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे। इस कारण मुसहर जाति के सामने शिक्षा प्राप्त करना एक समस्या था।

7- jktuhfrd pruk dh leL;k& स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदार कर उन्हें शासन में हिस्सेदार बना दिया गया है। आज ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के प्रतिनिध आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रजातन्त्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जाति के मुसहर जाति में परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, जिनमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन का कार्य करते थे। उनकी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थसा में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्व था, किन्तु आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए हैं। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त हैं। वे अपनी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हैं। परन्तु यदि आरक्षित सीट हो जाने पर ग्राम प्रधान पद पर तो मुसहर जाति का कोई सदस्य प्रधान हो जाता है तो वह खुले स्वतंत्रता के साथ ग्राम पंचायत का शासन व्यवस्था नहीं चला सकता है। क्योंकि जनता के मतानुसार वह ग्राम प्रधान पद पाये हैं, तो जनता का समान रूप से कार्य करना उनको बाधिक करता है या उच्च वर्ग के द्वारा प्रताड़िता किये जाते हैं।

कहीं–कहीं ग्राम पंचायतों में देखा जाता है कि आरक्षित सीट पर ग्राम प्रध ाान मुसहर जाति का व्यक्ति पद प्राप्त कर लेने के बाद भी स्वयं ग्राम पंचायत पर

शासन नहीं कर पाता है। वह सवर्ण के दबाव में कार्य करता है। इस प्रकार राजनीतिक चेतना होने के कारण वह एक समस्या बन जाता है।

8- ,dhdj.k dh leL;k& भारतीय मुसहर जातियों में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति धर्म एवं राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अनेक भिन्नता पायी जाती है। वे समाज को अन्य लोगों से पृथक न समझकर देश की मुख्य जीवनधारा से जोड़े, तभी हम गरीबी, शोषण, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी, बेकारी और हीन स्वास्थ्य की समस्याओं से निपट सकेंगे। इस समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न जन समूहों का सहयोग एवं राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में बहना तथा एकीकरण आवश्यक है। इनके लिए अल्पसंख्यक समूहों को देश की आर्थिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाना होगा और विकास योजनाओं में उन्हें साथ लेकर चलना होगा। इस प्रकार मुसहर जातियों का एकीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है।

e|lgj tkfr;k d leL;k ,o mud l|>ko %

1. आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए मुसहर जाति के परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि दी जाय। उन्हें कृषि आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाय और उन्हें कम ब्याज पर ट्रैक्टर, बीज, नवीन यंत्र, घरेलू उद्योग–धन्धों का विकास किया जाय। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान एवं बिजली की व्यवस्था की जाय। कानून द्वारा उनका आर्थिक शोषण रोका जाय। उनके लिए उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाय जिससे वे नौकरी में स्थान पा सकें।
2. सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए बाल–विवाह पर रोक लगायी जाय और उन लोगों को उचित शिक्षा प्राप्त करने का प्रबन्ध किया जाय, ताकि मुसहर जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाय जिससे वेश्यावृत्ति समाप्त हो सके।
3. स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं के निराकार के लिए मुसहर जाति के क्षेत्रों में चिकित्सालय, डॉक्टर एवं आधुनिक दवाईयों का व्यवस्था किया जाय। उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाय ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जाय और उन्हें स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराया जाय। इसके लिए समय–समय पर अलग–अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जायें। स्कूलों, पंचायतों पर दवाओं की उचित व्यवस्था किया जाय।

4. शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए मुसहर जातियों के लिए सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली जाय। शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाय, जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी का सामना न करना पड़े। कृषि, पशु–पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाय।
5. सांस्कृतिक समस्या को हल करने के लिए मुसहर जातियों को डॉ. एल्विन के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय जिसमें आदिम ललित–कलाओं की रक्षा की जाय। मुसहर जाति के लिए किये जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हिन्दी ही हो जिससे भाषा की समस्या हल होगी। धार्मिक समस्याओं के हल के लिए यह आवश्यक है कि तर्क एवं वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर धार्मिक अन्ध–विश्वासों को समाप्त किया जाय।

lUnHk xUFk lph %

1. डॉ. के.एन. शर्मा, भारतीय समाज और संस्कृति, पृ. 262
2. डॉ. आर.एन. सक्सेना, भारतीय समाज तथा सामाजिक संघर्ष, पृ. 99
3. प्रो. एम.एल. गुप्ता एवं डॉ. डी.डी. शर्मा, समाजशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 440

●

LoPN Òkjr vfÒ;ku&,d dne LoPNrk dh vkj

ukx'k d|ekj p©c*

भारत को स्वच्छता की प्रतिबद्धता से जुड़ना होगा। इस विचारधारा का सूत्रपात भारत के माननीय प्रधानमन्त्री ने ''स्वच्छ भारत अभियान'' के तहत 2 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी 150वें जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप खुले में शौच से मुक्त भारत अर्पित करने का संकल्प लिया है।

यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से ही खुले में शौच क्रिया का आरम्भ हो जाता है। स्वभावतः मनुष्य सर्जनशील प्राणी है एवं खोजी प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसने धीरे–धीरे सभ्यता की नींव रखी और स्वच्छता की ओर अग्रसर हुआ। सिन्धु घाटी सभ्यता के अवशेषों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ईसा से 2, 3 सहस्त्राब्दी पूर्व भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर–पश्चिम भाग में एक आदर्श सभ्यता फल–फूल रही थी, जहाँ उच्च जीवन शैली के शौचालयों और स्वच्छता की नींव डाली गयी थी। यह भी स्पष्ट है कि लोग इसका उपयोग करते थे तथा इसका रख–रखाव अतिशय विशिष्टता के साथ किया जाता था।

यह तथ्य ठोस रूप से स्पष्ट नहीं है कि 'सिन्धु–घाटी सभ्यता' के नष्ट होने के कितने दिनों बाद खुले में शौच करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ, परन्तु कुछ तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उस सामाजिक प्रवृत्ति को पूर्व वैदिक काल तथा पुराण–काल में स्वीकृति मिल चुकी थी। 'देवीपुराण' में इस बात का उल्लेख है कि जहाँ लोगों का आवास हो, उसके समीप शौच नहीं करना चाहिए। ऐसा वर्णन आया है कि आप शौच के लिए घर से उतनी दूर जाएँ, जहाँ धनुष से तीर छोड़े जाने पर वह गिरे, वहाँ एक गड्ढा खोदें और उसमें कुछ घास–फूस डाले तथा शौच के पश्चात् पुनः उस पर घास–फूस डालकर उसे मिट्टी से ढँक दें। इस आख्या से यह स्पष्ट होता है कि पुराण–काल में शौच क्रिया को सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी थी। आधुनिक भारत में (जब देश ब्रिटिश हुकूमत के ही अधीन था) महात्मा गाँधी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय लोगों को कहा, 'खुले में शौच के लिए मत जाओ' और अछूतों को सुलभ शौचालय साफ करने के कार्य में नहीं लगाना चाहिए। गाँधी जी ने कहाँ, जहाँ तक हो ट्रैंच शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए,

* शोध छात्र, समाजशास्त्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

जो कि उन्होंने खुद अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान फीनिक्स आश्रम, डरबन में किया था। इसके अलावा उन्होंने मल पर मिट्टी डालने का भी सुझाव दिया था, ताकि लोग बीमारी के संक्रमण से दूर रहें। गान्धी जी के अनुयायी और स्वतन्त्रता सेनानियों से गाँधी जी के सुझाव का पालन किया। कई संस्थानों और व्यक्तियों जैसे– हरिजन सेवक संघ, गान्धी–स्मारक निधि, अप्पा साहेब, पटवर्धन, अन्ना साहेब, दस्ताने अन्य व्यक्तियों के सहयोग से स्वच्छता का प्रचार प्रसार किया गया।

गाँधी जी के जीवन–काल में और अधिक बाद भी इस सन्दर्भ में सामाजिक तथा स्वास्थ्य, संस्थाओं एवं सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा कई कोशिशें की गईं, ताकि खुले में शौच करने के हानिकारक अभ्यास और 'अस्पृश्यों' द्वारा शुष्क शौचालय को साफ करने की प्रथा को सत्य करने के लिए वैज्ञानिक और किफायती शौचालय–तकनीक विचलित की जाए।

माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी 2001, 2005 को अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद समय निकालकर देश की राजधानी के पच्चीस सितारा होटल ताज पैलेस में आयोजित 'सफाई गीरी सम्मेलन' में पहुँचे। इस अवसर पर माननीय प्रधानमन्त्री जी ने कहा– 'स्वच्छ भारत' की परिकल्पना का गाँधी से कहा और कोई बड़ा प्रेरणा–स्रोत नहीं हो सकता है। प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि 'स्वच्छता एक संस्कार है। अगर व्यक्ति के अन्दर यह संस्कार एक बार बैठ जाये तो वह अपने जीवन में कभी भी गंदगी भरे वातावरण को स्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि 'भारतीय समाज में व्यक्तिगत स्वच्छता सर्वोपरि है, परन्तु देश में सामाजिक स्तर पर स्वच्छता का अभाव है। अब हम इसी अभाव को दूर करने के लिए सक्रिय है।''

मोदी जी ने कहा कि अस्वच्छता के कारण देश में प्रतिदिन 1,000 बच्चों की मृत्यु होती है।

'स्वच्छ भारत अभियान' को सरकारी अभियान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह हमारा, आपका सबका अभियान है। अगर देश के 123 करोड़ लोग सोच लें कि हमें भारत को 'स्वच्छ' रखना है तो इसे कोई नहीं रोक सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान में अन्य गैर संस्थानों में सुलभ इन्टरनेशनल'। संस्था का एक प्रमुख योगदान है। जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं संस्थाओं से एकदम भिन्न है। इस संस्था के संस्थापक डॉ. विन्देश्वर पाठक अपने स्वच्छता कार्यों के लिए सुविख्यात हैं।

सुलभ संस्थापक ने कहा कि यह बड़े ही हर्ष की बात है कि भारत सरकार ने वर्ष 2019 तक खुले में शौच से मुक्ति हो जायेगी। पूरे देश में इस अभियान का स्वागत हुआ है। 'स्वच्छ भारत अभियान' में सुलभ की अहम भूमिका रही है।

विगत वर्षों में सुलभ ने 12 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण, 8000 से ज्यादा सार्वजनिक जनसुविधा केन्द्रों की स्थापना तथा हजारों स्कैवेंजरों को इनके द्वारा किये जा रहे मानव–मल साफ करने और उसे सिर पर ढोने के अमानवीय कार्य से 12 अप्रैल, 2016 को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, न्यूयार्क से सम्मानित डॉ. विन्देश्वर पाठक मुक्ति दिलाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ कर उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है।

डाक्टर पाठक ने कहा कि यद्यपि अप्रत्याशित रूप से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और अभी भी हजारों घरों में शौचालय नहीं है, फिर भी सुलभ ने अपनी किफायती और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बनने वाली शौचालय तकनीक की बदौलत लोगों में मानसिकता में सार्थक बदलाव लाया है और लोग मानते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रभावकारी ढंग से परिवर्तन और विकास लाने के लिए सुलभ ही सक्षम है।

सरकार ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को इस अभियान से जोड़ा है, क्योंकि देश में स्वच्छता के कार्यों के वह बड़े समर्थक थे तथा वे अपने पूरे जीवन भार साफ–सफाई और स्वच्छता की गतिविधियों से जुड़े रहे हैं।

स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसके तहत 4041 संवैधानिक नगरों के सड़क, पैदल मार्ग अन्य कई स्थान आते हैं। ये एक बड़ा आन्दोलन है। जिसके तहत भारत को 2019 तक पूर्णतः स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वच्छ सुखी जीवन के लिए महात्मा गाँधी के सपने को आगे बढ़ाया गया है। इस मिशन को 2 अक्टूबर, 2014 (145वाँ जन्म दिवस) को बापू के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आरम्भ किया गया है और 2014–2015 (बापू के 150वीं जन्म दिवस) तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के बाहरी विकास तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है।

इस मिशन का पहला स्वच्छता अभियान (25 सितम्बर, 2014) भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी इसके पहले शुरू किया जा चुका है। इसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था की समस्या का समाधान निकालना, साथ ही सभी को स्वच्छता की सुविधा के निर्माण द्वारा पूरे भारत में बेहतर मल प्रबन्धन करना है।

LoPN Òkjr vfÒ;ku dh t:jr%

1. ये बेहद जरूरी है कि भारत के हर घर में शौचालय हो, साथ ही शौच की प्रवृत्ति को भी जल करने की आवश्यकता है।
2. अस्वाथ्यकार शौचालय को पानी से बहने वाले शौचालयों से बदलने की आवश्यकता है।
3. हाथ के द्वारा की जाने वाली साफ–सफाई की व्यवस्था का जड़ से आत्मा जरूरी है।
4. भारत को स्वच्छ एवं हरियाली युक्त करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवक्ता में सुधार करना।
6. पूरे भारत में साफ–सफाई की सुविधा को विकसित करना एवं निजि क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाना।
7. युद्ध के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और स्वास्थ्यकर साफ–सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना।
8. वास्तव में बापू के सपनों को सच करने के लिए ये सब करना है।

'kgjh {¨=¨a e¨a LoPN Òkjr vfÒ;ku%

शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य हर नगर में ठोस कचरा प्रबन्धन सहित लगभग सभी 1.04 करोड़ घरों को 2.6 लाभ सार्वजनिक शौचालय 2.5 लाल सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना है। सामुदायिक शौचालय निर्माण की योजना रिहायशी इलाकों में की गई है, जहाँ पर व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की उपलब्धता मुश्किल है। इसी तरह सार्वजनिक शौचालय की प्राधिकृत स्थानों जैसे– रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार आदि जगहों पर।

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम को पाँच वर्षों के अन्दर 2019 तक पूरा करने की योजना है। इसमें गैस कचरा प्रबन्ध के लिए 7,366 करोड़ रु0 जन सामान्य को जागरुक करने के लिए 1828 करोड़, 655 करोड़ सामूदयिक शौचालयों के लिए, 4165 करोड़ निजी घरेलू शौचालयों के लिए लक्ष्य रखा गया है।

xzkeh.k LoPN Òkjr fe'ku%

ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए 1999 में भारतीय सरकार द्वारा इससे पहले निर्मल भारत अभियान की स्थापना किया गया, लेकिन अब इसका पुनर्गठन स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के रूप में किया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को खुले में शौच करने कि मजबूरी को रोकना है। इसके लिए भारत सरकार ने 11 करोड़, 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौंतीस हजार करोड़ की राशि खर्च करने की योजना बनाई है।

fuEufYkf[kr LoPN Òkjr xzkeh.k fe'ku dk Yk{; gS %

1. ग्रामीण क्षेत्र में रहे रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
2. 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साफ–सफाई के लिए लोगों को प्रेरित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और द्रव कचरा प्रबन्ध षट खास तौर से ध्यान देना तथा उन्नत पर्यावरणीय साफ सफाई व्यवस्था का विकास करना।

LoPN Òkjr dk LoPN fo|ky; vfÒ;ku %

ये अभियान केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य भी स्कूलों में स्वच्छता लाना है। इस कार्यक्रम के तहत 25 सितम्बर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 तक केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन जहाँ कई सारे स्वच्छता क्रियाकलाप आयोजित किये गये हैं।

Òkjr ns'k ds LoPNrk jSfdax esa fofÒé 'kgj %

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत देश के विभिन्न शहरों का रैंकिंग आ गी है। जिसमें से 73 शहरों को उनके सफाई के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। शहरी विकास मन्त्रालय के मुताबिक सबसे बेहतरीन और साफ सुथरे शहरों में कर्नाटक का मैसूर देश में अव्वल शहर 2014 के सर्वे में प्रथम स्थान रहा है तथा दूसरे साल भी इसी शहर का नाम रहा है। इस तरह से अन्य शहर की रैंकिंग इस प्रकार है– चण्डीगढ़, तिरुचिरा पल्ली, दिल्ली नगर निगम है। सर्वे में पाया गया कि देश के दक्षिण और पश्चिम हिस्सों के शहर उत्तर और पूर्वी भाग के शहरों से ज्यादा साफ है।

इस सर्वे को सार्वजनिक करते हुए शहरी विकास मन्त्री एम0 वैंकैया नायडू ने कहा कि दुनिया हमें देख रही है और स्वच्छ भारत वह सबसे अहम चीज है, जिसे हम दुनिया को दिखा सकते हैं।

इस प्रकार से शहरी रैंकिंग में धनबाद 73वें स्थान पर है जो देश के सबसे गन्दे शहर के रूप में जाना जाता है। गन्दे शहर के कोणी में धनबाद, आसनसोल, पटना, मेरठ, रायपुर, गाजियाबाद, जमशेदपुर, वाराणसी, ईटानगर हैं। शहरी विकास मन्त्रालय की तरफ से 'स्वच्छता सर्वेक्षण' नाम का यह सर्वे 73 शहरों पर किया गया है।

LoPN Òkjr ls gh lkdkj gksxk LoLFk Òkjr %

किसी भी राष्ट्र के विकास को मापने के लिए वहाँ का स्वस्थ समाज होता है। नागरिकों के स्वास्थ्य का सीधा असर उनकी कार्य शक्ति पर पड़ता है।

जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, तभी से खुद को स्वास्थ्य रखने की जिम्मेदारी उस पर रही है। यदि हम भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से मार्च, 2011 तक भारत की जनसंख्या एक अरब, 21 करोड़ पहुँच चुकी थी तथा निरन्तर इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। हालांकि जनसंख्या की स्वच्छता और स्वास्थ्य के औसत राष्ट्रीय आदि दर तेजी से गिर रहा है। यह 198191 में 2.14 फीसदी, 1991–2001 में 1.97 फीसदी था नहीं 2001–11 में यह 1.64 फीसदी है।

"यह सर्वविदित है कि साफ–सफाई मानव जीवन पर सीधे असर पड़ता। जिन बीमारियों के मामले ज्यादातर सामने आते हैं और जिनसे ज्यादा मौतें होती हैं, अगर उनके आँकड़ों पर गौर करें तो कहा जा सकता है कि शरीर की तथा परिवेश की वह अचूक मांग है, जिसके माध्यम से न सिर्फ स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, बल्कि बीमारियों से लड़ने पर देश भर में ही रहा अरबों का सालाना खर्च बचाया जा सकता है। स्वस्थ शरीर में निवसित स्वस्थ मस्तिष्क की उत्पादकता बढ़ाने से देश की उत्पादकता जो बढ़ेगी, सो अलग ही है।"

इस तरह हम कह सकते हैं कि 2019 तक भारत को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक सराहनीय योग्य कदम है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर भारत की जनता द्वारा प्रभावी रूप से इसका अनुकरण किया गया हो, आने वाले चन्द वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से पूरा देश भगवान का निवास स्थल बन जायेगा। तथापि हमें भी अपने जीवन में स्वच्छता के साथ–साथ एक स्वच्छन्द देश और स्वच्छ समाज का निर्माण बनाने की जरूरत है।

I nHk xUFk I ph %

1. सुलभ इण्डिया, अक्टूबर 2015, सम्पादकीय कार्यालय, महावीर इन्क्लेव, नई दिल्ली।
2. Compare infobase Ltd., New Delhi, Solutions@maps of india.com, 5 June 2016.
3. दैनिक भास्कर न्यूज, 16 फरवरी 2016, डी–143, नोएडा,
4. India Water Portal, Hindi@india water portal.com, 4-5 January, 2016

●

f'k{kk fodkl ,o Nhtu ¼Mªki vkmV½

lkuh dqekjh*

भारत एक विकासशील देश है, और यहाँ हर जगह हर क्षेत्र में विकास की ही बातें होती है और विकास की नींव शिक्षा है। तो क्या विकास करने के लिए शिक्षा की स्थिति प्रबल है। आज भले ही देश में शिक्षा की स्थिति पहले से ऊँची हुई है पर अभी भी अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में शिक्षा की स्थिति निम्न है और इसका बहुत बड़ा कारण प्राथमिक शिक्षा का पुरा न होना है या यह भी कह सकते हैं कि छीजन (ड्राप आउट) की समस्या ऐसी है जो शिक्षा एवं विकास में बहुत बड़ी बाधा है और हमारा भारतीय समाज का पूर्णतः विकास का सपना अधूरा है।

एरिस्टोटल शिक्षा के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए लिखते है– ''शिक्षित मनुष्य अशिक्षित मानवों से उतने ही उच्च है, जितने मृतक से जीवित।'' (जीने का सच्चा अर्थ ही एरिस्टोटल ने शिक्षा को लिया है) उनके लिए शिक्षा ही स्पंदन है। शिक्षा ही गति है, शिक्षा ही विकास है; शिक्षा ही जीवन शक्ति है। अतः यह कह सकते है कि शिक्षा के अभाव में एक जीवित व्यक्ति भी मृतक के समान है। एरिस्टोल ने तो यहाँ तक घोषित कर दिया कि ''केवल शिक्षित ही स्वतंत्र है। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य मानसिक स्वतंत्रा से है।

शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है तथा समाज और संस्कृति को गतिशील बनाने में विकास व शोधन की अनिवार्य कड़ी है। यह समाज में लोगों के अन्दर नैतिक मूल्यों एवं संस्कृति का विकास करती है जिससे मनुष्य में मनसा, वाचा, कर्मणा का भाव जागृत होता है। फलतः समाज का चतुर्मुखी विकास सम्भव होता है। कर्मणा ऐसे में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य व महत्वपूर्ण भी है।

शिक्षा का अर्थ केवल वस्तुओं का विभिन्न विषयों का ज्ञान मात्र नहीं है। अगर शिक्षा का उद्देश्य केवल किसी तरह उत्तीर्ण होकर पदवी प्राप्त कर लेने तक समिति रहा तो परिणाम भयावह होगा और इस परिस्थिति के जिम्मेदार विद्यार्थी नहीं बल्कि यह शिक्षा पद्धति और इसे चलाने वाले होंगे, जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संघर्ष हेतु, समर्थ नहीं बना सकती, वह कोई शिक्षा नहीं है। जिस शिक्षा

---

* शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा।

के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने की सीख दी जा सकती है, वही सच्ची शिक्षा है, मूल्यपरक शिक्षा है और वही गुणवत्ता वाली शिक्षा है।

शिक्षा एक ऐसा सशक्त साधन है, जिसके माध्यम से जीवन के समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक साध्यों को बड़ी सुगमता से एवं प्रभावकारी ढ़ग से प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है, जब वर्तमान विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के स्थान पर 'सुशिक्षा' हो, जिससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके। परन्तु खेद का विषय यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के स्थान पर ह्रास एवं पराभाव उत्पन्न कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में नैतिक मूल्यों का नितान्त अभाव पाया जाता है और इस अभाव के कारण पद्धति की चुले हिल गई है, जिससे इसकी दशा और दिशा भ्रमित हो गई है।

उत्तम समाज निर्माण हेतु विद्यालयों द्वारा मूल्यों की प्रति स्थापना आवश्यक है और साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है। अगर हम भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बन सकें तो उनमें बेहतर पारिवारिक एवं सामुदाईक मूल्यों का आत्मसात् भी आवश्यक है, ताकि हम सद्भावपूर्ण एवं खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें।

लेकिन शिक्षा के इस समाज निर्माण कार्य में एक बहुत बड़ी बाधा है छीजन (ड्रॅापआउट) की समस्या। इसके कई सामाजिक आर्थिक व मनोवैज्ञानिक कारण है। इन्हीं कारणों में निर्धनता निरक्षरता आदि सम्मिलित है। ये ऐसे प्रबल कारक है जो माता/पिता पर दबाव डालते हैं कि वे बच्चों को विद्यालय के स्थान पर ऐसे दूसरे कार्यों में लगाएँ जहाँ से उन्हें कुछ आर्थिक उपलब्धता हो या उनके परिवारिक जीवन में सहयोग हो और इन कामों में सहयोग करने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते और उन्हें अपनी प्रारम्भिक शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती है।

शिक्षा के प्रसार हेतु सम्पूर्ण मानव जीवन तन, मन, धन से लगा हुआ है फिर भी आज दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है जो कि एक चिंता का विषय है। आज विश्व के कई देशों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है वहीं हमारे देश में साक्षरता का ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। आखिर एसा क्यों हो रहा है। इस विषय पर व्यापक और सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

'नेल्सन मंडेला' ने कहा है कि शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते है। गाँधी जी भी मानते है कि

''शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा ही बालक का सर्वांगीण विकास करता है।'' शिक्षा अज्ञानता रूपी अंधेरे को समाप्त करने वाली प्रकाश की वह किरण है जो हमें हर विषय को तर्क के धरातल पर मापकर प्रयोग करने को प्रोरित करती है। अर्थात हमारे समक्ष सही गलत, उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक के बीच का अन्तर स्पष्ट करती है।

दुर्खीम का कहन है कि 'शिक्षा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का एक सामाजिक साधन है। आज के युग में शिक्षा और समाज का ऐसा गहरा सम्बन्ध है जैसा कि आत्मा और शरीर का। शरीर वही करता है जो आत्मा की आवाज होती है। शरीर नश्वर होता है लेकिन आत्म अजर–अमर कभी न मिटने वाली और आत्मा ही शरीर को प्राणयुक्त बनाती है और यह कहा जा सकता है कि शिक्षा ही समाज की आत्मा के रूप में उसे प्राणयुक्त सजीव बनाती है।

लेकिन कुछ समुदाय ऐसे है जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है और ये लोग शिक्षा को निरूत्साहित भी करते है। जैसे अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़ा वर्ग इत्यादि। ये परम्परागत रूप से शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। परन्तु पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं और शिक्षा के प्रति जागरूता में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन जब तक अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ निम्न जातियाँ, पिछड़ा वर्ग इत्यादि में शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच और शिक्षा से अधिक आजीविका पर जोर दिया जाएगा तब तक निरक्षता और छीजन की समस्या विद्यमान रहेगी।

इसके लिए सरकार और यूनिसेफ इस ओर गहनता से ध्यान देकर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, पर वे भी इन्हीं समस्याओं के कारण पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं और छीजन (ड्रॉपआउट की) समस्या अति गम्भीर हो रही है।

lUnHk xUFk lph %

1. किंग एडमण्ड (1973) : विद्यालय शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन। राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ एकादमी, 26/2 विद्यालय मार्ग तिलक नगर जयपुर।
2. रावत, जानेन्द्र (2006) : इच्छा का स्वरूप, राधा पब्लिकेशन।
3. नई दिल्ली, शर्मा रामनाथ, शर्मा डॉ० राजेन्द्र कुमार (1996) : शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, नई दिल्ली।
4. किंग डॉ० संजय 2008 दलित और शिक्षा, ओमेगा पब्लिकेशन, 4637/20 अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली।

●

ikphu Hkkjr e: i:pfyr pj.k rFkk 'kk[kk

Mk0 r:t Hkku feJ*

पूर्व मध्यकालीन ब्राह्मण समुदाय के सामाजिक जीवन में वैदिक चरण तथा शाखा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। पाँचवी शताब्दी से ब्राह्मण दानग्रहीताओं के विवरण में उनके शाखा, चरण, गोत्र, प्रवर का उल्लेख आवश्यक समझा जाने लगा जो बारहवी शताब्दी के बाद बन्द होकर केवल वेद का उल्लेख तक सीमित हो गयी। चरण का उल्लेख निरुक्त[1] अष्टाध्यायी,[2] महाभाष्य,[3] प्रतिज्ञा परिशिष्ट[4] से शाखा का उल्लेख निरुक्त[5] से, उत्तरमीमांसा,[6] चरण व्यूह[7] में प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, पुराण से भी तद्विषयक सामग्री मिलती है। पतञ्जलि काल में किसी का चरण पूछने के लिए तीन प्रश्न 1. आपके सहपाठी कौन हैं? 2. आप किनके सहपाठी हैं? 3. आप का सहपाठी कौन हैं? पूछे जा सकते थे।[8] इस समय के अधिकांश दानपत्रों में चरण संस्था के अध्येता को सब्रह्मचारी कहा गया है। पाणिनी ने एक ही चरण के छात्र को सब्रह्मचारी बतलाया है।[9] चरण उस प्रकार की संस्था थी जिसमें वेद की एक शाखा का अध्ययन शिष्य समुदाय करता था जिसका नाम मूल संस्थापक के नाम पर पड़ता था।[10] चरण एक प्रकार की शैक्षिक संस्था थी जिसमें छात्र प्रवेश लेते थे।[11]

अनेक गुरु शिष्यों ने मिलकर पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान साधना की थी उस सबकी परम्परा के रक्षक चरण थे। आचार्य रूपी मूलबीज से जो महान प्रज्ञा स्कन्ध या विद्याविटप जन्म लेता था उसी की शाखा प्रशाखाओं के रूप में चरणों के विज्ञान गुरु और शिष्य देश में फैल जाते थे। ज्ञान साधना का निरन्तर कार्य चरणों में होता रहता था। वैदिक ग्रन्थों में शाखाओं का आदिग्रन्थ आम्नाय था। आम्नाय का अर्थ है अपने अपने शास्त्रों का उपदेश। उसे चरण कहा गया है। शैशिर आदि शाखाओं का मूल शाकलक आम्नाय था। चरणें से शाखायें विस्तृत हुयी।[12] चरण शब्द के दो तात्पर्य प्रतीत होते हैं—चार वेदों में से कोई एक वेद, दूसरा शाखाओं का समूह। मैक्समूलर के अनुसार मूलतः चरणों की संख्या केवल तीन—बहवृच, अध्वर्यु, छान्दोग्य है। डॉ० विशम्भर शरण पाठक के अनुसार पाँच चरण—ऋग्वेद का वहवृच, सामवेद का छान्दोग्य, कृष्ण यजुर्वेद का चरक तथा त्रैत्तिरीय, शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनेय।

* प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, देवइन्द्रावती पी.जी. कॉलेज, कटेहरी, अम्बेडकर नगर।

शाखा का अर्थ किसी साहित्य से था जिसका अध्ययन किया जाता था और इसके विपरीत चरण का तात्पर्य साहित्य से नहीं था। पाणिनी ने शाखा के अध्येता का अर्थ चरण बताया है। कुछ लोग शाखााओं को वेदों का अवयव मानते हैं और उनका यह कहना है कि सब शाखाओं के मिलने से चरण बनते है। सब चरणों के मिलने से वेद का सृजन होता है।[13] कुछ लोग शाखाओं को वेदों का व्याख्यान मानते हैं। शासक, वाष्कल, वाजसनेय तथा चरक चरण है और क्रमशः उनकी पाँच, चार, पन्द्रह और बारह शाखायें हैं। पतञ्जलि ने ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 100 शाखा, साम वेद की 1000 शाखा, अथर्व वेद की 9 शाखा का उल्लेख किया है।

भरुकच्छ में लौकाक्षि तथा लोहायन गोत्र के ब्राह्मण अध्वर्यु वेद (यजुर्वेद) के अध्येता थे। यजुर्वेद को प्राचीन काल में अध्वर्यु भी कहा गया जाता था। गालव गोत्र के ब्राह्मण का सम्बन्ध छान्दोग्य से था। गुर्जर देश के ब्राह्मण कृष्ण तथा शुक्ल यजुर्वेद के अध्येता थे। एमोन दानपत्र (597AD) से ज्ञात होता है नासिक के कल्लिवन के गौतम ब्राह्मण कृष्णयजुर्वेदीय शाखा के अनुयायी थे। संखेड़ा दानपत्र से ज्ञात होता है कि बड़ौदा स्थित संखेड़ा के कौत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की बाजसनेय शाखा थी।[14] बड़नेर दानपत्र (610 AD) से ज्ञात होता है पाराशरगोत्रीय डेभक निवासी ब्राह्मण बाजसनेय कण्व शाखानुयायी थे। कलचुरि तरलस्वामी के मंकनी दानपत्र (595 AD) में जातूकर्ण गोत्रीय परिवार को बाजासनेय शाखानुयायी बताया गया है। अल्लशक्ति के कसेर दानपत्र (653 AD) के अनुसार कृष्णात्रेय गोत्रीय परिवार के ब्राह्मण बाजसनेय माध्यन्दिन शाखानुयायी थे। बगुमरादानपत्र (655 AD) में विजय अनिरुद्धपुर के भारद्वाज गोत्रीय परिवार के ब्राह्मणों को शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यनन्दिन शाखा का बताया गया है। गुर्जरो के कैरादानपत्र (629 AD) में शिरीषपदक निवासी वत्स, काश्यप गोत्र के चतुर्वेदी ब्राह्मणों को आश्वलायन चरण का बताया गया है। धुमरायण, डौण्डकीय कौण्डिन्य, माठर, हारीत गोत्र के ब्राह्मण अध्वर्यु बाजसनेय (यजुर्वेद) से सम्बन्ध थे। इनका चरण कण्व था। संखेड़ा दानपत्र (641 AD) में भारद्वाज गोत्र के बाजसनेय माध्यन्दिन शाखा के ब्राह्मणों का उल्लेख हैं। प्रगायन गोत्र के चतुर्वेदी ब्राह्मण बाजसनेय माध्यन्दिन शाखा के अनुयायी थे। लोहिकक्ष के कौण्डिन्य गोत्र के त्रिवेदी ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यपनान्दि शाखा के थे। दद्द द्वितीय के समय में अक्रूरेश्वर भारद्वाज परिवार के चतुर्वेदी ब्राह्मण कौथुम (छान्दोग्य) शाखानुयायी थे। अजनेरी दानपत्र (709 AD) से ज्ञात होता है। ब्रह्मपुरी के शाण्डिल्य गोत्रीय चतुर्वेदी कौथुम शाखा के थे। भरुकच्छ के चौलि गोत्रीय ब्राह्मण अथर्वणशाखा एवं पिप्पलाद चरण के अध्येता थे।

कठियावाड़ के दानपत्र से ज्ञात होता है सांकृत्य गोत्रीय चतुर्वेदी परिवार के ब्राह्मण बहवृच के अध्येता थे। अग्गुक द्वितीय के दानपत्र (866 AD) से ज्ञात होता है वत्स गोत्रीय ब्राहमण शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के अनुयायी थे।[15] राष्ट्रकूट नरेशों के दानपत्र से ज्ञात होता है उनके देश में ब्राह्मण ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय, सामवेदीय शाखा के अनुयायी थे। चालुक्य नवसारी दानपत्र (670 AD) में कहा गया है कि नवसारी में काश्यप गोत्रीय, सूरत दानपत्र में कहा गया है। कार्मणेयवासी शाण्डिल्य ब्राह्मण अध्वर्यु के अध्येता थे। बनवासी के वत्स गोत्र के ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय थे वे तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी थे। मैत्रक जेसर दानपत्र (666 AD) से विदित होता है। वल्लभी में कौशिक गोत्रीय चतुर्वेदी परिवार अध्वर्युवेद का अध्ययन करते थे। मैत्रक कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के ब्राह्मण उनके राज्य में सर्वाधिक निवास करते थे। शुनकगोत्रीय ब्राह्मण ज्येष्ठनक ग्राम के निवासी छान्दोग्य शाखानुयायी थे।[16] भावनगर दानपत्र (529 AD) में वलापद्रवासी मोनस गोत्र के ब्राह्मणों को छान्दोग्य शाखा के अनुयायी बताया गया है।

कश्मीर के सुंगल ताम्रपत्र से ज्ञात होता है विदग्ध्द वर्मा के काल में काश्यप क्षेतीय ब्राह्मण गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे, जिनका आद्यस्थान कुरुक्षेत्र तीर्थाश्रम था, जो कि वाजसनेय शाखा के अनुयायी थे।[17] राजस्थान के भाविहित दानपत्र (654 AD) में कूरगिरिका निवासी दौण्डायन गोत्र के ब्राह्मण वाजसनेय चरण के अध्येता एवं माध्यन्दिन शाखा का उल्लेख है। वर्द्धन कालीन गवीधुमत प्रस्तर अभिलेख में गवीधुमत के शांकृत्य तथा वसिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण बहवृच चरण के अध्येता थे का उल्लेख किया गया है। मधुवनताम्रपत्र (631 AD) में विष्णुवृद्ध गोत्र में अनुयायी बताया गया है। गवी धुमत प्रस्तर लेख में वत्स एवं उपमन्यु गोत्र के ब्राह्मणों को अध्वर्यु चरण का बताया गया है। प्रतिहार कालीन वराह ताम्रपत्र (836 AD) में भारद्वाज ब्राह्मणों को यजुर्वेदीय वाजसनेय शाखानुवर्ती बताया गया है। गहड़वालकालीन दानपत्रों में ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय, सामवेदीय शाखा के ब्राह्मणों का उल्लेख है। गोविन्द चंद्र के दान प्रत्र (1130 AD) में पारावस गोत्र के ब्राह्मणों को शांखायन बहवृच शाखा का बताया गया है। साविथदेश (श्रावस्ती) के बन्धुल गोत्रीय तथा कश्यप गोत्रीय ब्राह्मणों की शाखा शुक्ल यजुर्वेदीय बाजसनेयी थी। गोविन्दचन्द्र के इलाहाबारद संग्रहालय दानपत्र (1114 AD) में सार्कव गोत्र के ब्राह्मणों को सामवेद का अध्येता बताया गया है।

कलचुरि कालीन कहला दानपत्र (1077 AD) में ऋग्वेदीय बहवृच शाखानुयी गोत्र में धौम्र, कात्यायन, राहुल, भारद्वाज[18] का उल्लेख है। इसमें कृष्णात्रेय कुशिक, काश्यप गोत्र के ब्राह्मणों को यजुर्वेदीय शाखा का बताया गया है। सावर्णि, शाण्डिल्य, कौण्डिन्य गोत्र के ब्राह्मण सामवेदीय छान्दोग्य शाखा के थे। सरभपुरीया कालीन दानपत्रों से ज्ञात होता है। रायपुर मध्यप्रदेश के सरभपुर में ऋग्वेदीय एवं यजुर्वेदीय शाखा के अनुयायी ब्राह्मण शाखा के थे। भारद्वाज तथा काप्य आंगिरस गोत्र[19] के ब्राह्मण बहवृच शाखा के थे। कौवतल दानपत्र तथा ठकुरीया दानपत्र से ज्ञात होता है कि पारासार गोत्र के ब्राह्मण वाजासनेय शाखा के अनुयायी थे। महासुदेवराज के रायपुर में वत्स गोत्र के ब्राह्मण यजुर्वेदीय औपमन्यव शाखा के बताये गये है।[20] खैरा दानपत्र (1072 AD) (कल्चुरीकालीन) में त्रिपुरी में काण्व गोत्र, के ब्राह्मणों के बहवृच शाखानुयायी थे। कर्ण के बनारस दानपत्र (1042 AD) में त्रिपुरी के कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणों को वाजसनेयी शाखा का बताया गया है। पृथ्वीदेव द्वितीय के अमोदादानपत्र (1153 AD) में टकारी के चन्द्रात्रेय गोत्रीय ब्राह्मणों का उल्लेख बाजसनेयी शाखान्तर्गत किया गया है। पारिव्राजक कालीन महाराज हस्तिन के नवग्राम दानपत्र (517 AD) में पाराशर गोत्रीय ब्राह्मणों का के उल्लेख शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखा के रूप में किया गया है। परमार कालीन दानपत्रों में मथुरा के भार्गव चतुर्वेदीय ब्राह्मणों को आश्वालायन शाखा का बताया गया है। कौत्स व धौम्य गोत्र के ब्राह्मण भी आश्वालायन शाखा के थे। राजस्थान के आनोह के भार्गव परिवार के ब्राह्मण वाजिमाध्यन्दिन शाखा के थे। मालवा में परमार राजाओं के समक्ष सामवेदीय छान्दोग्य, कौथुम तथा राणायनीय शाखानुवर्तियों का भी निवास था वसिष्ठ गोत्रीय छान्दोग्य शाखा के थे।

चन्देलकालीन दानपत्रों से ज्ञात होता है बुन्देलखण्ड (जेजाक भुक्ति) में ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय तथा सामवेदीय ब्राह्मण रहते थे। चरखारी दानपत्र (1250 AD) में कृष्णात्रेय गोत्रीय परिवार को ऋग्वेदीय बहवृच शाखानुयायी बताया गया है। महोबा दानपत्र (1173 AD) से प्रमाणित होता है कि परमर्दिदेव के समय में जेजाकभुक्ति में सांकृत्य गोत्र के त्रिब्राह्मण वाजसनेय शाखा के अध्येता रहते थे। त्रैलोक्य वर्मा के तेहरी दानपत्र (1207 AD) में रैकोर से बहिर्गत वत्स गोत्र के ब्राह्मणों को वाजसनेय शाखानुयायी कहा गया है।[21] परमर्दि देव के चरखारी दानपत्र (1179 AD) से ज्ञात होता है कि वत्सगोत्र के ब्राह्मण सामवेदीय छान्दोग्य शाखा के अध्येता थे। सेम्रादानपत्र (1166 AD) में ऋग्वेदीय तथा यजुर्वेद चरण से

सम्बन्धित अनेक गोत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अनुसार कश्यप, उपमन्यु, गौतम, भारद्वाज, शांकृत्य, त्रैकायन, कृष्णात्रेय, भार्गव, शांण्डिल्य, वशिष्ठ कौत्स, पराशर, वत्स, चन्द्रात्रेय, बंधुल, गौतम, दाढ्र्यच्युत, धौम्य गोत्र के ब्राह्मण ऋग्वेद चरण के अध्येता थे। भारद्वाज, काश्यप, कौत्स, गौतम, पराशर, चन्द्रात्रेय,. त्रैकायन, कौशिक, वत्स, वसिष्ठ माहुल, शकृत्य, मौद्गल्य, उपमन्यु, शाण्डिल्य, भार्गव, अत्रि, कौन्डिन्य, वौधायन, मौनस, कृष्णात्रेय, लौगाक्ष विष्णुवृद्ध, दर्भि, सावर्णि, गर्ग, कात्यायन, बन्धुल गोत्र के ब्राह्मण यजुर्वेद चरणान्तर्गत थे।[22]

I UnHk xUFk& I ph

1. सर्वचरणानां सर्वेशाखान्तराणामित्यर्थः पार्षदानि प्रातिशाख्यानिः— निरुक्त, 1/17
2. पाणिनीयाष्टक, 2/4/3
3. महाभाष्य, 4/2/104, 4/2/134
4. प्रतिज्ञापरिशिष्ट— भगवदत्त वैदिक वाङ्ग्मय का इतिहास, प्रथम भाग पृ. 173,
5. निरुक्त, 1/17
6. उत्तर मीमांसा 2/4/8
7. शौनक—चरणव्यूह पृ० 1—49 (महिदास कृत भाष्य)
8. अग्रवाल, वासुदेवशरण, पाणिनीकालीन भारतवर्ष, पृ. 295, चरणे ब्रह्मचारिणी।
9. पाणिनी, 6/3/68
10. डॉ. अग्रवाल, पाणिनी कालीन भारत वर्ष, पृ. 290
11. जे.एन.एस.आई. भाग 23, 409
12. महाभारत शान्तिपर्व अध्याय 266, आम्नायेभ्यः पुनर्वेद प्रसूता सवर्तामुखाः।।
13. भगवद्दत्त, वैदिक वाङ्ग्मय का इतिहास, पृ. 175.
14. पाषाणिह्नदवास्तव्य कौत्सगोत्र वाजिसनेय— सब्रह्मचारि — मिशाशी, कार्पस, 4/1, पृ. 35
15. कार्यायात कच्छ विषयात्त पातिगोमूत्रिकाभिधानस्थानवास्तव्यवच्छ (त्स) सगोत्रवाजि माध्यान्दिन सब्रह्मचारि— ए.इ. 26, पृ. 206
16. पालितन दानपत्र (525 AD)
17. वोगेल, जे.एफ., एन्टीक्विटीज ऑफ चम्बा स्टेट, खण्ड 1, पृ. 167

18. कहल्लीय भट्ट सुन्द पुत्रभारद्रा (द्वा) जगोत्रत्रिप्रवर व (ब) ह्वृचसा (शा) खिभट्टासि (शि) वदास। कहल्लीयत (भ) ट्टजाखूपुत्र भारद्वाजगोत्र त्रिप्रवरव (ब) ह्वृचसा (शा) खितिहुयणसीह– मिराशी, कार्पस 4/2, पृ. 391
19. व्याघ्रराज का मल्लर दानपत्र, एपी. इण्डिया 34, पृ. 49
20. औपमन्यव (व) त्सगोत्राय– फ्लीट, कार्पस, 3, पृ. 198
21. रैकोरविनिर्ग्गताय वत्स– गोत्राय वत्सभार्गवच्यवन और्म्म (र्व्व) या (जा) मदग्न्य पंचप्रवराय वाजश (स) नेय शाखाध्यायिने– एपि. इण्डिया 16, पृ. 125
22. सेम्रादानपत्र (1166AD)

●

Hkkjr e 'k{kf.kd vkUnkyu

MkO vkjrh JhokLro*

भारतीय समाज आरम्भ से ही बौद्धिक वर्ग की सृजन–शीलता से सम्पन्न रहा है। यह समाज विश्व के अन्य समाजों के सम्मुख लोकप्रियता, न्यायप्रियता को प्रदर्शित करता रहा है। भारत की संस्कृति विश्व की अन्य संस्कृतियों की तुलना में सम्पन्नता से परिपूर्ण रही है। भारतीय सन्दर्भ में विकास हेतु जितने प्रभावशाली कार्य हुए हैं। उनकी प्रणेता प्रायः समाज की विचारधारा को प्रेरित करते हुए सामाजिक परिवर्तन की वृहत् संरचना को विकसित किया। सामाजिक आन्दोलन के रूप में शिक्षा का प्रभावी स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि यह आन्दोलन क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में सामाजिक स्वरूप को एक संरचना के रूप में विकसित करता है जिससे सामाजिक प्रकार्य पूर्ण हो सके। शिक्षा के आन्दोलन के अन्तर्गत प्रायः चेतनात्मक स्वरूप का विकास होता है जिससे जीवनशैली को पुनर्व्यवस्थापित करने की क्षमता का विकास होना चाहिए जिससे परिवर्तन हेतु सामूहिक प्रयास की सफलता प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षा के आन्दोलन के अन्तर्गत कैमरिन ने यह स्वीकार किया कि आन्दोलन की परिपूर्णता हेतु संस्था तथा उद्देश्य और अवधि में निर्धारित की गयी नवीन योजनाओं के मध्य संतुलन की स्थीति होनी चाहिए। ऐसी दशा में सफल आन्दोलन तभी होता है जब समाज के अन्य घटक उसका सहयोग करें जिससे अधिकांश जनसंख्या पर चलाए गये आन्दोलनों का प्रभाव सार्थक रूप में पड़ सके और क्रियान्वित उद्देश्य अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त हो सके। सामाजिक आन्दोलन के सन्दर्भ में मैक्स वेबर द्वारा निर्धारित आदर्शप्रारूप के निर्माण पद्धति का उद्देश्य अत्यन्त प्रभावी रूप में दिखलाई पड़ता है। इसमें पृथकता तथा समानता को निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुभवजन्य यथार्थ की तुलना करना था। इस प्रकार आन्दोलन के अन्तर्गत निर्मित विचारधारा समाज के समूह में एक प्रायोगिक पद्धतिशास्त्रीय यंत्र होता है। यह तंत्र प्रायः शिल्प तथ्य के रूप में ऐतिहासिकता के आधार पर आधारित होती है। इस प्रकार के आन्दोलन का विराट प्रभाव बहुआयामी होता है। जिससे आन्दोलन का स्वरूप अन्य लोगों के लिए प्रभावी अंश के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज में शिक्षा की व्यवस्था का वर्णजनीत अधिसत्य सामाजिक व्यवस्था की दोषपूर्ण प्रणाली को दर्शाने लगा।

* पूर्व शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सामाजिक विकास के क्रम में शिक्षा व्यक्ति की आवश्यकता बनती गयी। जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सतत् प्रयास करने लगा, किन्तु इस प्रयास में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक असमानता और जातिगत विभेद रही है। जाति के स्थापना के सन्दर्भ में धर्म और धार्मिक विचार समाज को स्तरीकृत रूप में इस प्रकार विभाजित किये थे कि एक समूह का दूसरे समूह पर अन्तर्क्रियात्मक निर्भरता केवल जीवन जीने तक ही सीमित था जबकि विकास की परिपाटी में प्रायः दोनों एक–दूसरे की विचारधारा और क्रियात्मकता को प्रभावित नहीं करते थे।

भारत का इतिहास आन्दोलनों के इतिहास से परिपूर्ण रहा है। यह आन्दोलन प्रायः यहाँ पर निवास करने वाले जनसमुदायों को सन्तुलित व्यवस्था प्रदान करता रहा है। वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक संस्कृति तक जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए वह सभी विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों के परिणामों को दर्शाते हैं। यह आन्दोलन दार्शनिक पद्धति पर आधारित रहे हैं, किन्तु इनका साहित्यिक पक्ष अत्यन्त शक्तिशाली था। आरम्भिक आन्दोलन सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को आन्दोलन के रूप में प्रभावित करने का प्रयास किया गया। यह आन्दोलन जहाँ धर्मगत रूढ़ीयों को समाप्त करके नव आधुनिक वचारधारा को प्रेरित करने लगे। इनकी प्रेरणा से सामाजिक रूप से आबद्ध व्यक्ति अपने प्रेरणा और अधिकारों के लिए सतर्क रूप से सक्रिय हो गए। जिसके फलस्वरूप सामाजिक आयाम विकसित होने लगे। विकास की यह परिपाटी नेतृत्व के प्रति आम जनमानस को प्रेरित करने लगे जिससे व्यक्तित्व विशेष में नवीन सृजनशीलता का स्वरूप प्रदान किए। भारत के सन्दर्भ में जो भी शैक्षणिक विकास हुए हैं उसके प्रणेता, चिन्तक, पथ प्रदर्शक समय की माँग के अनुरूप सशक्त रूप से जुड़ते गये। भारतीय शैक्षिक आन्दोलन के विभाजन का स्वरूप अत्यन्त प्राचीन तथा प्रभावशाली रहा है। किन्तु कुछ प्रमुख विचारकों ने ऐसे आन्दोलन की धार को समग्रता की ओर मोड़ने का प्रयास किया। इनमें से कुछ प्रमुख शैक्षणिक आन्दोलनकर्त्ताओं के विचार सर्वकालिक और सर्वमान्य रहे हैं जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :

jktkjke ekgu jk; %

राजाराम मोहन राय ने अपने जीवन के कुल 61 वर्षों के दौरान शैक्षिक विकास को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना। इसका कारण था कि राजाराम मोहन राय तत्कालिन सामाजिक रूढ़ियों के निवारण हेतु शिक्षा को हथियार के रूप में बनाना चाहते थे। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में महिलाओं के सामाजिक दुदर्शा धर्म के नाम पर की जाती थी जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हो गया। राजाराम मोहन राय ने समाज की इस उपव्यवस्था को अस्वीकारते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण

को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। राजाराम मोहन राय प्रायः सहयोग और सहनशीलता को सामाजिक विकास की कड़ी में महत्वपूर्ण मानते थे जबकि धार्मिक अन्धविश्वास और स्वतंत्रता सम्बन्धित विचारधारा का विरोध करते थे। सति प्रथा के सन्दर्भ में उनके द्वारा किया गया कार्य भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आयी कमीयों के निराकरण के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण था। राजाराम मोहन राय नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि शिक्षा वह आदर्श है जिसके माध्मय से व्यक्ति समस्त सामाजिक दुर्गुणों को चुनौति के रूप में स्वीकार करते हुए उसका समाधान दे सकता है। राजाराम मोहन राय ने तत्कालीन समाज की सबसे कमजोर कड़ी नारी उत्थान तथा नारियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आन्दोलन आरम्भ किया। भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों ने इसे स्वीकार किया किन्तु अनेक धार्मिक रूढ़िगत विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों ने इसका विरोध किया। जबकि विश्व के आदर्श पटल पर राजाराम मोहन राय की और उनके शिक्षा प्रणाली पद्धति को स्वीकार किया गया। अनेक पाश्चात्य दार्शनिकों ने शिक्षा के सुधार की प्रक्रिया में राजाराम मोहन राय को आधुनिक युग का सुधारक तथा भारतीय नवराष्ट्रवाद का जनक माना जा सकता है।

Lokeh n;kuUn ljLorh %

राजाराम मोहन राय की भाँति ही स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी जीवन जीने की कला को सार्थक और अनुकरणीय रूप में प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा की प्राचीन परम्परा (वेदों की परम्परा) को स्वीकार करने की प्रेरणा समाज को देने लगे। राजाराम मोहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिक्षा का मूल आधार नारी शिक्षा था। इसमें जहाँ राजाराम मोहन राय ने शती प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। वहीं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बाल विवाह जैसी प्रथा पर कुठाराघात करते हुए तत्कालीन समाज पर इसके कुप्रभावों से अवगत कराया। वेदों की ओर लौटो और शिक्षा में किसी प्रकार के छुआ–छूत का विरोध करते हुए स्वामी जी ने ज्ञान के आधार पर ही सामाजिक कुरितियों को समाप्त करके आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है।

Lokeh foosdkuUn %

स्वामी विवेकानन्द की विश्वव्यापी ख्याति आध्यात्मिक चिन्तक के रूप में रही है। किन्तु राष्ट्रवादी चिन्तक के रूप में उन्होंने यह माना कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा जैसे आधारभूत तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका मानना था कि शिक्षा वैचारिक अथवा आध्यात्मिक धरातल पर राष्ट्र के प्रति प्रेम

और निष्ठा को विकसित करता है। इनका मानना है कि अतित में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति का विकास मुख्यतः धर्म और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में हुई थी। जिसका मूल आधार शिक्षा ओर ज्ञान था जिससे व्यक्ति सामाजिक विकास और परिवर्तन का मार्ग शांतिपूर्ण रूप से स्वीकार करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में जब कभी राजनीतिक सत्ता दुविधा और दुर्बलता के कारण सिथिल हुई तो शिक्षा ने उसकी पुनर्स्थापना को बल प्रदान की गयी। विवेकानन्द ने यह माना कि राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक पक्ष शैक्षिक आदर्शों और उन्नति पर आधारित है। अपने स्वतंत्रता विषयक विचार के सन्दर्भ में समान रूप से शिक्षा का पक्ष लेते हुए आप इसे मानव जीवन की अमूल्य निधि के रूप में मानते हैं। शिक्षा आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति का प्रभावशाली मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास स्वयं के साथ ही साथ सामुदायिक रूप से भी करता है।

i- enu ekgu ekyoh; %

मालवीय जी एक शैक्षणिक कर्मयोगी के रूप में अपनी पहचान विश्व पटल पर अंकित किए हुए हैं। शिक्षा के सन्दर्भ में मालवीय जी को किसी मानद उपाधि की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु उनका ज्ञान शिक्षा की मार्मिक रूप से सूक्ष्म रूप से विवेचित करने वाला रहा है। शिक्षा के सन्दर्भ में उनकी सहिष्णुतावादी संस्कृति ने धार्मिक रूप से समाजसुधारकों की श्रेणी में उच्चस्थान प्रदान किया। आपकी आरम्भिक शिक्षा का आधार धर्म और संस्कृति रहा है। संस्कृति को ही भारतीयों के सन्दर्भ में वैकल्पिक रूप से अनिवार्य भाषा माध्यम के रूप में जानना चाहते थे। किन्तु हिन्दी के प्रति उनका आकर्षण उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में अधिक था। मालवीय जी शिक्षा के सन्दर्भ में यथार्थवादी दर्शन की प्रक्रिया के रूप में स्वीकारते हैं। जिसमें आदर्श मूल्यों के अनुरूप भारतीयता के गुण विद्यमान हों। मालवीय जी शिक्षा के सन्दर्भ में किसी दबावमूलक प्रभाव अथवा विचार को परिभाषित नहीं करते हैं। उनका कथन है कि शिक्षा का तात्पर्य विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। जिसमें धर्म और नैतिकता का समावेश हो जो बालक के कर्त्तव्य का सामाजिक मूल्यांकन प्रकट करता हो। वह शिक्षा के व्यापक प्रभाव को सर्वांगिण विकास के रूप में स्वीकार करते हैं। इस दशा में मालवीय जी यह मानते हैं कि राष्ट्र के विकास का आधार शिक्षा ही होगा। शिक्षा के सन्दर्भ में उनका कथन है कि ''यदि देश का सम्पूर्ण विकास चाहते हैं तो उस प्रकार के सभी प्रयास करें जिससे कोई बच्चा निरक्षर न रह जाय।'' मालवीय जी समग्र विकास की संकल्पना को लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा के मध्य सहसम्बन्ध स्थापित करते हैं। उनका मानना

था कि अच्छे स्वास्थ्य से ही अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। यदि बालकों के स्वास्थ्य ठीक नहीं होंगे तो शैक्षणिक विकास भी कारगर रूप में सही नहीं हो पायेगा। यही कारण था कि मालवीय जी धर्म अनुरूप शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने स्वास्थ्य के सन्दर्भ में कहा कि स्वास्थ्य के तीन खंभे होते हैं– आहार, संयम और ब्रह्मचर्य। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय आवश्यकता को सहसम्बन्धित करते हुए मालवीय जी कहते हैं कि जिस राष्ट्र के नागरिक शारीरिक रूप से कमजोर होंगे उसका समग्र रूप से विकास सम्भव नहीं है। मालवीय जी विद्यालय के प्राकृतिक वातावरण में शिक्षक और विद्यार्थीयों के मध्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में क्रिया और अभ्यास की वृद्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं। वह शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और प्रविधिकी को जोड़ते हुए चरित्र निर्माण एवं धार्मिक शिक्षा का दर्शन का मूल्यात्मक स्वरूप स्वीकार करते हैं।

मालवीय जी सनातन धर्म के प्रबल समर्थक थे। किन्तु उनका यह समर्थन व्यावहारिक रूप से भाषाओं के समावेश पर आधारित था। यही कारण था कि मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना में किसी प्रकार की संकीर्णता को स्थान नहीं दिया और वह अपने कर्म क्षेत्र में क्रियात्मक समाजशास्त्री के रूप में सफल रहे। मालवीय जी की चिन्तन परम्परा को वर्तमान में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शैक्षीक पद्धति के रूप में देखा जा सकता है।

lUnHkZ xzUFk lwph %

1. राम नरेश त्रिपाठी : मालवीय जी के साथ तीस दिन।
2. सीता राम चतुर्वेदी : महामना पं. मदन मोहन मालवीय, खण्ड तीन।
3. डॉ. रामसकल पाण्डे : शिक्षा का दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार।
4. धनंजय चोपड़ा : पत्रकारिता के युग निर्माता मदन मोहन मालवीय।
5. डॉ. पुनित विसारिया : पं. मदन मोहन मालवीय; व्यक्तित्व और कृतीत्व।
6. डॉ. मिथिलेश पाण्डे : मदन मोहन मालवीय जीवन दर्शन।
7. उमेशदत्त तिवारी : मालवीय जी का स्वदेशी अर्थ चिन्तन योजना।
8. अभ्यूदय सन् 1901।
9. प्रज्ञा वर्ष 2010–11।
10. प्रज्ञा वर्ष 1996–2001।

lkbcj vijk/k % lEiR;;kRed fo'y"k.k

Mk- cky fo|k ikdk'k*

साइबरस्पेस शब्द की रचना विज्ञान कथा–साहित्य के लेखक विलियम गिब्सन ने अपने उपन्यास न्यूरोमेन्सर में की थी। यह शब्द वस्तुतः एक ऐसे समुदाय की ओर संकेत करता है जो कि एक–दूसरे से परम्परात्मक रूप में परिभाषित, समुदाय की अपेक्षा वृहत् कम्प्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस अवधारणा से हमें इनसे सम्बन्धित अवधारणाओं, जैसे– साइबर–समुदाय, साइबर सम्प्रेषण इत्यादि के उद्भव का ज्ञान होता है।

साइबर अपराध का स्वरूप एवं विस्तार सामान्यतः किसी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवेश की प्रकृति को प्रतिबिम्बत करता है। जब कभी परिवेश परिवर्तित होता है, अपराध की अन्तर्वस्तु एवं स्वरूप भी उस परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति से समाज की सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना में अनेक नये परिवर्तनों का जन्म होता है। ये परिवर्तन पूर्व–स्थापित नियन्त्रण व्यवस्था को विच्छिन्न कर बहुधा एक नवीन विचलनकारी एवं अपराधिक उप–संस्कृति को भी जन्म देते हैं। समकालीन आधुनिक समाज मूलरूप से इस नवीन अपराधिक उप–संस्कृति के मध्य संक्रमण से गुजर रहे हैं। फलतः आतंक, हिंसा, भ्रष्टाचार एवं अपराधी व्यवहार जन–जीवन का अंग बने जा रहे हैं। इस प्रकार अपराध सामाजिक, सांस्कृतिक समूह का दर्पण है। भारत में भी यह प्रघटना भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण तथा सूचना–समाज के सन्दर्भ में अभिव्यक्त होते दिखाई पड़ती है। कम्प्यूटर, इन्टरनेट और संचार के अन्य आधुनिकतम साधनों के माध्यम से दुनियाँ में राष्ट्रों, समुदायों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच की दुनियाँ का कम से कमतर होते जले जाना भूमण्डलीकरण का संकेतक है। कम्प्यूटर का चमत्कार है इन्टरनेट जो आधुनिक संचार प्रणाली का सर्वाधिक प्रचलित और सभी के लिए सुलभ रूप है जिसके माध्यम से एक प्रकार से दुनियाँ वास्तव में मुट्ठी में लगने लगी है। यह एक ऐसा कम्प्यूटर नेटवर्क है जो दुनियाँ भर के नेटवर्कों से मिलकर बना है। इसमें सभी वाणिज्यिक, गैर–वाणिज्यिक और अकादमीय नेटवर्क शामिल है। इन्टरनेट के माध्यम से तथ्यों और सूचनाओं का आदान–प्रदान और संचार की रफ्तार बेहद तेज हो गयी है।

---

* प्रवक्ता, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, केशव प्रसाद राल्ही पी.जी. कॉलेज, औराई, भदोही।

इन्टरनेट का प्रयोग कम खर्चीला और सहज है। अनगिनत विषयों, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में इन्टरनेट की सर्फिंग करके बहुत कम समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन्टरनेट ने ई–मेल की सुविधा प्रदान करके परस्पर संचार की शैली को तकरीबन बदल दिया है।

बताया जाता है कि सन् 1969 में अमेरिकी रक्षा अनुसंधान विभाग ने कम्प्यूटरों के सर्वाधिक किफायती प्रयोग के लिए इन्टरनेट का आविष्कार किया था। लेकिन, इन्टरनेट का संक्षिप्त इतिहास लिखने वाले **cl LVkfylx** का दावा है कि शीत युद्ध के दौरान आणुविक हमले में सभी तरह की संचार प्रणालियाँ नष्ट हो जाने के अन्देशा के कारण अमेरिका युद्ध मन्त्रालय द्वारा रक्षा–संचार को बनाये रखने के लिए एक अनियमित प्रकार की संचार प्रणाली का अन्वेषण करने के उद्देश्य से पहली बार इन्टरनेट का आविष्कार हुआ था। कम से कम एक बात तो तय है कि इस संचार प्रणाली को सरकारी पूँजी से विकसित किया गया था। इसे निजी पूँजी के हाथ दिया जाना इस बात का सबसे ताजा उदाहरण है कि बाजार की ताकतें कैसे राज्य का अपने हित में इस्तेमाल करती है। पहले इण्टरनेट का प्रयोग विश्वविद्यालयों और संस्थानों में ही होता था। नब्बे के दशक की शुरूआत में वर्ल्ड वाइड वेव (www) का विकास हुआ जब पाँच क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटिंग सेंटरों को मिलाकर बनाया गया। एन एस एफ नेट निजी संचार कम्पनियों को बेच दिया गया। (इससे पहले अरपानेट इन्टरनेट का आधार था जिसने निजी कम्पनियों के लिए तकनीकी गुंजाइश नहीं थी। इसी गुंजाइश को बनाने के लिए अमेरिका के नेशनल साइन्स फाउण्डेशन ने एन एस एफ नेट का निर्माण किया था।)

सन् 1994 तक वर्ल्ड वाइड वेव आम जनमानस में अपनी उपस्थिति और उपयोगिता दर्ज कर चुका था। इनके 'मल्टीमीडिया और 'हाइपरटेक्सट्स' से सम्बन्धित पहलू यूरोपीय संचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकसित ओ एस आई प्रोटोकोल स्टैक से बेहतर साबित हुए और जल्द ही यह तय हो गया कि इन्टरनेट अगली शताब्दी में भूमण्डलीय एकीकरण की सबसे प्रभावी प्रौद्योगिकी साबित होगी। अब जितने भी नये नेटवर्क दुनियाँ में बनाये जाते हैं, सभी इन्टरनेट में सम्मिलित हो जाते हैं और इसका दायरा उत्तरोत्तर व्यापक होता चला जाता है और इस तरह एक नेटवर्क सोसाइटी जन्म लेती है।

नेटवर्क सोसाइटी को ही सूचना समाज के नाम से जाना जाता है। कम्प्यूटरों के परस्पर सम्पर्क से बना जाल नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों के बीच

विचरण करने वाले इन्टरनेट के प्रयोक्ता नोटिजंस कहलाते हैं और नोटिंजस का समाज नेटवर्क सोसाइटी या सूचना समाज के नाम से जाना जाता है।

सिटीजन्स का समाज एक दूसरे से शरीरी तौर पर मिलकर समाज की रचना करता है। पर नोटिजन्स एक–दूसरे के आमने–सामने मिलें यह जरूरी नहीं है। वे नेट पर मिलते हैं, बातें करते हैं, सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हैं। विकसित प्रौद्योगिकी की मदद से अब वे एक–दूसरे को नेट पर देख भी सकते हैं। मित्रता कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक खास तरह का अशरीरी यौन आनन्द भी ले सकते हैं। सिटीजन्स का पता धरती के किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी संस्कृति, किसी मुहल्ले और किसी बस्ती की तरफ संकेत करता है, यानि धरती पर उसकी रिहाइश एक खास सीमाबद्धता की द्योतक होती है पर नेटिजन्स का इन्टरनेट पर एड्रेस इन सीमाओं से आजाद होता है। उस एड्रेस पर बिना देर किये पलक झपकते पहुँचा जा सकता है। इस तरह नेटिजन्स ठोस यथार्थ से वर्चुअल यथार्थ या वर्चुअल स्पेस में चले जाते हैं। एक ऐसे निराकार दायरे में जो कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया त्रिआयामी दायरा होता है। ई–मेल, वेव सर्फिंग और फिर बुलेटिन बोर्डों ने मिलकर यह निराकार दायरा बनाया है। साइबर स्पेस में टँके छोटे–छोटे बुलेटिन बोर्डों पर नेटिजन्स अपनी चिन्ताएँ सरोकार और विचार चस्पा कर सकते हैं। इन बोर्डों पर ही उन्हें अपनी बातों का जबाव भी मिलता है और इस तरह बहस का एक निराकार दायरा बनता चला जाता है।

नेटवर्क भी एक प्रकार के सामूहिक वजूद की तरह सामने आया है जो एक साथ तरल भी है और अमीबा की तरह स्वतः अपना खाना बटोरते हुए विकसित होता चला जाता है। नेटवर्क बीसवीं सदी की उन निर्मितियों जैसा ही है जिन्हें हम पार्टी राष्ट्र–राज्य या सर्वहारा के रूप में जानते रहते हैं। नेटवर्क खुद की पुनर्रचना करता चलता है। लगता है कि वह बिना किसी डिम्बाणु के ही पैदा हो गया है, लेकिन साथ में वह स्वयं का भक्षण भी कर सकता है अर्थात् वह स्वयं पैदा हो सकता है और स्वयं ही खत्म हो सकता है।

निःसन्देह भारत पूँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था की परिधि पर पड़ा हुआ देश है, तथापि इसमें नेटवर्कों से जुड़े हुए लोगों की संख्या दुनियाँ में सबसे कम है। आबादी के एक छोटे से हिस्से के पास ही बिजली की सुविधा है। यद्यपि भारत में साइबर स्पेस तक आम जनता की पहुँच अभी बहुत सीमित है पर इन्टरनेट प्रयोक्ताओं की तीन तरह के साइबर समुदाय उभर रहे हैं। नेटवर्कों के संजाल में एक नयी नागरिकता का बीज पनप रहा है। तीन तरह के जो साइबर समुदाय बन रहे हैं वे हैं :

1. राष्ट्रवादी राज्य द्वारा बनाया गया साइबर समुदाय,
2. बहुराष्ट्रीय अभिजनों द्वारा बनाया गया साइबर समुदाय, तथा
3. साइबर समुदाय बाजार और राज्य के बीच के गुंजाइशों में स्थित है जो नाना प्रकार के बुलेटिन बोर्डों और सामाजिक आन्दोलन के नेटवर्कों से मिलकर बना है।

परन्तु यह भी स्वीकार करना होगा कि नगरीय भारत में इन्टरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कम्प्यूटरीकरण, नेटवर्किंग और बहुराष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क पर नयी दृश्यावली का बोलबाला होने लगा है। यद्यपि सीमाओं की अस्पष्टता के कारण किसी साइबर–समुदाय को किसी खास सामाजिक, सांस्कृतिक समुदाय के समकक्ष नहीं माना जा सकता। समुदाय के निर्विवाद अस्तित्व का तर्क साइबर जगत् में नहीं चलता।

सम्प्रति सरकारी और निजी नेटवर्कों ने मिलकर भारत में अगणित इन्टरनेट प्रयोक्ताओं को एक सूत्र में बाँध दिया है। वैसे तो पश्चिम की तुलना में भारत में अब भी इन्टरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन तीसरी दुनियाँ के किसी भी देश की तुलना में भारत में साइबर–आकाश में यात्राएँ करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। निकट भविष्य में इस संस्था के तेजी से कई गुना जाने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। नेटवर्किंग का बाजार हर साल सौ फीसदी रफ्तार से बढ़ रहा है। भारत के इन्टरनेट प्रयोक्ताओं की संरचना की संक्षिप्त जानकारी से यह पता लग सकता है कि इन्टरनेट के साथ किस–किस तरह की सांस्कृतिक व्यवहार शैलियाँ जुड़ी हुई हैं। निजी नेटवर्कों के विस्तार के साथ ही घरों में इन्टरनेट के डायल–अप कनेक्शन इस्तेमाल करने वालों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूर संचार नीति के उदारीकरण के बाद लगता है कि जल्द ही निजी नेटवर्क सरकारी नेटवर्कों को पीछे छोड़ देगी।

भूमण्डलीकरण यदि दुनियाँ को बदल रहा है तो इस उद्यम में सउसका सबसे प्रभावी औजार है सूचना। पिछले दो दशकों में नेटवर्क सोसाइटी के रचना के माध्यम से एक नयी दुनियाँ का आविष्कार किया जा रहा है, जिसमें सब कुछ है पर किसी भी चीज की दैहिक उपस्थिति नहीं है। नेटवर्क एक अमीबा की तरह अपना भोजन खुद बटोरते हुए अपना विकास करता चलता है। मेनुअस कासल्स ने अपने तीन खण्डों में फैली हुई विस्तृत रचना दि राइज ऑव नेटवर्क सोसइटी, दि पावर ऑव आइडेंटिटी और ऐण्ड ऑव मेलिनियम में यही आख्यान प्रस्तुत किया है। कासल्स दावा करते हैं कि इक्कीसवीं सदी का नायकत्व सोसाइटी करेगी जिसे हम सूचना समाज कह सकते हैं। इस सन्दर्भ में कासल्स की रचना यूजेन

मालरेज की कृति दि सोल ऑव वाइट एंट की याद दिलाती है। मालरेज जन्तुओं के व्यवहार का अध्ययन करके उसे दिलचस्प औपचारिक शैली में व्यक्त करते थे। उनकी कृति पाठक को याद दिलाती है कि दीमकों के ढूह में हर दीमक की अलग–अलग शख्सियत नहीं होती, बल्कि पूरे ढूह को मिलाकर एक सम्पूर्ण शख्सियत बनती है। इसी तरह नेटवर्क भी एक नये किस्म के सामूहिक वजूद की तरह सामने आता है। लगता है कि जैसे नेटवर्क पर किसी का वर्चस्व नहीं है और उसे एक सामुदायिक सम्पत्ति समझा जा सकता है। पर इस नेटवर्क सोसाइटी में अपराधियों एवं महाअपराधियों की हैसियत क्या होगी जो सारी दुनियाँ को अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत रखते हैं? इन अपराधियों की चौधराहट का क्या हस्र होगा जिन्होंने आज के राजनेताओं के साथ मृदुल बना रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं कम्प्यूटर को अपना औजार बनाकर ये हजरत मानवतावाद के खिलाफ बगावत करके अनन्त अपराधिक व्यवहार की सम्भावनाओं के द्वार खोल दें और तानाशाह होकर राक्षसराज की स्थापना कर दें?

इस प्रकार हम देखते हैं कि साइबर अपराध अपराधिक व्यवहार का एक वृहत् एवं अद्वितीय स्वरूप है जो आधुनिक नेटवर्क सोसाइटी या सूचना में कम्प्यूटर, इन्टरनेट और संचार के अन्य आधुनिकतम साधनों के तीव्र विस्तार के परिणामस्वरूप उद्भूत हुआ है।

साइबर अपराध को परिभाषित करने का विषय इन्टरनेट के आविष्कार के परिणामस्वरूप बहुत ही जटिल है। उदाहरणस्वरूप, एक समाज या देश के आदर्शमानक दूसरे समाज या देश के आदर्शमानकों से भिन्न होते हैं। इस प्रसंग में यह प्रश्न उठता है कि किस समाज या देश के आदर्शमानकों को वरेण्य समझा जाय। इस समाज या देश को जहाँ उपादान या सामग्री की उत्पत्ति होती है अथवा जहाँ तक अन्ततः यह पहुँचता है।

lUnHk xUFk lph %

1. सिंह, श्यामधर, 'अपराधशास्त्र के सिद्धान्त', सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी, 2008.
2. Howard Rheingold, The Virtul Community Minevva, London, 1995.
3. Bill, Landreth, Out of the inner crime, Washington, 1989.
4. Moore are Cyber Crime investigating high tech. computer crime, Anderson Publising, 2005.

●

eÅ tuin eas xzkeh.k LokLF; dh fLFkfr ij jk"Vªh; xzkeh.k LokLF; fe'ku dk izHkko

vjfoUn dqekj ;kno*

izLrkouk %

देश के समग्र विकास में सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक अवसंरचना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एक प्रमुख घटक है। उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य के सन्दर्भ में कहा जाता है कि – ''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'' इसलिए शरीर की स्वस्थता अति महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में व्यक्ति का समग्र विकास सम्भव नहीं है।

भारत एक कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है। देश की समृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी सहित विभिन्न विद्वानों का मत है कि भारत की मूल आत्मा गांवों में ही निवास करती है। परन्तु स्वतन्त्रता के छः दशक बीत जाने के बाद भी देश के ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं अभावों से ग्रस्त है, जिसमें स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति भी एक प्रमुख समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण स्वास्थ्य की स्थिति अनुकूल अवस्था में नहीं है। आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 करोड़ बच्चे एवं महिलाएँ कुपोषण, एनीमिया के शिकार हैं। वर्ष 2010 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अशोधित जन्म दर 29.2 प्रति हजार, अशोधित मृत्यु दर 9.0 प्रति हजार, शिशु मृत्यु दर 67 प्रति हजार जीवित जन्म, बाल मृत्यु दर 15.7, ग्रामीण महिला प्रजनन दर 2.9 तथा जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष रही।

ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य हेतु मूलभूत सुविधाओं जैसे– भवन, कर्मचारी व दवाईयों का अभाव दिखाई देता है। गाँव में कुशल चिकित्सक और स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी के कारण प्रत्येक व्यक्ति को उचित स्वस्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों की दशा सोचनीय बनी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों तक बेहतर स्वस्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध

---

* शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

कराना एक बड़ी चुनौती है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तब तक देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है।

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आधारशिला 12 अप्रैल 2005 में रखी गयी। इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती, सुगम और उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस मिशन के अन्तर्गत प्रतिकूल स्वास्थ्य संकेतकों वाले राज्य – उ.प्र., मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और हिमालय प्रदेश मुख्य रूप से शामिल हैं। इन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएँ संतोषजनक नहीं है, अतः इन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य रक्षा के लिये सहायक गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है जैसे– पेयजल, शिक्षा, पोषण युक्त भोजन और लिंग समानता।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन में आयुष अर्थात् आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्साः यूनानी तथा हेम्योपैथ चिकित्सा प्रणाली को मुख्य धारा में लाने की योजना है। ये केवल सहज सुलभ व सस्ती है अपितु कम गम्भीर बीमारियों में अचूक लाभ देती हैं। इस मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, उपलब्धता, गुणवत्ता एवं जबावदेही में सुधार के माध्यम से समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों तथा विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत समग्र और प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है। उदाहरण के लिए– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मासिक स्वच्छता योजना, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण, नेशनल डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम आदि। इससे स्वस्थ ग्रामीण भारत का सपना साकार होने की उम्मीद है। इस मिशन के तहत गाँवों में स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियाँ गठित की गयी हैं। लगभग 2 लाख उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा 8 लाख से अधिक आशा और सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की गयी है। इसमें ग्रामीणों के स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान्य बीमारियों के लिए दवाईयों की उपलब्धता, सामूहिक टीकाकरण, प्रसव के लिए रेफलर और स्कार्ट सेवाएँ, सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषणीय आहार की व्यवस्था एवं घरों में

शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन और अन्य सरकारी प्रयासों के चलते आज ग्रामीण लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है।

जनसंख्या मानकों के अनुरूप नई ढाँचागत सुविधाओं को मंजूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक की बजाय दो चिकित्सकों की व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएँ, कर्मचरियों का प्रबन्धन और चिकित्सा उपकरणों का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अन्तर्गत एक भारतीय जनस्वास्थ्य मानक निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध यक्षता में गठित मिशन संचालन ग्रुप NRHM के लिए निर्देशक सिद्धान्त और नीतियां तय करेगा। परिवार कल्याण विभाग, A.Y.U.S.H.A., महिला और बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास पेयजल आपूर्ति क्षेत्र और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व करेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निम्न स्तम्भ बनाये गये हैं जो व्यापक एवं महत्वपूर्ण हैं :

1. सभी वर्गों की भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ाना।
2. प्रबन्धन क्षमता में वृद्धि
3. धन का सुगम प्रवाह
4. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मानव–संसाधन विकास की शुरूआत
5. लक्ष्यों का समय–समय पर समीक्षा एवं मूल्यांकन

हम कह सकते हैं कि भविष्य में भारत की आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अत्यन्त आवश्यक है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की ग्रामीणों तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में सार्थक नीतिगत उपाय किये जायें जिससे देश के ग्रामीण स्वास्थ्य परिवेश को बेहतर बनाया जा सके।

इसी क्रम में प्रस्तुत शोध में मऊ जनपद में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा।

'kks/k dk mnns'; %

प्रस्तावित अध्ययन ''मऊ जनपद में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रभाव'' के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति एवं सम्बन्धित सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के प्रभाव का अध्ययन करना।

3. ग्रामीणों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व सुविधागत संतुष्टि का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन की समस्याओं का अध्ययन करना तथा इसकी कमियों को दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

'kks/k dk egRo %

मानव जीवन के सम्पूर्ण विकास की दृष्टि से स्वास्थ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं नितान्त आवश्यक है। स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित है। अतः ग्रामीण स्वासथ्य की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। गाँवों में शिक्षा, रोजगार, यातायात के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) एक देशव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत देश के पिछड़े एवं दूर–दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है। इस प्रकार ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ifjdYiuk %

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का स्तर निम्न अवस्था में है तथा सम्बन्धित सुविधाओं का स्तर संतोषजनक नहीं है।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के स्तर एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के उचित क्रियान्वयन में विभिन्न समस्याएँ हैं जिन्हें दूर कर ग्रामीण स्वास्थ्य में प्रभावशाली सुधार किया जा सकता है।

iwoZ lkfgR;koyksdu %

देवी, डॉ. गायत्री (1998) अपनी पुस्तक ''ग्रामीण परिवारों में स्वास्थ्य का समाज विज्ञान'' में निष्कर्ष निकाला है कि भारत में ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य देश के आम नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक निम्न स्तरीय है। ग्रामीण महिलाएँ लिंग भेद का शिकार होने के कारण बचपन में ही कुपोषणग्रस्त हो जाती हैं। ग्रामीण भारत में 18 वर्ष से कम उम्र में विवाहित में 52.5 प्रतिशत रक्तल्पता से ग्रस्त तथा 58.2 प्रतिशत संस्थागत प्रसव का अभाव है। ग्रामीण स्वास्थ्य के प्रतिकूल संकेतक राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, बिहार, असम, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि।

feJk ,o i|jh ¼2004½ ने अपनी पुस्तक 'भारतीय अर्थव्यवस्था' में स्पष्ट किया है कि सम्पूर्ण भारत की तस्वीर देखें तो भारत में स्त्रियों की संख्या में कमी आ रही है। यह एक चिन्ता का विषय है। भारत में प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या लगातार घट रही है। जहाँ 1951 में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 972 थी वहीं 2001 में घटकर 933 हो गयी है। लिंगानुपात का मुख्य कारण यह है कि पितृ सत्तात्मक का का महत्व रहा है। महिलाओं के प्रति भेदभाव शारीरिक हिंसा जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न तथा बाल उत्पीड़न, गर्भावस्था के दौरान लिंग जाँच गर्भपात के मुख्य कारण हैं। किसी देश के सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति इसमें निवास करने वाले महिला/पुरुष के लिंगानुपात, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा जीवन प्रत्याशा से जानी जाती है, जो देश जितना विकसित होगा उन देशों में से जनांकिकीय समंक उतना ही उत्तम होगा।

fl|g] l|jUn cgknj ने कुरूक्षेत्र, 2008 (अप्रैल) में प्रकाशित बजट : ग्रामीण विकास को मिली खास तब्बजो' शीर्षक लेख में माना है कि ''भारत की 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है ऐसे में ग्रामीण विकास के लिए सशक्त और सम्मपन्न भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। जिसके विकास में एन.एच.आर.एम. की आवश्यकता है।''

;kno] Mk- fo t ; d|ekj ¼2008½ ने अपने अध्ययन में सरकार द्वारा एन. आर.एच.एम. के तहत कम्यूनिटी मॉनिटरिंग की बात चल रही है। 2001 के जनसंख्या मानक के अनुसार देश में 21481 उपकेन्द्रों, 3180 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में लिया जाने वाला संसाधनें का आवंटन संतोषजनक न हो। इसलिए इस बार आवंटित धनराशि 14291.52 करोड़ रुपये एन.आर.एच. एम. खर्च किया जाना है तथा देश का ग्रामीण परिदृश्य बेहतर बनाया जा सके।

ukjk;.k] ik- l|/kk ¼2004½ ने अपनी पुस्तक 'जनस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' में बताया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य का शोचनीय स्तर मूलतः निर्धनता एवं निरक्षरता का परिणाम है, जो एक विषैले कुष्ठ को जन्म देता है। विगत 6 दशकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी वृद्धि हुई है। प्रत्येक योजना में 15–20 बड़े ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित होते रहे हैं। वर्तमान में संचालित हो रहे 241 केन्द्रीय प्रचलित कार्यक्रम एवं परियोजना में 63 कार्यक्रम चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष तथा जनसंख्या नियन्त्रण से सम्बन्धित है।

Mk- vkuUn ¼2008½ अपने शोध प्रबन्ध 'वाराणसी जनपद में महिलाओं की प्रजननशीलता के सामाजिक–आर्थिक निर्धारक तत्व : एक अध्ययन (चिरईगांव विकासखण्ड के विशेष सन्दर्भ में)' इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नीची जन्मदर तथा मृत्यु दर जनांकिकीय संक्रमण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से

सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्षेत्रीय स्तर पर क्रियाशील करना, ग्रामीण स्वास्थ्य के जानकारियों के आधार पर एक समन्वित योजना का निर्माण करना तथा उनका क्रियान्वयन क्षेत्रीय पंचायती संस्थाओं तथा राज्य संस्थाओं द्वारा कराया जना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर निर्मित समन्वित योजना तथा उसका सफलीभूत क्रियान्वन होने पर ही बढ़ती प्रजनन दर एवं ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याओं पर रोक लगाया जा सकता है।

शोध प्रविधि :

शोध अभिकल्प : प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श : प्रस्तुत शोध में ''राष्ट्रीय ग्रामीण स्वासथ्य मिशन'' के सन्दर्भ में मऊ जनपद के दो विकासखण्डों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक निदर्शन विधि से किया गया है। एक विकासखण्ड विकसित तथा दूसरा विकासखण्ड अविकसित होगा। प्रत्येक विकासखण्ड से 5 गाँवों तथा प्रत्येक गांव से 30–30 परिवारों का चयन कर अध्ययन किया गया है।

तथ्य संकलन : शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गयी है। साक्षात्कार अनुसूची में सम्मिलित समस्त प्रश्न शोध विषय से सम्बन्धित है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संकलित किये गये तथ्यों को व्यवस्थित करने हेतु समानता व असमानता के आधार पर भिन्न–भिन्न वर्गों में विभाजित कर सारणीयन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित अध्ययन के व्यवस्थित विश्लेषण एवं वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण हेतु द्वितीयक समंकों का सहारा लिया गया है। यह द्वितीयक समंक पुस्तकालयों, शोध ग्रन्थों, पत्र–पत्रिकाओं, इण्टरनेट आदि से प्राप्त किये गये हैं।

सारिणी संख्या-1

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

आयु (वर्ष में)	आवृत्ति	प्रतिशत
20 से 25 वर्ष	103	34.33
26 से 31 वर्ष	71	23.67
32 से 37 वर्ष	48	16.00
38 से 43 वर्ष	24	08.00
44 से 49 वर्ष	18	06.00
50 से 55 वर्ष	36	12.00
योग	**300**	**100-00**

सारिणी संख्या–1 से स्पष्ट होता है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 34.33 प्रतिशत उत्तरदाता 20–25 वर्ष आयु समूह के हैं जबकि 23.67 प्रतिशत उत्तरदाता 26–31 वर्ष आयु समूह, 16 प्रतिशत उत्तरदाता 32–37 वर्ष आयु समूह, 12 प्रतिशत उत्तरदाता 50–55 वर्ष आयु समूह, तथा 8 प्रतिशत उत्तरदाता 38–43 वर्ष आयु समूह के हैं। सबसे कम 6 प्रतिशत उत्तरदाता 44.49 प्रतिशत आयु समूह के अन्तर्गत हैं।

lkfj.kh la[;k&2

efgykvksa esa jDr vYirk dh fLFkfr

efgykvksa esa jDr vYirk	vko`fÙk	izfr'kr
हाँ	76	25.33
नहीं	224	74.67
;ksx	**300**	**100-00**

उपर्युक्त सारिणी संख्या–2 से स्पष्ट होता है कि 74.67 प्रतिशत महिलाओं में रक्त अल्पता बीमारी नहीं मानते हैं। 25.33 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं में रक्त अल्पता जैसी बीमारी की बात स्वीकार करते हैं।

lkfj.kh la[;k&3

efgykvksa esa Vhdkdj.k dh fLFkfr

Vhdkdj.k	vko`fÙk	izfr'kr
हाँ	250	83.33
नहीं	20	06.67
कह नहीं सकते	30	10.00
;ksx	**300**	**100-00**

उपर्युक्त सारिणी संख्या–3 के अन्तर्गत परिवार में बच्चों के टीकाकरण के आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 83.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बच्चों को टीकाकरण करवाया है। 06.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाया है जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

lUnHkZ xzUFk lwph%

1. Census of India : Health in India - Analysis of 2011 Census Data, Office of Registrar General and Census Commissioner, New Delhi.

2. Chhabra, Rami et. al. (1987) : "Health and Demographic Consequences of Early Marriage and Fertility Social Change", Jawahar Publication, Jaipur.
3. Department of Family Welfare : The Family Welfare Programme, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, 2010, Suchana Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
4. नारायण, प्रो. सुधा (2004) : जनस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
5. देवी, डॉ. गायत्री (1998) : ग्रामीण परिवारों में स्वास्थ्य का समाज वैज्ञानिक मॉर्डन पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
6. दत्त, रुद्र एवं सुन्दरम्, के.पी.एम. (2012) : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., रामनगर, नई दिल्ली.
7. कुमार डॉ. वी. (2003) जनांकिकी : साहित्य भवन, पब्लिशर्स प्रा.लि. आगरा.
8. शुक्ल, डॉ0 एस.एम. एवं सहाय, डॉ0 एस.पी. (2012) : 'सांख्यिकीय विश्लेषण' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा.
9. शंकर, डॉ. गौरी एवं पाण्डेय, रवि प्रकाश (2004) : सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद.
10. सिंह, श्रीमती वृन्दा (2007) : मातृत्व कला एवं शिशु कल्याण, श्याम प्रकाशन, जयपुर.

i=&ifronu %

1. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, विभिन्न अंक।
2. स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति प्रतिवेदन, भारत सरकार।
3. 11वीं पंचवर्षीय योजना – 2007–12, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'NRHM' पत्रिका, नई दिल्ली.
5. सर्वे रिपोर्ट : न्यूट्रीशन स्टेटस ऑफ प्रीस्कूल चिल्ड्रेन इन इण्डिया, आई.सी. एम.बी., 2002.

●

lokfuoÙk ikFkfed f'k{kdk ,o f'kf{kdkvk dk ifjokj ,o lekt e lek;ktu dk ,d rqyukRed v/;;u ¼y[kuÅ egkuxj ij vk/kkfjr½

uhr*

आधुनिक समाज में एक बहस इस बात पर हो रही है कि सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्तियों की क्या स्थिति समाज में होनी चाहिये? इस बहस में जाने माने ज्ञानविद् अपने–अपने विचारों से इस विषय पर एक उचित स्वरूप तलाश रहे हैं।

सबसे पहले बुजुर्ग या बुढ़ापा का अर्थ समझना आवश्यक है। इसके लिये कोई निर्धारित आयु नहीं है कि किस उम्र से किसी व्यक्ति को बुजुर्ग या बूढ़ा कहा जाये। सामान्यतः 60 से 65 वर्ष और इसके बाद के व्यक्ति को बुजुर्ग या बूढ़ा माना जाता है। अलग–अलग देश में इसका अलग मापदण्ड है।

हेल्प ऐज इण्डिया के महानिदेशक, अवकाश प्राप्त मेजर जनरल आर.एस. पन्नू का मत है कि 65 से 75 वर्ष के बीच व्यक्ति कार्य करने में सक्षम होते हैं और समाज को योगदान भी दे सकते हैं। 75 वर्ष की आयु के बाद ही सेवा, सुरक्षा की जरूरत पड़ती है।

आज सभ्य समाज में वृद्धजनों की स्थिति एक नवीन सामाजिक समस्या के रूप में उत्पन्न हो गयी है। आज वृद्धजनों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आरम्भ में वृद्धजनों का पारिवारिक समायोजन काफी हद तक उत्तम अवस्था में था। परन्तु वर्तमान समय में संयुक्त परिवार का विघटन होने से इनकी दशा अत्यधिक दयनीय हो गयी। आधुनिक जीवन शैली में संयुक्त परिवार के स्वरूप को अत्यन्त विघटित कर दिया है। बड़े आकार के परिवार अब समाज में कम संख्या में हैं। एक ओर संख्यात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं तो दूसरी ओर गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का एक परिणाम यह भी हुआ है कि वृद्धजनों को परिवार की भूमिका में अनेक विसंगतियाँ व असंतुलन भी उत्पन्न हो गया है जिससे कुछ वृद्धों का जीवन–यापन दुर्दशा ग्रस्त हो गया है।

मैकाइवर एवं पेज का मानना है कि ''परिवार पर्याप्त यौन सम्बन्ध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन–पालन की व्यवस्था करता है।

---

* शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

डॉ. दूबे के अनुसार, परिवार में स्त्री–पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन सम्बन्धों की सामाजिक स्वीकृत रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करती है। परम्परागत समाज में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गयी, लेकिन उस समय वृद्धावस्था कोई विशेष समस्या नहीं थी। ऐसा इस कारण सम्भव था कि भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में व्यतीत करता था। इन आश्रमों में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम सामान्यतयाः वृद्धजनों के लिये था। कालान्तर में जब आश्रम व्यवस्था का तिरोभाव हुआ तब संयुक्त परिवार व्यवस्था में वृद्धजनों की इतनी सुदृढ़ स्थिति थी कि उनको सभी दृष्टिकोणों से सुरक्षा और अधिकार प्राप्त था। परम्परागत रूप से संयुक्त परिवार वृद्धजनों की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्यगत एवं अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान हेतु गारन्टी प्रदान करते थे। लेकिन औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकता ने व्यक्तिवादिता को प्रेरित किया जिसका परिणाम यह हुआ कि आज एकल परिवारों का प्रभाव बढ़ रहा है और वृद्धजन परिवार एवं समाज के लिये दिनों–दिन उपेक्षित होते जा रहे हैं।

भारत में न तो पश्चिम की तरह वृद्धों के लिये सुरक्षा गृहों की व्यवस्था है न तो प्रत्येक वृद्ध को आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था है। इस कारण वृद्धजनों को अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार संगठन के बिखराव की दशा में जहाँ अन्य सदस्यों को तनाव की दशा से गुजरना पड़ता है, वहीं वृद्धजनों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश की औसत आयु कम होने के कारण वृद्धों की संख्या कम थी, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद जैसे–जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्रेत वृद्धि होती गयी वैसे–वैसे व्यक्तियों की आयु प्रत्याशा में औसतन वृद्धि हुई।

20वीं सदी में परिवारों का विघटन आरम्भ होने के कारण नाभिकीय परिवार के आकांक्षा के कारण ही आजकल व्यक्ति के जीवन में दरारें ज्यादा पड़ गयी है, रिश्तों के बन्धन टूटते जा रहे हैं जिसका स्पष्ट प्रभाव वृद्धजनों पर पड़ता है। संयुक्त परिवार में वृद्धों की स्थिति अच्छी थी, परन्तु वर्तमान में एकाकी परिवार में उनकी स्थिति अधिक दयनीय होती जा रही है।

गिडिंग्स के अनुसार ''समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों का योग है, जिसमें परस्पर सम्बन्ध रखने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं।''

राइट के अनुसार, ''समाज व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के परस्परिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था है।''

मैकाइवर एवं पेज के अनुसार ''समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है जो निरन्तर परिवर्तनशील है।''

परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समाज में गतिशीलता के कारण हमारी मूल्य मान्यतायें बदल गयी हैं। परिवार संस्था एवं समिति दोनों ही रूपों में तेजी से परिवर्तित हो रहा है। परिवार में एक ओर जहाँ संख्यात्मक परिवर्तन हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर मानव आवश्यकताओं में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के कारण परिवार में वृद्धों की स्थिति एवं भूमिका में असंतुलन एवं अनेक विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं।

नाभिकीय परिवार के स्वरूप में जहाँ आधुनिक समाज के साथ सामंजस्य बना रखा है, वहीं परिवार एवं व्यक्तियों के लिये अत्यन्त घातक है। वृद्धजनों की दशा अत्यधिक गम्भीर होती जा रही है। युवा पीढ़ी आज अपने दैनिक जीवन के भागम–भाग के कारण उनकी भावनाओं का अनादर करती रहती है। उनका जीवन नीरस होता जा रहा है।

आज का व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। इस सोच के कारण वे सेवानिवृत्त वृद्धजनों की देख–रेख करने में नाकामयाब होते जा रहे हैं। आजकल आदमी के जीवन में व्यक्तिवादिता का महत्व बढ़ गया है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा कुछ किया जाये जिससे इन समस्याओं का निदान हो सके।

भारत सरकार ने वर्तमान समय में गरीब एवं असहाय वृद्धों को पेंशन की व्यवस्था तो की है, परन्तु इसका लाभ बहुत ही कम वृद्धों को मिल पाता है। अनेक वृद्धों की दशा इतनी गम्भीर हो जाती है कि उनकी मौत तक हो जाती है, इनकी देख–रेख न होने के कारण भारतीय समाज में वृद्धजन अपने को तनाव एवं संकट में पाते हैं। वृद्धों को जीवन जीने के दरमियान उनकी परिस्थितियाँ उनके अन्दर कैसी समझ पैदा करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय तो अकेलापन है, तनाव है और आधुनिक समाज द्वारा दिये गये टूटते सम्बन्ध हैं जिनको झेलने के लिये आज अधिकांश वृद्ध विवश है।

वर्तमान समय में चिकित्सा की प्रगति के कारण मानव की औसत आयु में वृद्धि हुई है, जिनके कारण वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है। अतः ऐसा अनुभव किया गया कि समाज एवं परिवार में सेवानिवृत्त सदस्यों की समस्याओं का अध्ययन किया जाये।

औपचारिक संगठनों में कार्योजन एवं सेवानिवृत्त एक अनिवार्य परिघटना है, लेकिन कार्योजित काल एवं सेवानिवृत्त के पश्चात् के काल एवं परिस्थितियों में व्यापक अन्तर होता है। कोई व्यक्ति जो किसी संगठन में औपचारिक पद पर कार्य करता है उसके कार्य का समय, कार्य की प्रकृति, कार्य की दशायें एवं कार्य का प्रतिफल अपने आप में विशिष्ट होता है। ऐसे में वह व्यक्ति जो निरन्तर 25–40 वर्षों तक किसी संगठन में कार्य कर चुका है। उसकी आदतें उसकी मनोवृत्ति एवं व्यवहार भी विशिष्ट बन जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कार्योजन अवधि पूरी होने के पश्चात् अवकाश प्राप्त करता है तो अचानक से उसकी परिस्थिति एवं भूमिका में ही परिवर्तन नहीं होता बल्कि उसे अपनी आदतों, मनोवृत्ति एवं व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके साथ ही उसके आय की मात्रा सामान्य तौर पर आधी और कभी–कभी समाप्त हो जाती है। इस तरह एक व्यक्ति अवकाश प्राप्ति के बाद अचानक से नवीन स्थितियों का सामना तो करता ही है साथ में कई नई समस्यायें भी उत्पन्न होती है।

सेवानिवृत्ति व्यक्तियों के साथ उपर्युक्त स्थितियों एवं समस्याओं में वृद्धावस्था स्वयं कई अन्य समस्याओं को उत्पन्न करती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद व्यक्ति में अनेक शारीरिक, मानसिक बीमारियाँ एवं समस्यायें उत्पन्न होती है। शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, नेत्र विकार तो आयु मूलक समस्या तो है ही, इसके साथ इस अवस्था में व्यक्ति की रोग–प्रतिरोधक क्षमता कम होने से दूसरी अन्य बीमारियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है।

इस अवस्था में सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। सेवायोजन के समय व्यक्ति को उसके कार्य के बदले एक निश्चित धनराशि मिलती है। इस धनराशि को वह स्वयं एवं परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करता है। लेकिन सेवानिवृत्त के बाद जब उसकी आय आधी या समाप्त हो जाती है तब वह स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब सेवानिवृत्त व्यक्ति के आश्रित बेरोजगार हो अथवा उनके आय प्राप्ति के कोई निश्चित स्रोत न हो इस तरह सेवानिवृत्त वृद्धजनों की अनेक समस्यायें हैं जिनका समाज वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

io! lkfgR; lo{k.k %

वर्तमान अध्ययन से सम्बन्धित कुछ अध्येताओं ने अध्ययन किये हैं जो इस प्रकार हैं –

वीरेन्द्र सिंह कपूर (1975) का अध्ययन – ''सेवानिवृत्त वृद्धजनों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है।'' इन्होंने अपने अध्ययन निष्कर्ष में पाया कि मात्र पेंशन से इनका जीवन नहीं चल पाता है। निम्न आर्थिक वर्ग एवं मध्यम आर्थिक वर्ग की अपेक्षा उच्च आर्थिक वर्ग का गुजारा आराम से चल जाता है। इसका कारण इसकी बचत अथवा उच्च आर्थिक वर्ग के आय के स्रोत अधिक होने के कारण अधिक साधनों एवं सम्पत्ति का एकत्रित करना हो सकता है।

वी.वी. गिरी ने ''भारतीय मजदूरों की श्रम समस्याएँ'' नामक पुस्तक में लिखा है कि भारतीय कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त वेतन, चिकित्सा सुविधा, बोनस एवं उन्हें कठिन कार्यदशाओं में कार्य करना पड़ता है।

डॉ. राजमणि श्रीवास्तव ने अपनी श्रम समस्याओं में लिखा है कि उम्र के बढ़ने पर भी कार्य उतना ही करना पड़ता है जितना कि कम उम्र में कार्य करना पड़ता था। इससे शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है।

केन्द्रीय वित्त सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी – डॉ. दयाशंकर सिंह ने युवा शक्ति और वृद्ध वर्ग की शक्ति के सम्बन्ध पर चर्चा करते हुए कहा है कि वृद्ध वर्ग का अनुभव और युवा वर्ग की शक्ति के समन्वय से परिवार समाज व राष्ट्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः यह आवश्यक है कि वृद्ध वर्ग के सदस्य युवा वर्ग के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन निष्पक्ष रूप से करे।

स्वामी सहजानन्द सरस्वती समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त, वयोवृद्ध प्रोफेसर राधाकृष्ण शर्मा ने वृद्धावस्था को जीव की सन्ध्या तथा डूबते सूर्य से तुलना करते हुए बताया कि इस अवस्था में शरीर व दिमाग कमजोर होने लगता है। आवश्यकता होती है सहारे की और सहायता की।

डाक–बोर्ड भारत सरकार के सेवानिवृत्त सदस्य श्री शिव प्रसाद राय ने बदलते सामाजिक परिवेश में सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभावित होना स्वभाविक बताते हुए कहा है कि प्रायः सभी समाजों की प्रगति 'लीनियर' न होकर जिंगजैग होती है। इसका एक मुख्य कारण पश्चिमी मूल्यों की ओर समाज का झुकाव रहा है।

सोशल एण्ड साइकोलॉजिकल एड्जस्टमेन्ट ऑफ एज्ड : द रोल ऑफ मार्डन एटीट्यूड नामक शोध पत्र में अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यद्यपि बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के साथ कमजोर सम्बन्ध रखते हैं तथापि उनके साथ मनोवैज्ञानिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वे मानसिक रूप से अपनी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से अपने को बचाते हैं। अतः आधुनिक मनोवृत्ति बुजुर्गों में अपनी समस्याओं को कम करने एवं उन्हें परिवर्तनकारी समाज में सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है।

v/;;u dh leL;k%

उपर्युक्त विवेचन एवं पूर्ववर्ती साहित्य के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि वृद्धजनों की समस्यायें दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। एकल परिवार का बढ़ता प्रभाव, परिवार में युवाओं का बढ़ता महत्व, आर्थिक कारकों की प्रधानता, व्यक्तिवादिता आदि के प्रभाव से वृद्धजनों की परिस्थिति एवं भूमिका परिवर्तित हुई है।

परम्परागत रूप से जहाँ समाज एवं परिवार में वृद्धजन सम्मानित एवं श्रेष्ठजन माने जाते थे, वहीं आज ये परिवार एवं समाज दोनों स्थानों पर उपेक्षा के शिकार हैं। यह स्थितियाँ सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के लिये भी समान हैं। सेवानिवृत्त के पश्चात् शिक्षकों के कार्य एवं भूमिका में परिवर्तन तो होता ही है साथ में उनकी आय भी कम हो जाता है। जिससे उनकी आर्थिक समस्याओं में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था के साथ–साथ उनमें शारीरिक, मानसिक, दुर्बलता तो आती है, साथ में अन्य शारीरिक बीमारियाँ भी हो जाती है, जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस तरह सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की अनेक सामाजिक समस्याएँ हैं, इन समस्याओं में शारीरिक और मानसिक रोग मिलकर उसे और जटिल बना देती है जिसका परिणाम यह होता है कि वे समाज और परिवार में अपना सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते। यह स्थिति व्यक्ति, परिवार एवं समाज के लिये समस्या उत्पन्न करता है। जिनका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये उपर्युक्त विषय का अध्ययन समस्या के रूप में चयन किया गया है :

v/;;u dk mnns';%

प्रस्तावित शोध कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1. सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के परिवार एवं समाज में परिस्थिति का तुलनात्मक स्वरूप ज्ञात करना।
2. सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की परिवार एवं समाज में भूमिका समायोजन की जानकारी ज्ञात करना।
3. सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की आर्थिक क्रिया–कलापों एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना।
4. सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की शारीरिक, मानसिक समस्याओं का अध्ययन करना।
5. सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सामाजिक गतिशीलता का पता लगाना।
6. सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के साथ अन्तर्पीढ़ीगत संघर्ष की स्थिति को ज्ञात करना।

midYiuk %

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित उपकल्पनायें निर्मित की गयी है :

1. संयुक्त परिवारों के सापेक्ष एकाकी परिवारों में सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के समायोजन की समस्या अधिक है।
2. विधुर एवं विधवा वृद्धजनों के सापेक्ष जीवित दम्पत्ति वाले सेवानिवृत्त वृद्धजनों के समायोजन समस्या कम है।
3. कम आयु के सापेक्ष अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त वृद्धजनों की समस्यायें अधिक है।
4. नियोजित सन्तानों वाले सेवानिवृत्त वृद्धजनों के सापेक्ष गैर नियोजित संतानों वाले सेवानिवृत्त वृद्धजनों की समस्यायें अधिक है।
5. परिवार में उपेक्षित सेवानिवृत्त वृद्धजनों के परिवार से बाहर सक्रियता अधिक होती है।
6. उच्च पारिवारिक आय का सेवानिवृत्त वृद्धजनों में पारिवारिक एवं सामाजिक समायोजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

'kks/k fof/k %

वर्तमान शोध में सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के पारिवारिक एवं सामाजिक समायोजन की स्थिति को ज्ञात करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अध्ययन को वर्णनात्मक शोध प्रारूप के आधार पर नियोजित किया जाना आवश्यक हो जाता है। अध्ययन में से उत्तरदाताओं के भूमिका समंजन की स्थिति के कारकों एवं अन्तर्सूक्षों की खोज भी की जायेगी, जिसके निमित्त गवेषणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया जायेगा। स्पष्ट है अध्ययन का प्रारूप वर्णनात्मक सहगवेषणात्मक प्रकार का होगा।

यह अध्ययन आनुभविक होने के कारण संदर्भित अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं से प्राथमिक तथ्य एकत्रित किये गये हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है। ऐसा इस कारण से कि अध्ययन के उत्तरदाता पढ़े–लिखें हैं तथा अध्ययन क्षेत्र का विस्तार अधिक है।

v/;;u dk {ks= %

प्रस्तावित अध्ययन का क्षेत्र लखनऊ महानगर है। लखनऊ महानगर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2528 वर्ग कि.मी. है। जिसकी कुल आबादी 45,89,838 है। पुरुषों की संख्या 23,94,476 तथा महिलाओं की संख्या 30,95,362 है।

प्राचीन काल से इसे लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता था। आज भी गोमती नदी के तट पर लक्ष्मण मेला मैदान है। जहाँ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता

है। अवध के नबाव इसे अपनी राजधानी बनाये। लखनऊ के विकास के लिये उन्होंने प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया। जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बेगम हजरत हमल ने अवध के लिए अंग्रेजों से मोर्चा लिया। अन्ततः वीरगति को प्राप्त हुई। आज भी उनके नाम पर बेगम हजरत महल बहुत ही प्रसिद्ध है। लखनऊ आज भी अपनी कला, संस्कृति की उदारता के कारण विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है।

lex ,o U;k;n'k %

वर्तमान अध्ययन लखनऊ महानगर पर आधारित है, अध्ययन का समग्र लखनऊ महानगर में निवास करने वाले सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक एवं शिक्षिकायें हैं। अध्ययन के दौरान इन सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लखनऊ से प्राप्त की गयी है। तत्पश्चात् दैवनिदर्शन प्रणाली की लाटरी विधि से 200 शिक्षक एवं 200 शिक्षिकाओं का चयन करके तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

rF; ladyu d lkr %

प्रस्तुत शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से तथ्यों का संकलन किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नलिखित है :

ikFkfed lkr & प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में निवासित सेवानिवृत्त वृद्धजनों से साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से किया जायेगा और उनसे प्राथमिक तथ्य संकलित किये गये हैं।

f}rh;d lkr & द्वितीयक स्रोत के रूप में विभिन्न पुस्तकों, साहित्यों, पत्र–पत्रिकाओं एवं सरकारी तथा गैर–सरकारी स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रतिवेदनों का प्रयोग किया गया है।

[kkyh le; e dN dju lEcU/kh fopkj %

lkfj.kh l[;k&1

[kkyh le; e fnup;k d vk/kkj ij mÙkjnkrkvk dk oxhdj.k

fnup;k	mÙkjnkrk	
	vko`fÙk	ifr'kr
सोते हैं	109	27.25
किताब पढ़ते हैं	91	22.75
दोस्तों के यहाँ मिलते हैं	17	04.25
टी0वी0 देखते हैं	103	45.75
;kx	**400**	**100-00**

सारिणी में दत्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 109 (27.25 प्रतिशत) उत्तरदाता खाली समय में सोते हैं और 91 (22.75 प्रतिशत) उत्तरदाता खाली समय में किताब पढ़ते हैं और सर्वाधिक 183 (45.75 प्रतिशत) उत्तरदाता खाली समय में टी.वी. आदि देखते हैं। 17 (04.25 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे हैं जो दोस्तों के यहाँ मिलते हैं।

निष्कर्षतः स्पष्ट है कि खाली समय में टी.वी. आदि को देखने वाले उत्तरदाताओं का बाहुल्य है।

lokfuo`fÙk d i'pkr lkFk jgu oky ykx %

lkfj.kh l[;k&2

lokfuo`fÙk d i'pkr lkFk jgu oky ifjokj d lnL; ,o mÙkjnkrk

ifjokj d lkFkh lnL;	mÙkjnkrk	
	vko`fÙk	ifr'kr
बहु–बेटों के साथ	181	45.25
पत्नी के साथ	107	26.75
बेटी–दामाद के साथ	27	06.75
एकांतमय जीवन	85	21.25
;kx	**400**	**100-00**

सारिणी में दत्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 181 (45.25 प्रतिशत) उत्तरदाता बहु–बेटों के साथ रहते हैं जबकि 107 (26.75 प्रतिशत) उत्तरदाता पत्नी के साथ रहते हैं और 27 (06.75 प्रतिशत) उत्तरदाता बेटी–दामाद के साथ रहते हैं। 85 (21.25 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे हैं जो एकान्तमय जीवन व्यतीत करते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सेवानिवृत्ति के बाद सर्वाधिक उत्तरदाता अपने बहु–बेटों के साथ रहते हैं।

lUnHk xUFk lph %

1. जगजीत सिंह (1992) : प्राबलम्स ऑफ द ओल्ड मैन इन बरेली, एन अनपब्लिस्ड थीसिस, पंजाब युनिवर्सिटी, चण्डीगढ़, पृ.सं. 02
2. सी.के. पुरोहित और आर. शर्मा (1972) : 'ए स्ट्डी ऑफ ऐज्ड 60 इयर एण्ड एबोव इन सोशियल प्रोफाइल', इंडियन जनरल ऑफ जेरेण्टोलॉजी
3. पी.के.बी. नायर (1980) : 'ए स्टडी ऑफ द वर्किंग ऑफ ओल्ड एज्ड पेंशन स्कीम इन केरला' समाजशास्त्र विभाग, केरल विश्वविद्यालय, केरला।

●

ldrkFk foKku % Lo:i vkj lUnHk

Mk- iou dekj flg*

संसार की प्रत्येक वस्तु अपने आप में कोई–न–कोई संकेत है। उस संकेत के माध्यम से ही वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। संकेतार्थ विज्ञान के स्वरूप पर भिन्न–भिन्न विद्वानों ने भिन्न–भिन्न संकेत दिये हैं। संकेत के दो प्रकारों कूट और कूट–मुक्ति के माध्यम से हम बहुत–कुछ जान लेते हैं। भाषा के विभिन्न प्रकार के संकेत पाये जाते हैं, जैसे : एकल संकेत, बहुस्तरीय संकेत, अंग–अंगी संकेत, विरोधी संकेत, पर्याय समतुलीय संकेत आदि। भाषा–विज्ञान में हम रूप–रचना, वाक्य–रचना का अध्ययन करते हैं। संकेतार्थ–विज्ञान संकेत और संकेतित की व्यवस्था का अध्ययन करता है।

संकेत–विज्ञान अर्थ और तथ्य दोनों को लेकर चलता है। सभी संकेतों का कोई–न–कोई अर्थ और तथ्यगत पक्ष होता है। अतः इसे संकेतार्थ–विज्ञान कहना समीचीन है।

संकेतार्थ–विज्ञान एक विस्तृत परिधि को घेरता है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संकेतों का अस्तित्व दिखायी देता है, जैसे : समाज के धनी वर्ग में निमन्त्रण देने के लिए पत्र छपवाये जाते हैं जबकि गरीबों में या कुछ जातियों में हल्दी, सुपारी, इलायची बाँटना ही पर्याप्त होता है। यह सभी संकेत है। इसी प्रकार, हाथ हिलाकर संकेत करना, चुटकी बजाना, किसी खास अंदाज़ में मुस्कराना, खाँसना, गहरी साँस लेना आदि अनेकों संकेत हैं। सड़क पर चलते–चलते अचानक लाल बत्ती को देखकर रुकना और हरी बत्ती को देखकर चलना भी एक संकेत है। अतः स्पष्ट है कि संकेत–विज्ञान का अपना प्रविशिष्ट अस्तित्व है।

संकेतार्थ–विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेलेन और एटोइकस का नाम उभरकर आता है। किन्तु इनके समय तक इसका स्वरूप क्या है? पद्धति क्या हो? उद्देश्य क्या हो?– कुछ निश्चित नहीं था। यह एक विज्ञान है, बस इसी विचार के आधार पर इसकी प्रतिष्ठा की बात हुई जिसकी तलाश में एक शती में एक नाम उभरा। जॉन लॉक ने, 'ऐसेज कन्सर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग' में संकेतार्थ–विज्ञान के लिए 'सिमिओटिस' नाम दिया जिसकी वर्त्तनी 'सिमिओटिक्स' से भिन्न थी। इसके साथ ही, उन्होंने इसे तर्कशास्त्र की शाखा के साथ जोड़ा। 17वीं शती के

* असि. प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद।

बाद बहुत दिनों तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ। 19वीं शती में इस विज्ञान की चेतना हमारे सामने आते है। 'रूलोन वैलस' ने 1867 में यह बताया कि संकेतार्थ–विज्ञान के दो भाग होते हैं– एक ओर तो सम्प्रेषणीयता से सम्बन्धित है और दूसरी ओर अर्थवत्ता से। बाद में जाकर फ्रायड और युंग ने संकेतार्थ व्यवस्था पर काफ़ी प्रकाश डाला। इसके बाद लेकन और शैन्ड्स ने विशद व्याख्या की।[1]

स्टोइक दर्शन के अनुसार, एक चिह्न हर हिसाब से द्वि–अर्थ बानी है। एक ओर तो यह सेंसिबल है और दूसरी ओर इन्टेलीजिबिल है। संकेत का दूसरा पारिभाषिक निर्वचक भी होता है। दांते ने अपनी पुस्तक 'डीवोलवलगरी ऑफ़ इलोक्यूसैंटिया' में इसका विवरण दिया है।[2]

इन विचारकों में सबसे बड़ा नाम अमरीकी विचारक–दार्शनिक तथा गणितज्ञ सी.एस. पीयर्स का है। पीयर्स को संकेत–विज्ञान का प्रैगमैटिक थिंकर माना जाता है। इसके बाद मॉरिस आते हैं जिन्होंने इनकी शिष्य–परम्परा को आगे बढ़ाया। संकेतार्थ–विज्ञान के प्रमुख विचारकों में सॉस्यूर का नाम महत्त्वपूर्ण है। संकेतार्थ–विज्ञान के क्षेत्र में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान है।

ldrkFk foKku % ey 'kCn ,o vxjth@fgUnh :ikUrj.k %

पाश्चात्य देशों में संकेतार्थ–विज्ञान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे : सिमिओलोजी, सिमिओटिक्स, सिमिओटिक सिमेटोलोजी। परन्तु 'इण्टरनेशनल एसोसिएशन फ़ार सिमिओटिक स्टडीज।' नामक संस्था ने 1969 ई. में इसके नामकरण की समस्या को सुलझाया तथा सिमिओटिक्स को उपयुक्त माना। इसका मूल शब्द यूनानी का सिमिओन है जिसका अर्थ साइन (संकेत) होता है।[3]

संकेत–विज्ञान अँगरेज़ी के 'सिमिओलाजी' या 'सिमियोटिक्स' का अनुवाद है। हिन्दी में इसे 'प्रतीक विज्ञान' भी कहा गया है जो सिम्बल का अर्थ देता है। चिह्नों को संकेत भी कहा जा सकता है और प्रतीक भी। चूँकि 'प्रतीक' रूढ़ अर्थ में सीमित हो चुका है, इसलिए इसे संकेत–विज्ञान कहना अधिक संगत और औचित्यपूर्ण है।[4]

ifjHkk"kdu %

ih;l के अनुसार– संकेतार्थ–विज्ञान वह विज्ञान है जो संकेतों की गतिविधियों के विषय में बताता है।

ekfjl के अनुसार– तीन भाग इस क्रिया से सम्बन्धित हैं– एक वह जो संकेत की तरह कार्य करता है, दूसरा वह जिसे संकेत व्याख्यायित करता है और तीसरा वह जो किसी वक्ता पर प्रभाव डालता है जिसके बदले में प्रश्न में जो वस्तु है वह वक्ता के लिए संकेत बनती है।

स्विस भाषा–विज्ञानी सॉस्यूर के अनुसार– वह विज्ञान जो समाज में संकेतों का अध्ययन या उनकी जिन्दगी का अध्ययन करता है या करने योग्य होता है, वह मनोविज्ञान की शाखा है। इसलिए मैं तो इसे सिमिओलोजी ही कहूँगा। यह सब यही बतायेगी कि संकेत कैसे बनते हैं, कौन–सा नियम उन्हें बनाता है। सामान्य विज्ञान के रूप में भाषा–विज्ञान में तो इसका एक हिस्सा है। जो नियम इसके खोजे गये हैं वह सब भाषा–विज्ञान पर लागू होंगे और सिमिओलोजी नृतत्त्व–शास्त्र के तथ्यों में समूह सहित इसको अच्छी तरह से घेर लेगा।

Lo:ixr fo'k"krk,¡ %

संकेतार्थ–विज्ञान सामान्य रूप से संकेतों का विज्ञान है। इसकी परिभाषाओं से इसके स्वरूप की विशेषताएँ सामने आती हैं। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि संकेत कैसे बनते हैं, कौन–से नियम उन्हें चालित करते हैं। यह साहित्य में संकेत और अर्थ के प्रकारों की चर्चा करता है। संकेतार्थ–विज्ञान 'अर्थ कैसे आता है'– इसको स्पष्ट करता है तथा 'अर्थ क्या है' इसकी चर्चा करता है। अर्थात् संकेत–विज्ञान संकेतों का विज्ञान है। अतः संकेत–विज्ञान के स्वरूप में सबसे अधिक महत्त्व संकेत का है। पीयर्स ने लिखा है– 'एक संकेत वैसा कुछ है जो किसी व्यक्ति के प्रति किसी सम्बन्ध या हैसियत से किसी वस्तु के लिए लागू होता है।'[5]

संकेत यादृच्छिक होता है, जैसे 'भाई' शब्द के पीछे जो विचार है उसका भ + आ + ई स्वन अनुक्रम से आन्तरिक सम्बन्ध नहीं है। यदि ऐसा होता तो अँगरेज़ी में इसे ब्रदर कैसे कहा जाता। संकेत की यादृच्छिकता के कारण ही भाषा को संशोधित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, क्योंकि जब किसी सम्बन्ध के पीछे कोई युक्ति–मूलक कारण नहीं होता तो उस पर विचार–विमर्श भी नहीं किया जा सकता। सॉस्यूर के अनुसार, भाषा की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति संकेतक है। ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ संकेतित है तथा दोनों के बीच यादृच्छिक सम्बन्ध संकेत है।

संकेत या तो प्राकृतिक हो सकता है या कृत्रिम। संकेत मिथ्या के लिए भी प्रयुक्त होता है : जैसे वंध्या–पुत्र, आकाश–कुसुम आदि। संकेत अनुमानित वस्तु के लिए भी प्रयुक्त होता है। यह अनुपस्थित वस्तु तात्कालिक या स्थायी (मृत) हो सकती है, जैसे– महात्मा गाँधी एक संकेत है : एक शब्द है, लेकिन वह उपस्थित नहीं है। संकेत को रेखीय मानते हैं अर्थात् संकेत और अर्थ का सम्बन्ध एक–स्तरीय है, बहु–स्तरीय नहीं।

lidrkFk&foKku d ie[k fpUrd % ih;l ,o lkL;j %

संकेतार्थ–विज्ञान की परिभाषा करते हुए भाषा–वैज्ञानिक सॉस्यूर कहते हैं कि 'वह विज्ञान जो समाज में संकेतों का अध्ययन या उनकी ज़िन्दगी का अध्ययन करता है या करने योग्य होता है, वह संकेतार्थ–विज्ञान है।[6]

संकेतार्थ–विज्ञान को जानने के लिए संकेत को जानना ज़रूरी है। संकेत में संकेतक और संकेतित, दो अलग परिस्थितियाँ होती हैं :

संकेत

संकेतक संकेतिक

पीयर्स– पीयर्स को संकेतार्थ–विज्ञान का 'पायनियर' अर्थात पथ–प्रदर्शक कहा जाता है तथा इन्हें संकेतार्थ–विज्ञान का ओम्वुड्समैन अर्थात् वन्यमार्गदर्शक माना जाता है। पीयर्स ने ही सर्वप्रथम सिमियोटिक्स पर विचार किया। संकेत की परिभाषा करते हुए पीयर्स ने कहा, 'संकेत वैसा कुछ है, जो किसी व्यक्ति के प्रति किसी सम्बन्ध या हैसियत से किसी वस्तु के लिए लागू होता है।'[7]

उन्होंने संकेत की कुछ विशेषताएँ भी बतायी हैं–

1. संकेत या तो प्राकृतिक होता है या कृत्रिम।
2. संकेत अनुपस्थित वस्तु के लिए भी प्रयुक्त होता है।
3. यह मिथ्या के लिए भी प्रयुक्त होता है और वैसी चीज़ के लिए भी प्रयुक्त होता है जो मिथ्या के लिए प्रयुक्त होती है।

इन्टरप्रिंटेंट को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो भाषिक संकेत होते है। उनमें जो संकेत होता है, उसे इंटरप्रिटेंट कहते हैं। वस्तु के अर्थ से जो विचार उद्भूत होते हैं उस वैचारिक और भावावेगों की अभिप्रायता को इंटरपप्रिंटेंट कहते हैं। पीयर्स ने इसके तीन भाग माने हैं– 1. इम्मीजिएट इंटरप्रिटेंट, 2. डायनेमिक इंटरप्रिटेंट, 3. फाइनल इंटरप्रिटेंट।[8]

पीयर्स संकेत के तीन भाग करते हैं– 1. तात्कालिक संकेत, 2. गत्यात्मक संकेत, 3. अन्तिम संकेत जो विशिष्ट नहीं होते तथा जिन्हें मनुष्य ही बनाता है। ये पम्परागत संकेत होते हैं।[9] लाक्षणिक और विधि–संकेतों में एक दूसरे में परिगमन भी होता है। पीयर्स वास्तविक संकेत के फिर आगे तीन भाग करते हैं– 1. सम्पूर्तिपरक वास्तविक संकेत, 2. नैरुक्तिपरक अनुवर्ती वास्तविक संकेत, 2. डायसेन्ट वास्तविक संकेत। विधि–संकेत भी तीन भागों में बाँटते हैं– 1. सम्मूर्तिपरक विधि संकेत, 2. डायरेक्ट विधि– संकेत, 3. नैरुक्तिपरक अनुवर्ती विधि–संकेत। विधि–संकेत किस प्रकार लाक्षणिक संकेत बनते हैं, इस बात का जवाब देते हुए पीयर्स कहते हैं : सिन साइन इज़ द रैपलिका ऑफ़ लेज़ी साइंज़। इसी

प्रकार, एक अन्य विद्वान् ने भी संकेतार्थ–विज्ञान के स्वरूप–निरूपण को अपनी दृष्टि में इस प्रकार उतारा है–

सॉस्यूर– सॉस्यूर संकेत को द्विपीक्षय मानते हैं। उनके अनुसार, संकेत स्वनिम तथा अवधारणात्मक दोनों पद्धतियों को साथ लेकर चलता है और भाषा का निर्माण करता है। स्वनिम पद्धति के भीतर अवधारणात्मक पद्धति का होना आवश्यक है।

संकेत

स्वनिम पद्धति अवधारणात्मक पद्धति

संकेत के साथ–साथ संकेतार्थ–विज्ञान की भी परिभाषा करते हुए सॉस्यूर कहते हैं कि 'यह वह विज्ञान है जो समाज के संकेतों या उनकी ज़िन्दगी का अध्ययन करता है या करने योग्य होता है।'[10] सॉस्यूर मनोविज्ञानी होने के कारण संकेतार्थ–विज्ञान को भी इसी निगाह से देखते हैं। वे भी संकेत के तीन भाग करते हैं– 1. इन्डेक्स, 2. आइवन, 3. साइन परोपर। सॉस्यूर तीनों में से संकेतार्थ–विज्ञान के केन्द्रीय रूप में साइन परोपर को ही मानते हैं। इसके पश्चात् वे 'कूट' (कोड) की बात करते हैं और उसे भी दो भागों में बाँटते हैं– 1. बद्ध कूट और 2. निम्नीय कूट। कूट अर्थों का पता बताते हैं। साहित्य में निम्नीय कूट इस्तेमाल होता है। इसके पश्चात् सॉस्यूर ने एक तकनीकी शब्द एनोग्राम सामने रखा जिसके अनुसार ध्वनियों का भी वर्गीकरण किया। वास्तव में सॉस्यूर ने संकेतार्थ–विज्ञान के सभी आधारों पर विस्तृत अध्ययन किया है।

मॉरिस– पीयर्स की शिष्य–परम्परा में अमरीकी दार्शनिक तथा संकेतार्थ–विज्ञानी मॉरिस ने संकेतों के विभिन्न प्रकार निश्चित किये जिनमें 16 प्रकार मुख्य हैं।

एकिक संकेत, सामान्य संकेत, वैश्विक संकेत, विश्लेषणात्मक संकेत, विरोधात्मक संकेत, अस्पष्ट संकेत, एकार्थी संकेत, अनेकार्थी संकेत, सम्मूर्तिपरक संकेत सम्मूर्तिहीन संकेत, स्ववृत्तमूलक संकेत, रूपात्मक संकेत, कारुणिक संकेत। इस तरह उन्होंने विभिन्न संकेतों की चर्चा करते हुए उनका वर्गीकरण किया है। मॉरिस ने इसके अलावा थ्री कन्सेप्ट ऑफ़ डारन सायोनर साइन भी बताये हैं :

1. (सकटैटिक्स) एक–रेखीय सम्बन्धों का अध्ययन करने वाले संकेत, 2. सैमीनेटिक्स, 3. प्रैगमैटिक्स।

fofHkUu vkykspuk&i.kkfy;k¡ vkSj ladsrkFkZ&foKku %

समाजशास्त्रीय आलोचना–प्रणाली– साहित्य का निर्माण मनुष्य द्वारा होता है। मनुष्य के निर्माण में समाज का बहुत गहरा हाथ होता है ओर उसके सभी

कार्य–व्यापार चाहे वे महत्त्वपूर्ण हों, चाहे न हों, किसी–न–किसी रूप में समाज द्वारा मर्यादित होते हैं। उनका किनारा कहीं–न–कहीं सामाजिक परिवेश में रखकर देखने का प्रयत्न करने वाली आलोचना को समाजशास्त्रीय आलोचना–प्रणाली कहा जाता है।

समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। जिस प्रकार प्रकृति–विज्ञान, जीव–विाान आदि एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान जैसे– समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि परस्पर सम्बन्धित हैं। समाजशास्त्र समाज के अन्तःसम्बन्धों का विश्लेषण करता है। अतः वह खण्ड–खण्ड रूप में सामाजिक सम्बन्धों का विश्लेषण कराने वाले अन्य विज्ञानों से जुड़ा है, जिनके अन्तर्गत हम धार्मिक, मानसिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि क्रियाओं का अध्ययन करते है। अतः समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों का सहारा लेकर समाज का समग्र अध्ययन करता है।

साहित्य पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी विचार किया गया है। यह यथार्थ में समाज के विविध क्रियाकलापों का चित्रण करता है। यह अपनी पूर्णता में विधि–संहिता की तरह लोगों की संस्कृति का परिचायक है.... इसके विषय और क्रियाएँ सामुदायिक परिस्थितियों की उपज है। यह उसी सीमा तक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है जिस सीमा तक संस्कृति को समृद्ध बनाता है ..... इस प्रकार, यह संस्कृति का निर्माता एवं अधिष्ठाता दोनों है। डेल्जियल उंकन का मत है कि 'महान् साहित्य विधायक कल्पना के आधार पर समाज में मानवीय प्रक्रियाओं एवं उनकी सम्भावनाओं के प्रतिफलन का इतिहास है।'[11] यह भी कहा जाता है कि 'साहित्य समाज की अभिव्यक्ति है।'[12] इस प्रकार, साहित्य और समाज का अभिन्न सम्बन्ध होता है। साहित्य सामाजिक निकाय है, क्योंकि यह भाषा का प्रयोग करता है जो सामाजिक उपलब्धि है। इसकी छन्द–योजना एवं प्रतीकवाद जैसी परम्परित मान्यताएँ भी सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम हैं। ये परम्पराएँ एवं मानदण्ड समाज की अनुपस्थिति में किसी शून्य क्षेत्र में प्रतिफलित होने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही, साहित्य जीवन को प्रस्तुत करता है जो सामाजिक यथार्थ का ही परिणाम है। समाजशास्त्र व्यक्ति के हितों को संरक्षण प्रदान करते हुए समष्टि की सामाजिक भावनाओं एवं विचारों का परितोषक और पथ–प्रदर्शक है।

euksoSKkfud vkykspuk&i.kkyh %

हिन्दी साहित्य में मनोवैज्ञानिक आलोचना को 'मनोविश्लेषणवादी' आलोचना का नाम दिया जाता है। मनोविश्लेषणवाद ने साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इसका आरम्भ औषधि–विज्ञान की वैज्ञानिक दृष्टि का प्रतिफलन है।

इसका आधुनिक साहित्य पर विशेष प्रभाव रहा है। अतः इसे मनोवैज्ञानिक आलोचना का नाम देना अधिक श्रेयस्कर है। फ्रायड ने इस क्षेत्र में आगमन के साथ मनोविश्लेषणवादी चिन्तन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ हैं आरम्भ में फ्रायड ने सम्मोहन द्वारा स्नायु–व्यतिक्रम के उपचार की व्यवस्था की। फ्रायड के अनुसार, मनुष्य का चेतन मन ही उसके अचेतन मन की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। अतः अचेतन मन की इन शक्तियों से परिचित होना और उसका उद्घाटन करना मनोविश्लेषणवाद की प्रमुख विशेषता है।[13]

उपर्युक्त विचारों और सन्दर्भों से प्रमाणित होता है कि– संकेत–विज्ञान भाषा की संरचना का अध्ययन करता है। वह हर तरह के बिम्बों, संगीतात्मक ध्वनियों, वस्तुओं, क्रिया–अनुष्ठान, परम्परा, साधारण मनोरंजन आदि की अर्थवत्ता का विश्लेषण संकेत के ढाँचों के आधार पर करता है। संकेतार्थ–विज्ञान अपने–आप में एक ऐसा व्यापक ज्ञानुशासन है जिसकी विविध कोटियाँ विचारकों द्वारा निर्धारित की गयी हैं। मूलतः संकेतार्थ–विज्ञान नृतत्त्वशास्त्र, परम्परा और संस्कृति, भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ है। संकेतार्थ–वैज्ञानिक आलोचना के द्वारा साहित्यिक सम्प्रेषण–प्रणाली की शक्ति और क्षमता का सम्यक् उद्घाटन करता है तथा यह बताता है कि किन अभिव्यक्ति–साधनों से साहित्य को महत्त्वपूर्ण कथ्य–सम्पत्ति और मर्म–क्षमता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से संकेतार्थ–विज्ञान की सैद्धान्तिक कोटियों को जब साहित्य में विशेष कर अनुप्रयुक्त किया जाता है तो संकेतार्थ–वैज्ञानिक आलोचना–प्रणाली हमारे सामने आती है। संकेतार्थ–वैज्ञानिक आलोचना–प्रणाली एक ऐसी आलोचना–प्रणाली है जिसमें कृति का कोई भी भाग अछूता नहीं रह जाता। यह आलोचना–प्रणाली कृति के कथ्य तथा मर्म तक पहुँच कर उसमें निहित अर्थवत्ता, गुणवत्ता को हमारे सामने ला खड़ा करती है। इस दृष्टि से यह आलोचना प्रणाली अपने आपको भाषा–विज्ञान से भी पुराना सिद्ध करती है तब भाषा–विज्ञान उसका एक अंग मात्र सिद्ध होता है।

I UnHk xUFk I ph %

1. करेंट ट्रेंड्स इन लिंग्विस्टिक्स, थॉमस ए. सिबिओक (पेरिस : माउण्ट एण्ड कम्पनी, दहैग्यू, 1974), पृ. 239
2. वही, पृ. 240
3. वही, पृ. 240
4. बच्चन सिंह, आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीच शब्द (दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन, 1983) पृ. 170
5. वही, पृ. 110

6. फ़र्दिनांद सॉस्यूर, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, अनुवादक : वेद वास्किन (फ़ोन्टेना प्रकाशन, 1971), पृ. 133
7. उद्धृत : जसपाल सिंह, इन ल्यू ऑफ़ ऐन इंट्रोडक्शन, सिमिओसिस एण्ड सिमिओटिक्स (चण्डीगढ़ : लोकायत प्रकाशन, 1982), पृ. 17
8. उद्धृत शशिभूषण शीतांशु, शैली–विज्ञान का इतिहास (दिल्ली : वाणी प्रकाशन, 1983), पृ. 68
9. उद्धृत : करंट ट्रेंड्स इन लिंग्विस्टिक्स, (खण्ड 12), थामस एसिबिओक (सम्पा.), (पेरिस : माउण्ट एण्ड कम्पनी द हैग्यू, 1974) पृ. 244–247.
10. शिवकरण सिंह, आलोचना के बदलते मानदण्ड और हिन्दी साहित्य, (इलाहाबाद : किताब महल, 1967), पृ. 59
11. वही, पृ. 59
12. वही, पृ. 59
13. वही, पृ. 28

●

i;kZoj.k tutkx:drk lEcU/kh ennns ,o ehfM;k

jtuh'k mik/;k;*

स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। पर्यावरण का मनुष्य से सम्बन्ध और मनुष्य की पर्यावरण पर निर्भरता सृष्टि के आरम्भ से ही चली आ रही है। स्वस्थ पर्यावरण में रहकर मनुष्य अपने दैनिक जीवन के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ईंधन के लिये लकड़ी, आवास के लिये आवश्यक सामग्री भोजन के लिये अन्न–फल–सब्जी तथा पीने के लिये स्वच्छ जल सब कुछ मनुष्य को पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। मनुष्य की लगभग सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण द्वारा सम्भव है परन्तु मनुष्य की लोलुपता की पूर्ति पर्यावरण द्वारा सम्भव नहीं है। सोने की अण्डे देने वाली मुर्गी रूपी इस पर्यावरण से सभी अण्डे (संसाधन) एक साथ प्राप्त कर लेने के लालच में मनुष्य इस पर्यावरण रूपी मुर्गी की हत्या कर रहा है उसके इस कुत्सित प्रयास का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक असन्तुलन के रूप में मनुष्य को ही प्राप्त होना है। विकास के लिये पर्यावरण का अन्धाधुन्ध दोहन मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अति वृष्टि–अनावृष्टि भूस्खलन बाढ़ आदि से लाखों लोग असमय काल कवलित हो जाते हैं। इस प्राकृतिक विनाश का मूल कारण मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। औद्योगिक विकास के नाम पर वन सम्पदा का नाश नगरीकरण के नाम पर भू–सम्पदा का दृरुपयोग यह सब मनुष्य द्वारा ही किया जा रहा है जिसका दुष्परिणाम भी मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन से पारिस्थितिकी संकट, अतिशयवादी औद्योगिकीकरण से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि समस्यायें निरन्तर बढ़ती जी रही है। भारतीय संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा (1976) देश में पर्यावरण की सुरक्षा, राज्य के नीति निदेशक तत्व और नागरिकों का मूल कर्तव्य अधिघोषित किया गया कि सभी नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण की जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि शामिल हैं की रक्षा करें उनका सम्वर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें। स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन के

---

* शोध छात्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

विकास तथा प्रदूषित पर्यावरण मानव जीवन के विनाश का कारक है। तीव्र औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ा दी है और आज सम्पूर्ण विश्व इस विनाशकारी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है।

पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं और मानवीय क्रियाकलापों से हमारे पर्यावरण का अधिकाधिक ह्रास हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिये कुछ तो करना ही होगा। प्रायः हम सोचते है कि यह सब ऐसे कार्य है जो सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। लेकिन हम अपने पर्यावरण के लिये दिन–प्रतिदिन खतरे पैदा करते रहे तो सरकार इसकी सफाई के लिये कितना करेगी। क्यों और किसके लिये करेगी। पर्यावरण क्षरण की रोकथाम हमारे जीवन का अंग होना चाहिये। जिस प्रकार किसी भी रोग के इलाज से बेहतर उसकी रोकथाम होती है उसी प्रकार पर्यावरण को क्षेति पहुँचाने के बाद उसकी भरपाई करने की तुलना में पर्यावरण का संरक्षण आर्थिक दृष्टि से अधिक व्यवसायिक है और उपयुक्त भी। पर्यावरण प्रबन्धन में हम व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी रोक सकते हैं और ऐसे सजग प्रहरी की भूमिका निभा सकते है जो पर्यावरण ह्रास और प्रदूषण के स्रोत की जानकारी सरकार को दें। यह कार्य केवल जन जागरण द्वारा ही सम्भव है। आधुनिक और पारम्परिक संचार के माध्यम जनमत पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहे तो संचार माध्यम हमारे प्रयासों को और धारदार बनायेंगे। लोकतन्त्र में राजनीतिज्ञ जनता के समर्थन वाले आन्दोलनों पर हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। इसलिये हम अगर पर्यावरण संरक्षण के समर्थन किसी गैर सरकारी संगठन को दें तो बहुत सम्भव है कि हम राजनेताओं को हरित नीतियों के निर्माण के लिये प्रभावित कर सकें। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक ऐसे अन्तरिक्ष यान की तरह है जिसके पास संसाधनों की आपूर्ति सीमित है। हममें से हर एक की यह जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोगों तक यह सन्देश पहुँचायें तभी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरण सम्भव हो सकेगा।

यदि हम ऐसे क्षेत्र में जहाँ प्राणी या उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र न हो, वहाँ छोटे–छोटे ऐसे प्रकृति संचेतना क्षेत्र कायम कर सकें जो प्राकृतिक परितन्त्र की नकल हो और जिसकी विशेषताओं के बारे में लोगों को समझाया जा सके तो ऐसे तरीके लोगों में प्रकृति संरक्षा, संचेतना और जागरूकता जगाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। एक छोटे से बगीचे में घास के मैदान में, ताल के पारितन्त्र में अथवा किसी शान्त नदी या समुद्र के तट पर इनको कायम किया जा सकता है। लोगों का इससे लगातार कम होती जा रही प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा का

महत्व समझने में भी आसानी होगी। इस प्रकार इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना जागृत कर सकते हैं।

अब से लगभग 5 वर्ष पूर्व तक पर्यावरण संरक्षण के समय आम व्यक्ति के मस्तिष्क पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू–क्षरण जैसी पर्यावरण संबंधी समस्याएं ही छायी रहती थी। परन्तु आज इन विभिन्न समस्याओं ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया है। यह है ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् गरमाती पृथ्वी। आज पर्यावरण की सारी समस्याएं इसी के इर्द–गिर्द घूमती नजर आती हैं।

i;kZoj.k D;k gS

पर्यावरण के अंतर्गत जीव–जन्तु, वनस्पति, वायु, जल, प्रकाश, ताप, मिट्टी, नदी, पहाड़ आदि सभी अजैविक तथा जैविक घटकों का समावेश है। इसमें वह सब कुछ समाविष्ट है, जो पृथ्वी पर अदृश्य एवं दृश्य रूप में विद्यमान है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण को पारिभाषित करते हुए कहा गया हैः पर्यावरण में एक ओर पानी, वायु तथा भूमि और उनके मध्य अंतःसंबंध विद्यमान है, और दूसरी ओर मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु एवं सम्पत्ति सम्मिलित हैं। भारत में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरुकता 321 और 300 ईसा पूर्व के मध्य से देखी जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णन किया था।

XykScy okfeZax %

वैज्ञानिकों के अनुसार वातावरण में मौजूद ग्रीनहाउस गैसें लौटने वाली अतिरिक्त उष्मा को सोख रही है, जिससे धरती की सतह का तापमान बढ़ रहा है। ऐसी आशंका है कि 21वीं सदी के बीतते–बीतते पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो जाएगी। भारत में बंगाल की खाड़ी के आस पास यह वृद्धि 2 डिग्री तक होगी, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में पारा 4 डिग्री तक चढ़ जाएगा। सूखा, अतिवृष्टि, चक्रवात और समुद्री हलचलों को वैज्ञानिक तापमान वृद्धि का नतीजा बताते हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान वृद्धि के कारण समुद्र स्तर में जो वृद्धि होगी वह दुनिया के तटीय इलाकों में कहर बरपा देगी। एशिया महाद्वीप इसलिए सर्वाधिक प्रभावित होगा कि इस महाद्वीप में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। चीन, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान में सर्वाधिक जन–धन की हानि होगी। तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार समुद्र–स्तर में एक मीटर वृद्धि से भारत के 5764 वर्ग

किलोमीटर तटीय क्षेत्र डूबने की संभावना है, जिससे अनुमानतः 7.1 मिलियन लोग विस्थापित होंगे।

ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए बैंकॉक में 120 देशों की बैठक हुई । इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट के अनुसार अगर दुनिया की कुल आमदनी का तीन प्रतिशत हिस्सा भी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने पर खर्च किया जाए तो 2030 तक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है।

ehfM;k dh Hkwfedk %

इस धरती पर अब तक न जाने कितनी ही सभ्यताएं उदित और नष्ट हुई, इसका ब्यौरा भी अभी तक मनुष्य नहीं ढूंढ पाया है। हम उन सभ्यताओं को ढूंढते–ढूंढते स्वयं भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरणीय जागरुकता, पर्यावरण शिक्षा में व्यापक चेतना लाने में मीडिया भी उल्लेखनीय भूमिका निभा सकता है। पर्यावरणीय नीतियों के निर्धारण और नियोजन में जनसामान्य की सहभागिता तभी प्रभावी हो सकती है जब उन्हें पर्यावरणीय मुद्दों की पर्याप्त सूचना एवं जानकारी समय–समय पर दी जाए। मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वे वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न होने वाली पर्यावरणीय घटनाओं, समाचारों और सूचनाओं को जनसामान्य तक इस ढ़ंग से पहुंचाए कि वे तथ्यों का सही विश्लेषण कर अपनी राय बना सकें। मीडिया का लक्ष्य पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से व्यक्ति को समझ, विवेक, व्यावहारिक–ज्ञान, कौशल प्रदान करना होना चाहिए। व्यक्ति, समाज, देश एवं राष्ट्र में पर्यावरण के प्रति न केवल जागरुकता, चेतना एवं रुचि जागृत करना होना चाहिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करना भी होना चाहिए।

i;koj.k tkx:drk ,oa fçV ehfM;k %

प्रिंट मीडिया (मुद्रित माध्यम) पर्यावरणीय जनसंचार का एक सशक्त और व्यापक माध्यम है। भारत में 19 प्रमुख भाषाओं सहित 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में समाचारपत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। यह माध्यम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सर्वाधिक जीवन्त माध्यम है। पर्यावरण संरक्षण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती हैं बशर्ते कि मीडियाकर्मी उद्देश्यपरक दृष्टिकोण अपनाएं। इस माध्यम के द्वारा पर्यावरणीय सूचना प्रसारण, पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण, पर्यावरणीय समाचारों, कार्यक्रमों, लेखों, फीचरों, साक्षात्कारों का प्रकाशन जनमत निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती हैं। पोस्टरों और चित्रों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण बचाओ,

पर्यावरण के प्रति प्रेम, पेड़ लगाओ, पर्यावरण और प्रदूषण आदि से संबंधित संक्षिप्त किन्तु प्रभावशाली संदेशों को जनसामान्य के मध्य सम्प्रेषित किया जा सकता है।

i;koj.k tkx:drk ,o byDVkfud ehfM;k %

इलेक्ट्रानिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, मल्टी मीडिया और ऑडियो–वीडियो, स्लाइड, निओन साइन आते हैं।

रेडियो के माध्यम से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन सम्प्रेषित होता है। इस माध्यम से सामान्य जन तक पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण शिक्षा, वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण, पेड़ लगाओ अभियान कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी आसानी से भेजी जा सकती हैं। भारत में मुम्बई में रेडियो क्लब द्वारा जून, 1923 में प्रथम बार प्रसारण हुआ था। आकाशवाणी से विविध प्रकार के प्रसारण किए जाते हैं, जिनमें सूचना, शिक्षा, मनोरंजन एवं व्यापारिक विज्ञापन आदि मुख्य है। हरित क्रांति को आगे बढाने में रेडियो प्रसारणों ने महत्वूर्ण भूमिका निभाई थी। पर्यावरण संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों, प्रदूषण निवारण के उपायों, .षि और औद्योगिक विकास, सतत विकास और पर्यावरणीय जागरुकता एवं शिक्षा कार्य आदि से संबंधित संदेशों को जन–जन तक पहुंचाने में रेडियो की अपनी सशक्त भूमिका है।

दूरदर्शन का भारत में 15 सितम्बर, 1959 को शैक्षणिक उद्देश्यों के साथ आरंभ हुआ। दूरदर्शन जनता के बहुत करीब है। पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने में इसकी भूमिका काफी हद तक सहायक हो सकती है। कचरे एवं अपशिष्ट का प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, सामाजिक वानिकी, वन्य जीवन संरक्षण, कृषि विकास, जल और भूमि के संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कानूनों का दूरदर्शन एवं अन्य टेलीविजन चैनलों के माध्यम से प्रसारण द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

ग्लोबल वार्मिंग आज एक चुनौती के रूप में मनुष्य के सम्मुख खड़ी है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मीडिया आम जन में जागरुता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। मीडिया ने हिन्दुओं के एक पवित्र धाम श्रीबद्रीनाथ जी के मंदिर स्थल का कवरेज टीवी चौनल पर दिखा कर तथा समाचार–पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित करके इसी दिशा में एक पहल की है। इसमें दिखाया और बताया गया है कि यदि पर्यावरण के प्रति हम समय रहते नहीं चेते तो हो सकता है कि श्रीबद्रीनाथ धाम अपना अस्तित्व ही खो दे।

flusek %

फिल्म उद्योगों का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। फिल्में जनसामान्य को शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम है। फिल्म और चलचित्र के माध्यम से पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, हमारे पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण आदि की जानकारी आसानी से दी जा सकती है। पर्यावरण पर डॉक्यूमेंट्री एवं फीचर फिल्में भी बनाई जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण आदि विषयों से संबंधित अधिक से अधिक फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता है ताकि जनसामान्य को सार्थक जानकारी एवं ज्ञान प्रदान किया जा सके।

i;kZoj.k tkx:drk ,oa lwpuk çkS|ksfxdh %

भारत में इंटरनेट का जन्म 15 अगस्त, 1995 में हुआ था। तब से लेकर उपयोगकर्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग विश्वव्यापी तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से उपयोगी है। पर्यावरण के विविध पक्षों की जानकारी एवं आंकड़े इन्टरनेट पर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्यावरणीय अनुसंधान, नियोजन और प्रबंधन में इससे प्राप्त जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी का एक नया क्षेत्र मल्टीमीडिया है। इसमें लेखन सामग्री, ध्वनि, वीडियो, द्विआयामी या त्रिआयामी ग्राफिक्स और एनीमेशन शामिल हैं। इसका उद्देश्य लोगों को एक नियंत्रित ढंग से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना है। इसके माध्यम से जैव विविधता एवं वन्य जीवन पर जानकारी मनोरंजक के साथ साथ शिक्षाप्रद भी बन जाती है। इसके माध्यम से यह लाभ होता है कि यदि वास्तविक .श्यों पर फिल्म बनाई जाए तो लागत कई गुना आती है, जबकि मल्टीमीडिया से यह कार्य सस्ते में एवं सरलता से सम्पन्न हो जाता है।

i;kZoj.k tkx:drk ,oa ijEijkxr ek/;e %

परम्परागत माध्यम या लोक माध्यमों की जड़ें ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में गहरी पैठी हैं। इनके माध्यम से न केवल ग्रामीण जन जीवन की सामाजिक—सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होती है बल्कि ये माध्यम पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय चेतना के प्रसार में भी सहायक हो सकते हैं। लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, नौटंकी, कठपुतली आदि लोक माध्यम के साधन हैं। ये माध्यम श्रोताओं से सीधा सम्पर्क बनाते हैं। अतः इनके माध्यम से पर्यावरणीय सूचना और संदेश प्रभावी ढंग से सम्प्रेषित हो जाते हैं। इनका उपयोग नगरों की अपेक्षा गांवों में आसानी से किया जा सकता है क्योंकि ये उनकी परम्परागत माध्यम लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम होते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति समय–समय पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पिछले वर्षों में भारत में कई पर्यावरणीय आंदोलनों का जन्म हुआ। मीडिया ने इन आंदोलनों को व्यापक स्थान दिया और इनके उद्देश्यों से जनता को अवगत कराया। ये आंदोलन हैंः चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध विरोधी आंदोलन, मूक घाटी, एप्पिको आंदोलन, भोपाल गैस त्रासदी, विष्णु प्रयाग बांध, चिलिका आंदोलन एवं पानी बचाओ आंदोलन और दिल्ली का वायु प्रदूषण नियंत्रण आदि।

मीडिया को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि वे अपनी बात समाज के किस वर्ग को किस माध्यम के जरिए पहुँचा रहे हैं। उन्हें जहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों की अवहेलना करने वाली घटनाओं को सामने लाना होगा, वहीं जो संस्थाएँ पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा काम कर रही हैं उनके कार्यों को भी उजागर करना होगा। यह निर्विवाद सत्य है कि कानून, उपदेश और दबाव की तुलना में मीडिया पर्यावरण संबंधी जनचेतना जगाने की दृष्टि से काफी कारगर सिद्ध हो सकता है।

i;koj.kh; f'k{kk vkj tkx:drk %

पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता का प्रमुख चरण यह है कि हम ऐसे लोकाचार का सृजन करें जो समाज मे निर्वहनीय जीवन शैली का आधार बने। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक अनिवार्य पाठ्यक्रम चलाने की बात कही और उस आदेश के अनुपालन में अखिल भारतीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित भी हो रहे हैं। इसका एक मात्र उद्देश्य यही है कि छात्र जीवन में ही मनुष्य अपने पर्यावरण के बारे में विस्तार से जाने, उसके लाभ–हानि का मूल्यांकन करे और तब पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत होकर जागरूक प्रहरी की भूमिका निभायें तथा लोगों को प्र.ति से प्रेम करने के लिये प्रेरित करें।

पर्यावरण की नैतिकता से सम्बद्ध दो पक्ष हैं पहला प्रकृति के महत्व को समझना तथा उसके सौन्दर्य को महसूस करना और दूसरा है प्रकृति की शान को बचाकर रखना।

lnHk xUFk lph %

1. संसाधन एवं पर्यावरण, डा. दशरथ सिंह एवं डा. एम.सी. पाल, विजय प्रकाशन मंदिर, वाराणसी।
2. संसाधन एवं पर्यावरण, डा. चतुर्भुज मामोरिया एवं डा. बी.एल. शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

3. Ecology and Environment, P. D. Sharma, Rastogi Publications, Meerut.
4. Environmental Studies, Deepti Rani, Aradhana Prakashan, Agra.
5. परिचयात्मक भूगोल, डा. एस.डी. कौशिक, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।
6. पर्यावरणीय शिक्षा, डा. दशरथ सिंह एवं डा. एम.सी. पाल, विजय प्रकाशन मंदिर, वाराणसी।
7. सामान्य विज्ञान शिक्षण, एस. सेंगर, कविता प्रकाशन, जयपुर।
8. पर्यावरणीय शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त, डा. दशरथ सिंह एवं डा. एम.सी. पाल, विजय प्रकाशन मंदिर, वाराणसी।
9. प्रसार शिक्षा, डा. आराधना श्रीवास्तव, विजय प्रकाशन मंदिर, वाराणसी।
10. समसामयिकी महासागर, अरिहन्त मीडिया प्रमोटर्श, कालिन्दी ट्रान्सपोर्ट नगर, मेरठ।
11. पर्यावरण अध्ययन, डा. एस. पुरोहित, डा. पी.पी. देव एवं डा. अशोक के. अग्रवाल स्टूडेण्ट एडिसन जयपुर।
12. उपाध्याय, डॉ. अनिल कुमार : गांधी विकास एवं पत्रकारिता, मीडिया इक पब्लिकेशन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 2003
13. कपिल, एच.के. : अनुसंधान विधियाँ, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2001
14. कोठारी, गुलाब : पत्रकारिता, जनसंचार और विज्ञापन, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि., जयपुर, 1999
15. गुप्ता, डॉ बी. आर. : भारत में जनसम्पर्क का विकास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1984

●

d'f"k e| efgykvk dk ;kxnku

MkW- je'k dekj d'kokgk*

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (संयुक्त राष्ट्र) की एक रिपोर्ट के अनुसार *''दुनिया की 98 प्रतिशत पूँजी पर पुरुषों का कब्जा है। पुरुषों के बराबर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पाने के में औरतों को अभी हजार वर्ष लगेगें।''* पितृसत्तात्मक समाजों में अब तक यह पूँजी पीढ़ी—दर—पीढ़ी पुरुषों को पुत्राधिकार में मिलती रही है, आगे भी मिलती रहेगी। आश्चर्यजनक है कि श्रम के अतिरिक्त मूल्य को ही पूँजी माना जाता है, मगर श्रम की परिभाषा में घरेलू श्रम या कृषि श्रम शामिल ही नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप आधी दुनिया के श्रम का अतिरिक्त मूल्य यानी पूँजी को बिना हिसाब—किताब के ही परिवार का मुखिया या पुरुष हड़प कर जाते हैं। सारी दुनिया की धरती और (स्त्री) देह यानी उत्पादन और उत्पत्ति के सभी साधनों पर पुरुषों का ***^lokf/kdkj lajf{kr**** है। उत्पादन के साधनों पर कब्जे के लिए उत्तराधिकार कानून और उत्पत्ति यानी स्त्री देह पर स्वामित्व के लिए विवाह संस्था की स्थापना (षड्यन्त्र) बहुत सोच—समझकर की गई है।[1]

पूरी दुनिया में खास तौर से दक्षिण एशिया में महिलाएं उत्पादक के रूप में, भोजन की व्यवस्था करना बच्चों के पालन—पोषण, घर को बनाने में व प्राकृतिक संसाधनों को प्रबंधक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जीने के तमाम संसाधनों में पूर्ण रूप से योगदान करती है, परन्तु उसके इस योगदान को पूरी तरह से नजर अंदाज किया जाता है।[2]

कृषि में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पुरुष प्रधान भारतीय समाज में महिला की कृषि में भागीदारी को तहेदिल से कभी भी स्वीकारा नहीं गया। कृषक महिलाएं जहाँ बच्चों को पालना, घर की साफ—सफाई करना, चूल्हा—चौका करना आदि कार्य करती हैं वहीं खेत पर खाना पहुँचाना, पुरुष सदस्यों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खेत में भी काम करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खेती में बुवाई से लेकर फसल कटाई और इसके बाद के कार्यों में महिलाएं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे बीज का चुनाव करती है, पौधे लगाती है, निराई—गुड़ाई करती है और हरी खाद तथा गोबर की खाद तैयार करती है। पशुपालन पर महिलाओं का एकाधिकार—सा है। पशुओं को चारा—खिलाना,

---

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (कोर) समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

दूध दोहना, पशुओं को बाँधना, उसकी देखभाल करना, दही जमाना, छाछ–घी बनाना, घर में खेत से आए अनाज को इकट्ठा करके रखना महिलाओं की जिम्मेदारी से पूर्ण होता है, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है, तो महिला को दरकिनार करते हुए पुरुष प्रधान समाज अपना हक जताते हुए तुरन्त आगे आ जाता है तथा इनमें महिला की सहमति या असहमति का तो प्रश्न हीं नहीं उठता।

भारत जैसे विकासशील देश की आर्थिक प्रगति अधिकांशतया कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित उद्योग पर निर्भर रहती है। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान करीब एक तिहाई है। जहाँ तक कृषि कार्यों में मानव श्रम की भागीदारी का प्रश्न है, तो यह स्पष्ट है कि कृषि कार्यों में पुरुष, महिला एवं बच्चों तीनों की भागीदारी रहती है, लेकिन भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में कृषि कार्यों के योगदान में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के योगदान को ही अधिक महत्व दिया जाता रहा है। यह सही है कि वर्तमान युग में महिलाओं के योगदान को भी पहचाना जा रहा है, जो महिला श्रम को कृषि कार्यो में एक सही दिशा दे रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि विकासशील देशों में अन्न उत्पादन क्षेत्रों में महिलाओं का पचास प्रतिशत योगदान है और खाद्य निष्पादन में शत–प्रतिशत महिलाएँ ही कार्य करती है। कई कृषि कार्य ऐसे है जिन्हें महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा कर सकती है जैसे–धान की रोपाई, निराई–गुड़ाई, पशुपालन आदि अतः स्पष्ट है कि महिला का न केवल कृषि कार्यों में, बल्कि पशुपालन के कार्य जैसे पशुओं को चारा, पानी देना, दूध–दूहना, पशु बाड़ो की सफाई करना जैसे कार्यों में महिलाएँ अपना अदम्य योगदान देती है। कृषक महिलाएँ संसार के लगभग आधे भोजन का उत्पादन करती है, परन्तु जमीन का स्वामित्व नहीं रखती। संसार में मजदूरों की कुल संख्या में महिलाओं का हिस्सा लगभग 1/3 है। भारतवर्ष में महिला श्रमिक कुल वयस्क श्रमिकों का 31 प्रतिशत से ज्यादा है।[3]

एक अध्ययन के अनुसार भारत में महिलायें मूल्य, मात्रा तथा काम के घंटों के आधार पर सबसे बड़ी खाद्य उत्पादक है। भारत के हिमालयी क्षेत्र में एक हेक्टेयर खेत में एक बैल साल भर लगभग 1064 घंटे काम करता है, जबकि एक पुरुष 1212 घंटे, लेकिन यहाँ की महिला 3485 घंटे काम करती है। इस प्रकार एक महिला का काम एक बैल और पुरुष दोनों के कुल काम से अधिक होता है। एक महिला एक हेक्टेयर खेत में लगभग 640 घंटे निराई, 384 घंटे सिंचाई, 640 घंटे गोबर व खाद की ढुलाई, 557 घंटे बुआई तथा फसल की कटाई व मड़ाई में लगाती है। इसका अर्थ यह है कि महिला खेती में पूरी श्रमशक्ति का 61 प्रतिशत देती है।[4]

कृषि में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और सरकारी अनुमानों के अनुसार देश में खेतिहर मजदूरी और स्वरोजगार में लगे लोगों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की कुल महिला मजदूरों का 89.5 प्रतिशत तथा इससे सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रों में लगा है। मछली पालन जिसमें मछलियों को सुखाना, बेचना, जालों की मरम्मत और झींगा मछली का प्रसंस्करण शामिल हैं। वानिकी के क्षेत्र में महिलाएँ वन उपज संग्रह करने (इमारती लकड़ी को छोड़कर) वनों पर आधारित लघु उद्योग जैसे टोकरियाँ बनाना, झाडू बनाना, रस्सी बनाना आदि कार्यों में महिलाओं का प्रतिशत काफी ऊँचा है।[5]

कृषि में महिलाओं की स्थिति जानने के लिए हमें उनके सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक जीवन के बारे में जानना आवश्यक है इसके अन्तर्गत बहुत सारे पहलू सम्मिलित होते है जैसे–शिक्षा, रोजगार, प्रतिव्यक्ति आय, जीवन स्तर, प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति, जन्मदर, शहरीकरण, सामाजिक मानसिकता एवं वैधानिक अधिकार इत्यादि। महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिकांश महिलाएँ पीछे रह गई है तथा शोषण व अत्याचार का शिकार हुई।

आज भागीदारी की दृष्टि से कृषि, पशु व्यवसाय, हथकरघा आदि क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के अनुपात में काफी सीमा तक वृद्धि हुई है। पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से सम्बन्धित नये आयाम उभरकर सामने आए है। अब महिलाएँ इलेक्ट्रानिक, टेली कम्यूनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन, संगठित क्षेत्र के उद्योग, विधि, चिकित्सा संबंधी, प्रशासनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों में आगे आ रही है। महिलाएँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 60–80 प्रतिशत तक योगदान करती हैं तथापि उनकी बहुत सारी क्रियाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता हैं। एक अनुमान के आधार पर महिलाओं की अवैतनिक श्रम की नगद वार्षिक कीमत लगभग 4 खरब डॉलर होती है जो विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक तिहाई भाग हैं। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

आर्थिक सुधारों के बाद से महिलाओं का योगदान धीरे–धीरे बढ़ रहा है। वह प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं चाहे व निजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 2001 में बढ़कर 17.8 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2000 में कारखानों एवं वृक्षारोपण में कार्यरत श्रमिकों में महिला श्रमिकों की संख्या क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत थी। असंगठित क्षेत्रों में कम से कम 80 प्रतिशत महिला श्रमिक कार्य करती है। असंगठित क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की स्थिति पर

विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में महिलाओं का शोषण होता है, उनसे कम मजबूरी पर कार्य कराया जाता है तथा उनके रोजगार की भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं होती।[6]

0k;Ld Jfedk e efgykvk dh fgLlnkjh ,o lg;kx[7]

(एक अन्तर्राष्ट्रीय तुलना)

n'k	0k;Ld Jfedk e efgykvk dh fgLlnkjh ¼ifr'kr e½
स्वीडन	47
चीन	45
जाम्बिया	44
आस्ट्रेलिया	43
दक्षिण अफ्रीका	37
श्रीलंका	36
भारत	31
पाकिस्तान	13

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2000–2001

कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को कहीं भी नहीं आँका जाता परिणामस्वरूप योजनाओं के निर्माण में महिलाओं के योगदान को कहीं भी स्थान नहीं मिल पाता। कृषि और कृषि आधारित ग्रामीण उत्पादन में अदम्य योगदान देने वाली महिलाओं के लिए समस्याओं की कमी नहीं है। इन्हें लम्बे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनकी उत्पादकता कम है तथा नई–नई कृषि तकनीकों तक पहुँच नहीं है। इन्हें कम मजदूरी पर या पारिवारिक मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। इनका भूमि, ऋण, पानी, खरीद–फरोख्त और प्रबंधन जैसे संसाधानों तक पहुँच और नियंत्रक कम है। स्त्री–पुरुष असमानता पर आधारित प्रसार सेवाओं के चलते इन्हें प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। महिलाओं को बहुआयामी भूमिका निभाने के लिए आवश्यक सहायक सेवाओं की भी कमी है। स्त्री–पुरुष भेदभाव आधारित मजदूरी दरे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यावसायिक जोखिम आदि कृषक महिलाओं की प्रमुख समस्याएँ है।

हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का काफी अभाव है, जिसमें स्त्रियों का शिक्षा प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा कम है। रूढ़िवादी समाज के कारण महिलाएँ कृषि शिक्षा से वंचित है। **^gfjr Øk¡fUr*** (Green Revolution) आने के पश्चात्

कृषि में नई–नई यान्त्रिक तकनीकों का विकास हुआ परन्तु प्रशिक्षण के अभाव में महिलाएँ हाथों से कृषि कार्य करती है, जिससे कृषि कार्य धीमी गति से होता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मानव श्रम घण्टों का दो तिहाई भाग महिलाओं का होता है।[8]

efgykvk ,o i#"kk dk —f"k e ;kxnku[9]

dk;Hkkj	i#"k	Ekfgyk
खिलाना–पिलाना	05%	95%
जुताई	95%	05%
पशुपालन	50%	50%
ईधन–पानी	10%	90%
उत्पादक प्रसंस्करण	10%	90%
भण्डारण	20%	80%
ढुलाई	20%	80%
कटाई	40%	60%
निराई–गुड़ाई	30%	70%
रोपाई	50%	50%
बाजार	70%	30%
खेतों की सफाई व समतलीकरण आदि	95%	05%
कुल कार्यभार	40%	60%

efgyk vkj Hkfe vf/kdkj %

महिलाएँ बहुत बड़े पैमाने पर भूमि अधिकार से वंचित है जिस कारण वे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुरुषों पर आश्रित है और यह स्थिति मौजूदा वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के दौर में और भी गम्भीर होती चली जा रही है। इसके चलते बड़े पैमाने पर विस्थापन एंव बलपूर्वक कृषि योग्य भूमि तथाकथित विकास एवं आर्थिक उन्नति के नाम पर छीनी जा रही है, जिसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर ही पड़ती है व उन्हें ही सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है।

इन सभी परिप्रेक्ष्यों में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत करने एवं उनका सशक्तिकरण करने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं के जीवन को सुरक्षित करने के लिए उनके भूमि अधिकार को सुनिश्चित करना होगा। भूमि अधिकार केवल सम्पत्ति का अधिकार नहीं, परन्तु यह अधिकार महिलाओं को जीवन–यापन का आधार, आजीविका की सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान

करेगा। यह अधिकार महिलाओं को उनके आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। जिससे वह अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सुरक्षा काफी हद तक कर सकती हैं। महिलाओं को भूमि अधिकार मिलने पर वे जीवनयापन के संसाधनों पर अपने हिस्से को सुनिश्चित कर सकती है जो कि समाज में समस्त प्राणियों के जीने का आधार है। तथा यह अधिकार महिलाओं को न केवल उनकी भूमि व श्रम के ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगा अपितु उनकी स्थिति घर एवं समाज में भी मजबूत व बेहतर करेगी।[10]

दक्षिण एशिया एवं दक्षिण अफ्रीकी देशों में भी महिलाओं को भूमि का कानूनी अधिकार नहीं है, यद्यपि उनको जोताई का अधिकार व घर बनाने का अधिकार प्राप्त है। खेती के काम को घरेलू काम का हिस्सा माना जाता है न कि आर्थिक कार्य के तहत देखा जाता है। पूरे विश्व में महिलाओं के भूमि अधिकार का प्रतिशत काफी कम है। भूमि रिकार्ड में भूमि के उपयोग के संबंध में भी उनका नाम कहीं दर्ज नहीं किया जाता, जबकि महिलाएं पूरे विश्व का 67 प्रतिशत कार्य करती हैं, तथा उनकी आय पूरे विश्व की आय की केवल 10 प्रतिशत है। औरतों की उत्पादन या श्रम शक्ति पर पुरुषों का कब्जा है। मर्द, घर के भीतर औरत द्वारा की जाने वाली मेहनत और घर के बाहर कमाई के लिए की जाने वाली मजदूरी दोनों पर नियंत्रण रखते है। घर के अंदर औरतें परिवार के बच्चों, पतियों तथा अन्य सदस्यों के लिए जीवन भर मेहनत करती रहती है। ***^^flfYo;k oYch bl ^^mRiknu dh fir`lÙkkRed i).kkyh*** का नाम देती है। इसके तहत पति तथा परिवार के अन्य सदस्य औरत की मेहनत का फायदा उठाते है। वह कहती है कि घरेलू औरतें उत्पादन करने वाला वर्ग है और पति फायदा उठाना वाला वर्ग। औरत का चौबीसों घंटे चलने वाला उबाऊ काम और कमरतोड़ मेहनत को काम समझा ही नही जाता और उसे फिर भी पति पर निर्भर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

औरत घर के बाहर जाकर जो नौकरी या मजदूरी करती है उस पर मर्द कई तरह से अपना नियंत्रण रखते हैं। पति अपनी पत्नी को बहार जाकर कमाने या काम न करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे चाहें तो थोड़े–थोड़े समय के लिए काम करने दे और उसकी कमाई भी हथिया लें। आमतौर पर उन्हें अपनी मेहनत का कम मुआवजा मिलता है या ऐसे धन्धे अपनाने पड़ते है ***^tk ?kj ij cBdj*** किए जा सकते हैं। काम का यह ढंग औरत के फायदे का बताया जाता है पर वास्तव में औरत की मेहनत का सबसे ज्यादा शोषण करने वाला ढंग है।

औरत की मेहनत का शोषण और उस पर पुरुषों का नियंत्रण का अर्थ है कि पितृसत्ता से पुरुषों को भौतिक फायदा होता हैं औरतों के गिरे हुए दर्जे से पुरुष

वर्ग ठोस आर्थिक लाभ उठाता है। यानि हम पर यह सकते है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था भौतिक फायदे की नीव पर स्थित है।[11]

अतः यह आवश्यक है कि कृषक महिलाओं की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाई जाए। उनकी आय सृजन क्षमता बढ़ाई जाए, उनको भूमिका अधिकार प्रदान किया जाए, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। उनके स्वास्थ्य जोखिम व काम के बोझ को कम किया जाए। कृषक महिलाओं को कृषक प्रसार, हार्टीकल्चर, पशुपालन, फार्म प्रबन्धन की जानकारी दी जाए। प्रभावी प्रशिक्षण और प्रसार के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में अधिकार सम्पन्न बनाने की आवश्यकता हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा बड़ी संख्या में निचले स्तर पर चुनी गई महिला पंचायत सदस्य, कृषक महिलाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में प्रसार एजेन्सियों की भूमिका अदा कर सकती है। महिला सदस्यों एवं महिला पंचायत प्रमुखों को स्थानीय स्तर पर कृषक महिलाओं के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर सकती है तथा उन्हें प्रेरित व संगठित कर सकती है। कृषि सम्बन्धी सामुदायिक विकास गतिविधियों के प्रबन्धन के लिए ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व कौशल विकास किया जाना चाहिए।

I UnHk xUFk Ipph %

1. जैन, अरविन्द ''औरत होने की सजा'' राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996 पृ. 7
2. वर्मा, जयंत, 'नीति मार्ग' भोपाल, मार्च 2010, पृष्ठ–9।
3. जयकौशिक, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा, अक्टूबर, 2003, पृष्ठ–75।
4. जेन्डर अवधारणा एवं समक्ष, सहभागी शिक्षण केन्द्र, लखनऊ, पृष्ठ–1।
5. जयकौशिक, 'प्रतियोगिता दर्पण' उपकार प्रकाशन, आगरा, अक्टूबर, 2003, पृष्ठ–75।
6. वर्मा, जयंत, 'नीति मार्ग' भोपाल, मार्च 2010, पृष्ठ, 3–4।
7. जय कौशिक, 'प्रतियोगिता दर्पण' उपकार प्रकाशन, आगरा, अक्टूबर 2003, पृष्ठ–75।
8. वही।
9. शुक्ला, डॉ० मंजू, 'प्रदेश की बेटियाँ' गरीब की खेतियाँ, थोड़ा सा आसमाँ, लखनऊ, 2006, पृष्ठ–52।
10. वर्मा जयंता, 'नीति मार्ग' भोपाल, मार्च 2010 पृष्ठ, 9–10।
11. जेण्डर : अवधारणा एवं समझ, सहभागी शिक्षण केन्द्र लखनऊ, पृष्ठ–22।

fon'kuhfr e jk"Vh; l j{kk ,o jk"Vh; fgrk dh i e[krk % Hkkjrh; fon'kuhfr d lUnHk e

vferkHk ikBd*

विदेशनीति साध्य और साधन का समुच्चय होता है। राष्ट्रीय हित साध्य है जबकि साधन किसी देश की वह शक्ति है जिसके द्वारा देश अधिकाधिक राष्ट्रीय हित की सिद्धि करवाना चाहता है। राष्ट्रहित से आशय है वह सामान्य उद्देश्य जिसको कोई राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक देश कुछ ऐसे सिद्धान्तों को अपनाता है जिसके मार्गदर्शन में वह अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निश्चित करता है। यह सिद्धान्त राष्ट्रीय हित और शक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित होते हैं। विदेशनीति एवं राजनय दो तत्व हैं जो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करवाने का प्रयास करते हैं।

यह कहा जा सकता है कि आत्महित राष्ट्रीय नीति का न एक मात्र वैध, बल्कि मौलिक कारक है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विख्यात विद्वान मार्गेन्थाऊ का विश्वास है कि समस्त राजनीति, शक्ति के लिए संघर्ष मात्र है। उसने लिखा है कि जब तक विश्व राजनीतिक रूप से राष्ट्रों में संगठित है, तब तक राष्ट्रीय हित निःसंदेह विश्व राजनीति का अन्तिम शब्द है।[1]

देश की सुरक्षा विदेशनीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। सुरक्षा से अर्थ है देश की भौगोलिक एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता एवं नागरिक जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा सुनिश्चित करना। सुरक्षा से तात्पर्य मुख्यतः वाह्य सुरक्षा से है या राज्य के अस्तित्व से सम्बन्धित है। राष्ट्रों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह रोज अधिकाधिक सुरक्षा के लिए कार्य करते है जो कभी–कभी शस्त्रों की होड़, मैत्री–संधियाँ आदि का रूप ले लेती है।[2] सुरक्षा का मतलब सिर्फ सीमा सुरक्षा से नहीं है वरन् आन्तरिक सुरक्षा से भी है क्योंकि यह संवैधानिक रूप से निर्गत आर्थिक एवं राजनीतिक स्वरूपों की सुरक्षा है और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भी कार्यकलापों में स्वतंत्रता के उपयोग का प्रभावशाली माध्यम है। अतः सुरक्षा मुख्य रूप से राज्य विशेष की सैनिक और आर्थिक शक्ति का प्रतिबिम्ब है। सुरक्षा की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है जो बदलती रहती है। परम्परागत अर्थों में सुरक्षा से तात्पर्य था देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना तथा एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित

---

* शोध छात्र, आर.पी.पी.जी. कालेज, मीरगंज, बरेली।

करना। कोई राष्ट्र केवल उस सीमा तक सुरक्षित है जितनी दूर तक उसे यदि वाह्य युद्ध से बचाना चाहता है तो अपने आधारभूत मूल्यों को कुर्बान करने के लिए मजबूर होने का खतरा नहीं हो और यदि उसे ललकारा जाय तो जितनी दूर तक वह ऐसे युद्ध में विजय द्वारा उन्हें कायम रखने में समर्थ हो।[3]

किसी भी देश द्वारा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबन्धन करना सर्वोपरि राष्ट्रीय हित होता है। क्योंकि यही उसके अन्तर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक होता है। इसीलिए प्रत्येक विदेशनीति का उत्तरदायित्व राष्ट्र की रक्षा करना होता है। परन्तु इस संदर्भ में रक्षानीति की बजाय सुरक्षा नीति की संज्ञा का प्रयोग उपयुक्त होगा क्योंकि जहाँ रक्षानीति के प्रयोग से केवल वाह्य खतरों से सुरक्षा की बात होती है वही सुरक्षा नीति आन्तरिक खतरों को भी इसमें सम्मिलित मानती है। तथा सुरक्षा के अन्तर्गत केवल खतरों को ही नहीं आँका जाता अपितु राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों एवं उसके सन्दर्भ में मध्य एवं दूरवर्ती हितों का आकलन भी किया जाता है।[4]

परन्तु इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे के बढ़ने से एक समस्या भी सामने उभरकर आती है। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा भले ही राष्ट्रीय रक्षा का समानार्थक न हो, तब भी राष्ट्रीय रक्षा ही इसका केन्द्र बिन्दु रहेगा। यदि तथ्य को नकारा गया तो प्रमुख समस्या से दिशाहीनता की ओर बढ़ेगें।[5] अतः हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का वृहत् अर्थ राष्ट्रीय रक्षा के सन्दर्भ को प्रमुख मानकर ही समझना होगा। वर्तमान सन्दर्भ में सुरक्षा के विकास के नए पहलुओं को भी समझना होगा। आधुनिक समय में सुरक्षा को न तो एक मात्र पहलू वाला विषय माना जा सकता है तथा न ही इसे इस दिशा में निर्दिष्ट (अर्थात सेना) व्यवस्था समझा जा सकता है। पूर्व विदेश सचिव जे0 एन0 दीक्षित के अनुसार जब हम किसी देश, समाज अथवा राष्ट्रीय वातावरण की बात करते हैं तो हमें इसे बहुआयामी पहलू की दृष्टि से देखना चाहिए। जहाँ सम्पूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक, तकनीकी व सैन्य सम्बन्धी गतिविधियाँ एक ऐसे राजनीतिक स्थिरता वाले वातावरण का विकास करे जो राज्य व अन्य लोगों के मध्य एक सहयोग व उपयोगी वार्ताओं को प्रारम्भ करे जो उस राज्यों व लोगों के लिए लाभकारी हो।[6]

इस प्रकार राज्यों के मध्य ऐसे सकारात्मक संवाद व अन्तः क्रियाओं का विकास करना जो राज्य के लिये हितकर हो तथा इसके प्रतिकूल प्रभावों को रोकने में सक्षम हो, यही दोहरी आवश्यकता वर्तमान सुरक्षा नीति होनी चाहिए। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू अस्तित्व रक्षा की समस्या से जुड़ा है। विशेष रूप से परमाणु अस्त्रों का प्रभाव और उससे युद्ध के स्वरूप में आये परिवर्तन के कारण यह समस्या अब और भी गम्भीर हो गयी है।

परमाणु अस्त्रों के महत्व को युद्ध के परिवर्तित स्वरूप के अर्थ में समझना होगा। राष्ट्रीय हित के प्रतीक के रूप में सुरक्षा का पहले जो सम्प्रत्यय था, उस पर परमाणु अस्त्रों के इस महत्व का मार्मिक प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव इस अर्थ में पड़ा है कि अब हम अलग–अलग राष्ट्र की सुरक्षा की बात न सोचकर सब राष्ट्रों की सुरक्षा या अस्तित्व की रक्षा की बात सोचते हैं। मानवजाति की अस्तित्व की रक्षा की चिन्ता एक नया कारक है जिसे राष्ट्रीय हित के सम्प्रत्यय के ढाँचे में सही स्थान देना होगा। इस प्रकार मार्गदर्शन के रूप में राष्ट्रीय हित का यह आवश्यक कार्य है कि वह अस्तित्व रक्षा के नये कारक के प्रकाश में अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता का पुनरावलोकन करे।

स्टेनले हॉफमैन ने सुझाया है कि चूंकि आज के जमाने में अस्तित्व रक्षा सदा दाव पर लगी रहती है। इसलिए राष्ट्रीय हित की कोई ठीक–ठीक परिभाषा नहीं की जा सकती।[7]

आज अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के और पहलू भी अन्तर्राष्ट्रीयकरण का प्रभाव महसूस कर रहे हैं। इसलिए बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता का पुनरावलोकन करते समय राष्ट्रीय हित को विशेष रूप से सुरक्षा के परिवर्तित स्वरूप पर ही विचार नहीं करना है बल्कि इसे सामान्य रूप से समस्त अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता के बदलते हुए स्वरूप पर भी विचार करना है।

कैनेथ वाल्टज ने वैध या उचित राष्ट्रीय हित और अवैध या अनुचित राष्ट्रीय हित में अन्तर करने की आवश्यकता पर बल दिया है।[8] केवल वे ही हित वैध माने जायेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श के विरोधी न हो।

इस तरह यदि राष्ट्रीय हित और अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण का महत्त्व पहचानने की आवश्यकता पर विचार करें तो राष्ट्रीय हित और अन्तर्राष्ट्रीय हित के बीच सहज विरोध होने की परम्परागत धारणा की बात होगी। इन राष्ट्रों के हितों के एकत्र होने के क्षेत्र में राष्ट्रीय हित असल में सारी मानव जाति के हित के विचार पर आधारित नैतिकता का पक्ष आगे बढ़ाने में सहयोगी होगी। इस तरह यह आवश्यक नहीं है कि नैतिकता और राष्ट्रीय हित के निर्धारण में अवश्य विरोध ही है।

सुरक्षा के महत्व को कोई भी नहीं नकार सकता। पर विचारणीय प्रश्न यह है कि सुरक्षा मध्यवर्ती राष्ट्रीय हित है या अन्तिम हित। यदि यह मध्यवर्ती हित है तो इसे कुछ अधिक अन्तिम हितों का एक साधन मात्र मानकर ही फैसला करना होगा। मैक्यावली के अनुयायी सुरक्षा को अन्तिम हित मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। और इसका औचित्य उन उच्चतर मूल्यों की पदावली में ही सिद्ध करना चाहिए जिनकी रक्षा करना राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयोजन है।[9]

विदेशनीति को प्रभावित करने वाला कारक राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद राष्ट्रीय विकास है। विदेशनीति और राष्ट्रीय विकास के बीच दोहरा सम्बन्ध है।

पिछड़े राज्य विदेशनीति का प्रयोग राष्ट्रीय विकास में कम से कम कर पाते हैं। किसी भी राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की प्रथम गारण्टी सुरक्षा ही होती है। राष्ट्रीय विकास उसकी नितान्त आवश्यकता होती है और उसके स्वतन्त्र अस्तित्व तथा विकास में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधो के व्यवस्थित आधार की न्यूनतम अपेक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक व्यवस्थित नागरिक समाज किसी व्यक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व एवं विकास के लिए न्यूनतम शर्त होती है। तीसरा घटक विश्व व्यवस्था है। परमाणु युग में किसी राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यवस्था अनिवार्य है।[10] समकालीन जगत में परमाणु खतरे के साथ ही साथ कुछ ऐसे और कारक उभरकर सामने आये है जो चिन्तनीय है जिसका समाधान विश्व समुदाय को मिलकर करना है। तभी विभिन्न देशों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। ऊर्जा संकट, पर्यावरणीय क्षरण व प्रदूषण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छिद्र, वनों का विनाश, जनसंख्या विस्फोट, नृजातीय संकट व विवाद, नस्लभेद, उत्तर–दक्षिण मतभेद, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में अस्थायित्व आदि ऐसी चुनौतियां हैं जो सभी देशों को संकटग्रस्त करती है।

किसी भी देश के विदेशनीति निर्धारकों का विश्वदर्शन, देश विदेश की भू–राजनीतिक स्थिति तथा उसके ऐतिहासिक अनुभव से अनुकूलित होता है। यह विदेशनीति की आधारशिला अवश्य है परन्तु इसे विदेशनीति का पर्याय नहीं कहा जा सकता। विश्व दर्शन राष्ट्रीय अभिलाषाओं को जटिल रूप से मुखर करता है परन्तु राष्ट्रीय हित संवर्द्धन संरक्षण के लिए एक सफल विदेशनीति नियोजन तभी सम्भव है जब इस मूलतः अमूर्त परिप्रेक्ष्य को उपलब्ध संसाधनों के साथ जोड़कर भविष्य की गतिविधियों का कार्यक्रम निश्चित किया जाय।[11]

विदेशनीति का निर्धारण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है इसीलिए इस प्रक्रिया में (1) नीति निर्धारक (2) विदेशनीति के सिद्धान्तों (3) नीति के उद्देश्यों हितों व लक्ष्यों (4) शक्ति के निवेश एवं निर्गत तथा (5) विदेशनीति के सन्दर्भ प्रतिक्रियाओं एंव संबद्ध भूमिकाओं का समावेश होता है।[12]

विदेशनीति से सम्बन्धित दृष्टिकोण पर नजर डालने से पता चलता है कि अभी तक तीन तरह की दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई है– शक्ति संबंधी, निर्णयपरक, तथा निवेश निर्गत दृष्टिकोण। परन्तु इन तीनों दृष्टिकोणों में मूलभूत कमियाँ होने के कारण ये पूर्ण सार्वभौमिक सिद्धान्त का दर्जा प्राप्त नहीं कर सके हैं।

Hkkjrh; fons'kuhfr %

भारत की विदेशनीति का सन् 1947 के बाद किये गये शोध कार्य का सर्वेक्षण करने के बाद एक विशेषज्ञ इसको असन्तुष्ट वाली स्थिति बताते हैं।[13] भारतीय विदेशनीति के अध्ययन के सन्दर्भ में भी यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि यदि वर्तमान शोध–कार्यों का आकलन करें तो यह स्थिति और स्पष्ट रूप से उजागर होती है।

एक अन्य विशेषज्ञ जो इतना निराशावादी नहीं लगते हैं का भी मानना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में किये गये शोध के आधार पर हम न तो विदेशनीति के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन कर पाये हैं और न ही विदेशनीति के सैद्धान्तिक अध्ययन की नींव डाल पाये हैं।

विदेशनीति के इस सामान्य सिद्धान्त के अभाव को देखते हुये कुछ विशेषज्ञों ने विश्लेषण के निर्धारक तत्वों, निर्णय प्रक्रिया व व्यवहार का कुछ हद तक तर्कसंगत रूप में अध्ययन किया है। इस सन्दर्भ में एम ब्रेचर की पहल एक सराहनीय कदम है।[14]

ब्रेचर ने अपने ढाँचे को मूलरूप से डेविड ईस्टन के निवेश–निर्गत मॉडल पर आधारित किया है।[15] इसके अलावा कुछ अन्य विशिष्ट लक्षण भारत की विदेशनीति में देखी जा सकती है। भारत की विदेशनीति के निर्माण में अनेक कारकों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है, भारत की आन्तरिक विविधता (धर्म, जाति तथा वर्ग) या सांस्कृतिक धरोहर भारत की लोकतांत्रिक कल्याणकारी गणराज्य, भूगोल आदि। भारत की विदेशनीति लम्बे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। प्राचीन हिन्दू धर्म साहित्य, जिसमें वसुधैव–कुटुम्बकम, बौद्ध धर्म, भारत से सुदूर राज्यों में फैला हैं जैसे श्रीलंका, मध्यएशिया, चीन, तिब्बत आदि। इसके अलावा श्रीमद्–भागवत् गीता, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मण्डल सिद्धान्त। महात्मा गांधी, टैगोर, सरदार बल्लभ भाई पटेल, पं0 नेहरू, बी0आर0 अम्बेडकर, विवेकानन्द, सुभाषचन्द्र बोस आदि व्यक्तियों ने भी समय–समय पर विदेशनीति के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। साथ ही भारतीय विदेशनीति के सिद्धान्तों पर स्वतन्त्रता आन्दोलन की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है।[16]

विदेशनीति नियोजन और राजनयिक सम्पर्कों की भारतीय परम्परा चीन तथा यूरोप की तरह अत्यधिक प्राचीन है। इसमें यूरोपियन औपनिवेशिक शक्ति के आने के बाद व्यवधान पड़ा परन्तु भारत की तुलना उन राष्ट्रों के साथ नहीं की जानी चाहिए जिनका बाहरी दुनिया से परिचय साम्राज्यवाद के युग में परदेशियों के माध्यम से पराधीन उपनिवेशों के रूप में हुआ।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्वर्णकाल में ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित विभिन्न देशों के उपनिवेशों में सरकार द्वारा भारतीयों को वहाँ कभी किसानी कार्यों हेतु तो कभी सैन्य सेवायें लेने के लिए स्थानान्तरित किये जाते रहे हैं। प्रवासी भारतीय जो वर्मा, मलाया, श्रीलंका में गये, उनकी उपस्थिति ने इन देशों में भारत की रूचि बढ़ायी।[17] भारत के लोगों में उनके प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस ने उनके सन्दर्भ में दक्षिण अफ्रीका को लेकर पहला प्रस्ताव सन् 1894 में पारित किया। गांधीजी ने अपना पहला सविनय अवज्ञा आन्दोलन 1907–1914 ई0 दक्षिण अफ्रीका में चलाया था और उन्हें स्वदेश में भारतवासियों का पूरा समर्थन मिला। भारत द्वारा वहाँ की श्वेत सरकार की रंगभेद की नीति के खिलाफ जो जनचेतना जगायी गयी उस जनचेतना ने संसार के विभिन्न भागों में बसे अश्वेत जातियों को एक महत्वपूर्ण बन्धनसूत्र में बाधने का काम किया।[18]

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान सन् 1927 में पं0 जवाहर लाल नेहरू को अखिल भारतीय कांग्रेस के विदेश विभाग का प्रवक्ता बनाया गया। भारतीय विदेश नीति की आधारशिला रखने का श्रेय पं0 जवाहर लाल नेहरू को ही दिया जाता है। आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में विदेशनीति का प्रतिपादन किया।

भारतीय विदेशनीति का विकास दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में हुआ। पं0 नेहरू ने दोनों गुटों से पृथक गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। इन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच भारतीय विदेशनीति का विकास हुआ और इन्हीं में इसे स्वरूप ग्रहण करना था।

पं0 जवाहर लाल नेहरू ने उद्घोषित किया था कि इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि भारत स्वतन्त्रता को एक हाथ से छीनकर दूसरी हाथों से लुटा देगा। भारत के लिए सोवियत गुट में शामिल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि भारत कोई कम्युनिस्ट देश नहीं था और सोवियत गुट का कोई सदस्य गैर कम्युनिस्ट नहीं हो सकता था। अब बचता था अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिम का गुट। इस गुट में प्रमुख रूप से साम्राज्यवादी देश थे जिसके खिलाफ भारत और एशिया के अन्य देश लम्बे समय तक संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे गुट में भी शामिल होने का सवाल वैध नहीं होता था। पश्चिमी गुट का हिस्सा बनना स्वाधीनता संघर्ष के परम्परा के विपरीत था।[19]

शीतयुद्ध यूरोपियन झगड़ों का विस्तार था और पं0 नेहरू सोचते थे कि यूरोपीय झगड़ों के कारण एशियाई देशों का ध्यान शीतयुद्ध के द्वारा पैदा हुए वातावरण के जरिये उनकी मुख्य समस्या से क्यों हटे। मुख्य समस्या विकास की

थी न कि कम्युनिज्म विरोध की। 8 मार्च 1949 ई0 को नेहरू जी ने संविधान सभा में कहा था कि एशिया के प्रत्येक कमोबेस अविकसित देशों की मुख्य समस्या भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य की है। हमारा सरोकार इन समस्याओं से है। हमारा सरोकार सीधे तौर पर सत्ता की राजनीति से नहीं है।[20]

भारत की विदेशनीति की प्राथमिकताओं का सरोकार यूरोप से नहीं था उनका केन्द्र बिन्दु देश के अधिक करीब था। सबसे पहले ध्यान अपने आस–पड़ोस का दिया गया। भारत की विदेशनीति की स्वाभाविक दिशाओं को नेहरू ने सन् 1949 में ही स्पष्ट कर दिया था। भारत को पड़ोसी देशों में सदा से एक खास दिलचस्पी थी। अतः भारत की विदेशनीति ने अपना ध्यान सबसे पहले उन देशों की ओर मोड़ा जिनकी भू एवं समुद्री सीमायें इस देशों से मिलती थी। पं0 नेहरू के शब्दों में, कौन से यह देश थे अगर आप बायें से शुरू करते हैं तो पाकिस्तान और मैं अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहूँगा, हलांकि यह भारत को नहीं छूता, तिब्बत, चीन, बर्मा और मलय आदि को सन् 1949 में नेहरू जी ने भारत का पड़ोसी माना था।[21] भारतीय विदेश नीति मे परिवर्तनशीलता एंव निरन्तरताओं के स्पष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। स्वतन्त्र भारत की विदेशनीति के लगभग 60 वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी विदेश नीति के आधार स्तम्भ या सिद्धान्त वही हैं जिसका प्रतिपादन विदेश–विभाग के प्रवक्ता के रूप में पं0 नेहरू द्वारा किया गया था। भारत में सरकारें बदलती रही है परन्तु विदेश–नीति की निरन्तरता कमोबेस वही रही है।[22]

जुलाई 2004 ई0 में भारत ने पंचशील–सिद्धान्त की 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनायी जिससे पुनः एक बार अर्द्धशताब्दी के बाद विदेशनीति के आधार स्तम्भ सिद्धान्त की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता सिद्ध हुई। इसके अलावा 24 अप्रैल 2005 ई0 को जकार्ता में एकत्र हुये एफ्रो–एशियाई राष्ट्र–राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों ने 1955 ई0 में हुए सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ मनायी। 50 वर्ष पूर्व भारत के नेतृत्व में बाडुंग में एफ्रो–एशियाई देशों ने आपसी एकता की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और साथ ही गुटनिरपेक्षता की नीति की नींव डाली थी।[23]

भारतीय विदेश नीति में निरन्तरता का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। अर्द्धशताब्दी का समय–अन्तराल कम नहीं होता है इन देशों की आन्तरिक एंव वाह्य विश्व परिदृष्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुये हैं। शीतयुद्ध का अब वह दौर नहीं रहा। इन देशों में भी विकास और स्थायित्व की प्रक्रिया अब तेज हो गयी हैं। एक बार फिर से इन देशों की आपसी एकता दर्शनीय थी। इन देशों के नेताओं ने इस अवसर पर शान्ति, सुरक्षा एवं स्थायित्व का संकल्प लिया।

जहां तक विदेशनीति की परिवर्तनशीलता की बात हो तो दुनिया में कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं होती है और विदेशनीति तो कदापि नही। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आज का आदर्शवाद कल का यथार्थवाद होगा। नेहरू स्वयं कहते थे (1962 के बाद) भारत आदर्शवाद व अहिंसा की नीति पर चलकर भविष्य में अपने राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकेगा। इसी का परिणाम है कि भारत ने परमाणु कार्यक्रम का विकल्प खोले रखा। यह विदेशनीति (भारतीय) की आदर्शवाद से यथार्थवाद में परिणति है।

I nHk xUFk I ph %

1. बंधोपाध्याय, जे0 : द मेकिंग ऑफ इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी, नई दिल्ली, 1974 पृ0सं0 – 8
2. खन्ना, बी0 एन0 और अरोड़ा, लिपाक्षी : भारत की विदेशनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2008 पृ0 सं0 – 5
3. लिपमैन, वाल्टर : यू0 एस0 फॉरेन पालिसी, शिल्ड ऑफ द रिपब्लिक, बोस्टन, 1943 पृ0 सं0 – 5
4. चौधरी, राहुल राय : इण्डियाज सिक्योरिटी पॉलिसी, स्ट्रेटजिक एनालिसिस, वाल्यूम – 19 अंक 2 मई 1996, पृ0 सं0 – 183
5. कपूर, हरीश : इण्डियाज फॉरेन पालिसी, डी0 के0 पब्लिसर्श, नई दिल्ली, 1994, पृ0 सं0 – 53
6. दीक्षित, जे0एन0: चैंजिंग इण्टरनेशनल एनवायरमेण्ट एण्ड इण्डियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक एनालिसिस, वाल्यूम– 17 अंक– 3, 1994 पृ0 सं0 – 930
7. हॉफमैन, स्टेनली : इण्टरनेशनल रिलेशन द लाग रोड टू थ्योरी, इन जेम0 एन0 रोजन, पालिटिक्स एण्ड फॉरेन पॉलिसी, कैम्ब्रिज यूनवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1961, पृ0 सं0 423
8. वाल्टज, कैनेथ एन0 : मैन, द स्टेट एण्ड वार (न्यूयार्क 1959), पृ0सं0 – 88
9. लिपमैन, वाल्टर : यू0 एस0 फॉरेन पालिसी, शिल्ड ऑफ द रिपब्लिक, बोस्टन, 1943 पृ0 सं0 – 51
10. बंधोपाध्याय, जे0 : द मेकिंग ऑफ इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी, नई दिल्ली, 1974 पृ0 सं0 – 98
11. सिंह, बलजीत : इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी एन एनालिसिस, लन्दन, 1976, पृ0 सं0 – 8
12. स्टेनवर्ग, एम0 ब्रेचर बी0 तथा स्टेन, जे0 : ए फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च ऑन फॉरेन पालिसी बिहैवियर, द जनरल ऑफ कन्लिक्ट रेजोलूशन वॉल्यूम, 1 मार्च 1969, पृ0 सं0 – 75–101

13. राना, ए0 पी0 : इण्टरनेशनल रिलेशंस ए ट्रेड रिपोर्ट आई0 सी0 एस0 आर0 सर्वे ऑफ रिसर्च इन पॉलिटिक्स साइंज (इण्टरनेशनल स्टडीज) नई दिल्ली, 1988, वाल्यूम – 5, पृ0 सं0 – 19
14. ब्रेचर, माईकल : द फॉरेन पॉलिसी सिस्टम ऑफ इजराईल, लण्दन, 1972, अध्याय – 1 पृ0 सं0 1–16
15. ब्रेचर, माईकल : द फॉरेन पॉलिसी सिस्टम ऑफ इजराईल, लण्दन, 1972, अध्याय – 1 पृ0 सं0 3
16. शास्त्री, श्याम : कौटिल्य अर्थशास्त्र, मैसूर 1961 पृ0 सं0 – 5
17. प्रसाद, विमल : भारत की विदेशनीति का उद्गम, ग्रन्थ शिल्पी इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली पृ0 सं0– 6–7
18. प्रसाद, विमल : भारत की विदेशनीति का उद्गम, ग्रन्थ शिल्पी इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली पृ0 सं0–45
19. दत्त, वी0 पी0 : भारत की विदेशनीति, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, प्रथम संस्करण 2009, नई दिल्ली, पृ0 सं0 – 7–8
20. दत्त, वी0 पी0 : भारत की विदेशनीति, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, प्रथम संस्करण 2009, नई दिल्ली, पृ0 सं0 – 10
21. दत्त, वी0 पी0 : स्वतंत्र भारत की विदेशनीति, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, 2009, पृ0 सं0 – 9
22. हिन्दुस्तान समाचार पत्र, 26 जून 2004
23. हिन्दुस्तान समाचार पत्र, 24 अप्रैल 2005

●

tu lEi"k.k vkj LokLF; pruk

Jherh lfi;k mik/;k;*

lkjka'k %

व्यक्ति संचार माध्यमों के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इससे व्यक्ति की सूचना अनभिज्ञता एवं उसकी क्रियाशीलता के प्रति अनुकूलता की संवृद्धि होती है। संचार माध्यमों के प्रभाव के विषय में कह सकती हूँ कि जनसंचार से व्यक्ति मात्र अपने समीपस्थ में ही नहीं अपितु उससे बाहर भी उत्पन्न होने वाले बहुसंख्यक विचार बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना मत निर्धारित करने में सक्षम होता है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैने खोराबार विकास खण्ड में जनसंचार और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में तथ्य इकठ्ठे किए हैं, जिन्हें अग्र तालिकाओं के माध्मय से विश्लेषित किया गया है।

जन सम्प्रेषण या जनसंचार एक ऐसा पूर्ण शब्द है जिसमें सभी के विचार, भावनाओं तथा जीवन जीने की कला आदि का संगम नजर आता है। कह सकती हूँ कि जन सम्प्रेषण एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जो समाज को निरन्तर सुदृढ़ करते हुए विभिन्न समस्याओं एवं रोगों से बचातेहुए स्वस्थ्य रखने में भी कार्यरत है। जन सम्प्रेषण में विशिष्ट शब्दों के साथ ही साथ जीवन का संयोजन होता है जो एक निश्चित पर्यावरण में क्रियाशील होते हैं। स्थानीय समुदाय एवं पर्यावरण की आपेक्षिक अन्तःक्रियाएँ ही महत्वपूर्ण होती है, जिससे शारीरिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक मान्यताओं के तत्वाधान में संचालित गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न हुयी विभिन्न समस्याओं से बचाव की स्थिति का पता चलता है।

मानव की अस्वस्थ्यताएँ मानवीय परिवेश की उपज है। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने व सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने योग्य बनाता है। अतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संरचना में परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपनी क्षमता से मानव पर्यावरण के तत्वों से प्रभावित हो रहा है। सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन में गड़बड़ी से अस्वस्थता दृष्टिगोचर होती है। मानव का रहन–सहन, व्यवहार आदि पर जन

* शोध छात्र, (गृह विज्ञान विभाग), भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर।

सम्प्रेषण का प्रभाव पड़ने से स्वास्थ्य को प्रभावित किय है। भारतीय समाज में परम्पराओं एवं रूढ़ियों से घिरे होने के कारण अपने स्वास्थ्य को द्वैतीयक समझता है। जन–सम्प्रेशण ने व्यक्ति के स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता को बढ़ावा दिया है। आज स्वास्थ्य एवं इलाज की रूढ़वादी परम्पराओं का ह्रास हो रहा है। विषाणु, जीवाणुओं को जाना–पहचाना जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि एवं स्वास्थ्य को वह पहचानने लगा है और इसके निवारण में जन सम्प्रेषण द्वारा प्रचारित स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगों, संक्रमित रोगों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े उपायों, निदानों, निर्देशों, उपदेशों, साधनों, योजनाओं को जानने लगा है। जन–सम्प्रेषण द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के प्रति क्या विचार लोग रख रहे हैं। यह विषय अध्ययन का है।

v/;;u {k= (Research Area) :

गोरखपुर जनपद नगर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वीभाग में 26^0 33′उ. तथा 83^0 9′ पू में नेपाल की सीमा के पास स्थित है। यह जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है।

rF; ladyu dh izfof/k;k (Techniqus of Data Collection) :

विभिन्न गाँवों में जाकर प्राथमिक तथ्यों को संकलित किया। गाँवों का चुनाव निर्दशन विधि से किया गया। प्राथमिक तथ्यों के संकलन में अवलोवन एवं अनुसूची का प्रयोग किया और समस्या से सम्बन्धित प्रश्नों के माध्यम से सूचनादाताओं की प्रतिक्रिया जानने का भी प्रयास किया।

द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु विशय से सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट, पत्र–पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों आदि को सम्मिलित किया।

शोधछात्रा ने अपने शोध विषय से सम्बन्धित सूचनाओं के संग्रह के लिए जिन तकनीकि एवं उपकरणों (Tools) को प्रयोग करेगी, वे इस प्रकार हैं–छायाचित्र, फीता अभिलेख, मानचित्र।

fo'y"k.k (Discription) :

वर्तमान में जनसंचार ने मानवीय ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही साथ मानव को एक भूमण्डलीय सूत्र में बाँध दिया है अर्थात् विश्वबन्धुत्व की भावना से आपस में सभी को जोड़ दिया है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जीवन शैली के अतिरिक्त विभिन्न जीवन शैलियों से परिचय प्राप्त किया है। संचार माध्यमों ने संसार को हमारे अधिक निकट कर दिया है। संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण सामाजिक विशिष्टता का रूप धारण कर चुके हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलिविजन,

आदि जनसंचार माध्यमों से स्वास्थ रहने के तरीकों की जानकारी भी मिलती रहती है। जिससे व्यक्ति अपने को स्वस्थ रखने में कामयाव भी हो सकता है। अपने इस शोधपत्र के लिए लोगों से समाचार पत्रों, टेलिविजन एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित कुछ प्रश्न पूछे। इन प्रश्न और उनके उत्तर की व्याख्या इस प्रकार है –

सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि आप के घर पर टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र–पत्रिकाएँ एवं सिनेमा की सी.डी. आदि जनसंचार के साधन मौजूद हैं ? टेलिविजन हेतु 56 प्रतिशत लोगो की रुचि है। उससे कम 26 प्रतिशत समाचार पत्रों में, 10 प्रतिशत पत्रिकाएँ पढ़ने में, 4 प्रतिशत सिनेमा देखने में, 2 प्रतिशत रेडियों में तथा 2 प्रतिशत अन्य साधनों में रुचि रखते हैं।

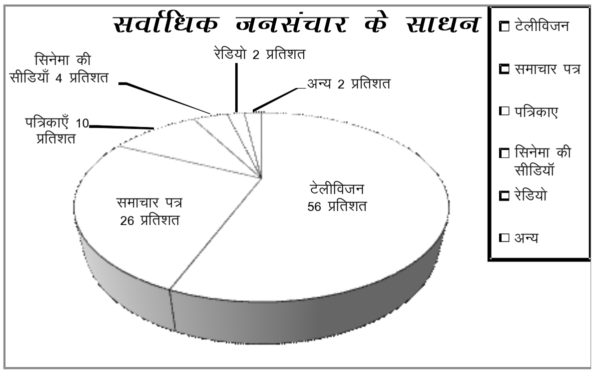

इस जानकारी के अनुसार 52 प्रतिषत लोग प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं, 29 प्रतिषत सप्ताह के कुछ दिन यानिकिकभी–कभी समाचार पत्र पढ़ती हैं तथा 19 प्रतिषत लोग कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जनसंचार के प्रति लोग सजग और सचेत है।

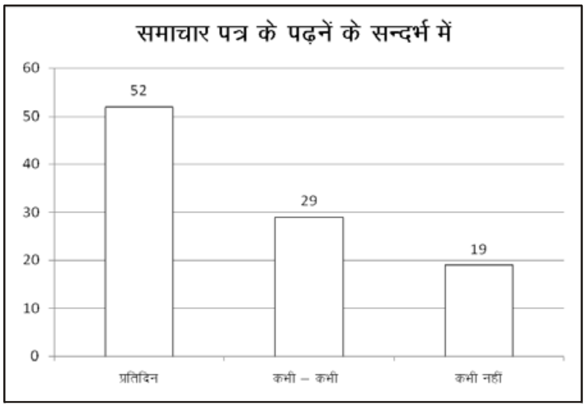

यह जान लेने के बाद कि अधिकतर लोग प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब यह स्वाभाविक हो जाता है कि यह जानकारी प्राप्त की जाए कि वे किस तरह के समाचारों में अधिक रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय समाचारों में 30 प्रतिशत लोग रुचि रखते है, जो सबसे अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों में 21 प्रतिशत, मनोरंजन में 20 प्रतिशत, खेलकूद सम्बन्धी समाचारों में 14 प्रतिशत, स्थानीय समाचार 9 प्रतिशत, धार्मिक में केवल 4 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य में 2 प्रतिशत लोग रुचि लेती हैं।

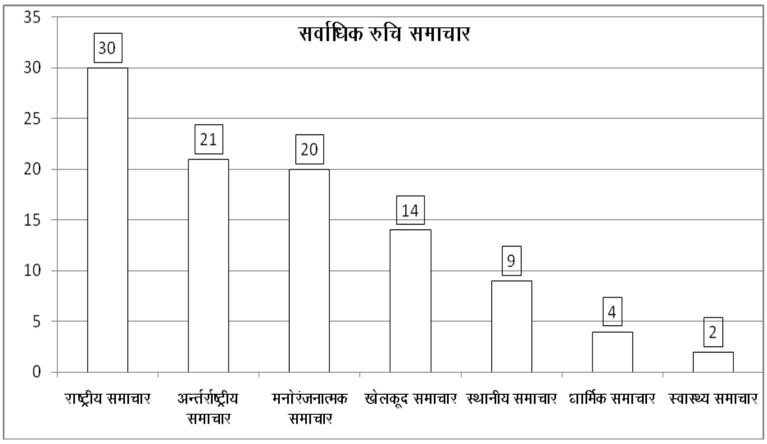

Vhdkdj.k d: lUnHk

टीकाकरण के सन्दर्भ में पूछा गया प्रश्न कि आपके बच्चों को सभी टीके लगाये जा चुके है या लग रहे हैं। तब पता चला कि 80 प्रतिशत लोगों का उत्तर हाँ था जबकि 15 प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि लगाए जा रहे है तथा 5 प्रतिशत लोगों ने जानकारी के अभाव में टीके नहीं लगवाए।

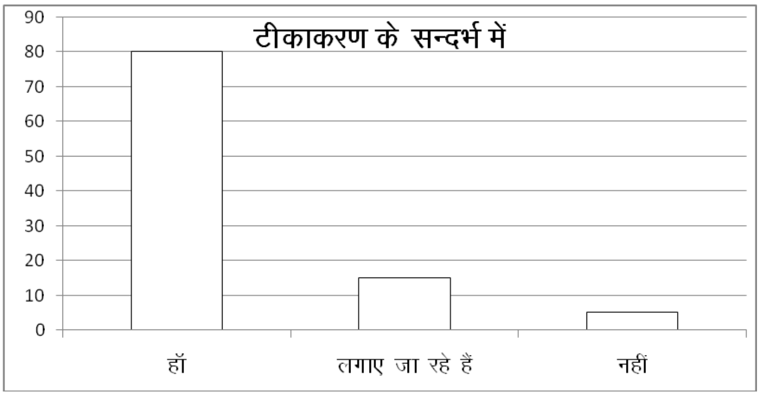

जन सम्प्रेषण या जनसंचार सूचनाओं द्वारा रोगों की जानकारी समय–समय पर प्रसारित की जाती है ताकि जनता को सामान्य रोगों से बचाया जा सके एवं गम्भीर रोगों के प्रति निदानात्मक उपाय जान सकें। संक्रामक और असंक्रामक रोगों की विभीषिका से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग नेमलेरिया, क्षय, कुष्ठ रोग, नेत्रहीनता, एड्स और कैंसर इत्यादि हेतु देशभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया है। संक्रामक रोगों पर नजर रखने और उन्हें फैलने से रोकने के लिए भी योजनाएँ लागू की जा रहीं हैं।

उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि कुष्ठ रोग के ऊपर जन सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले कार्यक्रम जन जागरूकता बढ़ाने में कितने प्रभवकारी हैं, इस सन्दर्भ में 48.33 प्रतिशत सूचनादाताओं ने स्लोगन पर अधिक ध्यान दिया है जबकि 36.67 प्रतिशत लोग सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं। 15 प्रतिशत लोग स्लोगनों पर ध्यान नहीं देते हैं।

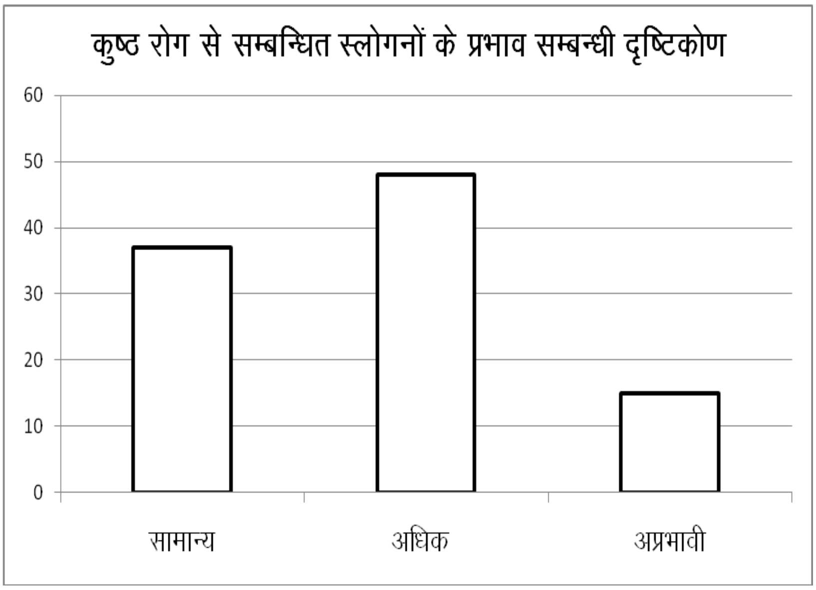

,M l l lEcfU/kr tu&lEç"k.k lpuk,¡ %

उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि एड्स के सम्बन्ध में जन सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले स्लोगन यौन संक्रमण की घटनाओं में कमी लाने में कितने प्रभावकारी हैं, प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

,Ml lEcU/kh Lykxuk d çHkko lEcU/kh nf"Vdk.k

Ø	nf"Vdk.k	vkofÙk	çfr'kr
1	सामान्य	123	41
2	अधिक	154	51.33
3	अप्रभावी	23	7.67
	;kx	**300**	**100**

तालिका से स्पष्ट है कि 51.33 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया है कि एड्स के सम्बन्ध में जन सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले स्लोगन यौन संक्रमण की घटनाओं में कमी लाने में अधिक प्रभावकारी हैं जबकि 41 प्रतिशत उत्तरदाता इसको सामान्य ही मानते हैं। 7.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार एड्स के सम्बन्ध में जन सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले स्लोगन यौन संक्रमण की घटनाओं में कमी लाने में अप्रभावी हैं।

ikfy;k jkx ,o tu&lEç"k.k ek/;e %

उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि पोलिओ के सम्बन्ध में जन–सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले कार्यक्रम एवं सूचनाएँ जन जागरूकता लाने में कितने प्रभावकारी हैं, प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

ikfy;k jkx l lEcfU/kr dk;Øe d çHkko lEcU/kh nf"Vdk.k

Ø	nf"Vdk.k	vkofÙk	çfr'kr
1	सामान्य	150	50
2	अधिक	135	45
3	अप्रभावी	15	5
	;kx	**300**	**100**

तालिका से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पोलियो रोग के सम्बन्ध में जन सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले कार्यक्रम एवं सूचनाएँ जन–जागरूकता लाने में सामान्य रूप से प्रभावकारी हैं। 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पोलियो के सम्बन्ध में अधिक प्रभावकारी सावित हुए हैं। 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार इस रोग में जन सम्प्रेषण माध्यम पूणरूप से अप्रभावी रहे हैं।

जन–सम्प्रेषण माध्यमों द्वारा पोलियो की खुराक पिलाए जाने विशयक प्रचार–प्रसार होता है, इसके लिए विभिन्न अभिनेताओं एवं जानी–मानी शख्सियतों

द्वारा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने की आवश्यकता को भी बताया जाता है। उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी है, प्राप्त जानकारी को तालिका में दर्शाया गया है –

ikfy;k dh [kjkd fiykus lEcU/kh nf"Vdk.k

Ø	nf"Vdk.k	vkofÙk	çfr'kr
1	हाँ	240	80
2	नहीं	60	20
	;kx	**300**	**100**

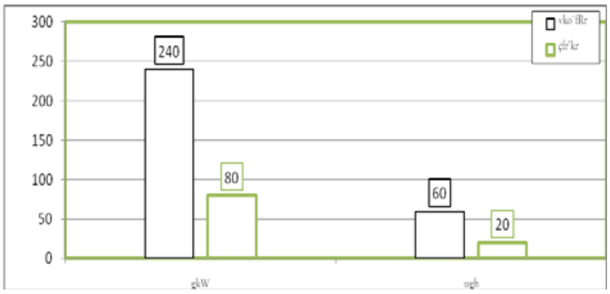

तालिका से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी है एवं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं पिलायी है।

जन–सम्प्रेषण माध्यमों द्वारा यह प्रसारित व प्रचारित किया जाता है कि स्वयं अपने बच्चों को पोलियो खुराक पिलाए व दूसरों को भी पोलियो खुराक पिलाने के लिए प्रेरित करें। प्राप्त जानकारी को तालिका में दर्शाया गया है–

cPpk dk ikfy;k dh [kjkd fiykus d fy, nljk dk çfjr dju lEcU/kh nf"Vdk.k

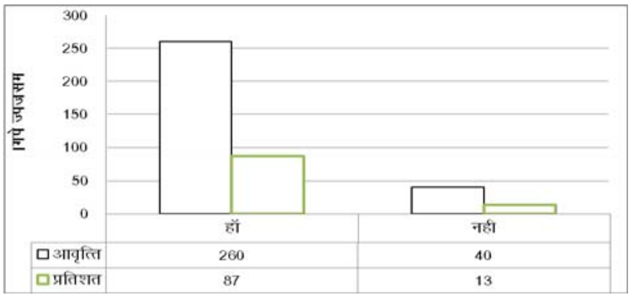

तालिका से स्पष्ट है कि 86.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने दूसरों के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवाने में मदद की है जबकि 13.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक तो पिलवाई परन्तु दूसरों के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवाने के लिए प्रेरित नहीं किया है।

xHk'fujk/kd ,o tu&lEç"k.k ek/;e %

उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि गर्भनिरोधकों के सम्बन्ध में जन सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले कार्यक्रम एवं सूचनाएँ कितनी प्रभावकारी हैं, प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

xHk'fujk/kd dk;Øe ,o lpukvk ij çHkko lEcU/kh nf"Vdk.k

Ø	nf"Vdk.k	vko`fÙk	çfr'kr
1	सामान्य	115	38.33
2	अधिक	150	50
	अप्रभावी	35	11.67

तालिका के अवलोकनसे स्पष्ट है कि 38.33 प्रतिशत उत्तराताओं के अनुसार गर्भनिरोधकों के सम्बन्ध में जन–सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले कार्यक्रम एवं सूचनाएँ जन जागरूकता लाने में सामान्य प्रभावकारी हैं, 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार गर्भनिरोधकों के सम्बन्ध में जन सम्प्रेषण के माध्यम से दर्शाए जाने वाले कार्यक्रम एवं सूचनाएँ जन जागरूकता लाने में अधिक प्रभावकारी हैं, 11.67 प्रतिशत के अनुसार अप्रभावी।

fu"d"k %

इस प्रकार कह सकती हूँ कि सूचनादाताओं को ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण संचार माध्यमों की पहुँच बहुत कम है, लेकिन टेलीविजन की पहुँच सर्वाधिक है। उत्तरदाता मानते हैं कि परिवार में किसी न किसी रूप में परिवर्तन हो रहे हैं जिसका प्रमुख कारण जनसंचार माध्यम ही हैं क्योकि संचार माध्यम का आज व्यक्तियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है।

संचार माध्यमों में सामाजिक, राजनैतिक एवं स्वास्थ जागरूकता की ऐसी परिस्थितियाँ तैयार की जिससे एक नयी राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। इसी कारण समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। यह जन संचार का ही प्रभाव है कि वर्तमान में भारत देश से कुष्ठ रोग, पोलियो रोग को विदा कर दिया गया है। साथ ही साथ एड्स जैसे खतरनाक रोग को नियन्त्रित किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जन संचार से विभिन्न रोगों पर पूर्ण नियन्त्रण पाया जा सकता है।

lUnHk xzUFk lwph %

1. बलदेवराज गुप्त : भारत में जनसंपर्क, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली।
2. प्रेमचन्द पातंजल : संचार सिद्धान्त और रूपरेखा, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली।
3. कुमुद शर्मा : विज्ञापन की दुनियाँ, प्रतिभा प्रतिष्ठान नयी दिल्ली।
4. जे.एच. ब्रन्ट : The Place of prevention in meeting the health needs of Society, WHO, Geneva
5. बुद्धदेव चौधरी : Social and Cultural Aspects of Health, Journal of Social and Economic Studies, New Series, 3 - 4 Oct-Dec.
6. मुक्तिनाथ झा : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, (2009)
7. अर्जुन तिवारी : जन सम्प्रेषण और हिन्दी पत्रकारिता, जय भारती प्रकाषन, इलाहाबाद (2005)
8. सरोज सिंह : स्वास्थ्य विज्ञान एवं अरोग्य शास्त्र, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी (2010)
9. समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ
   - अ. हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र–02 सितम्बर 2016
   - ब. डेगू से कैसे करें पहचान, कैसे रहें सावधान, हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र–16 सितम्बर 2016, पेज सं. 4

●

gfj'kdj ijlkbZ dh O;X;&pruk

d- fnO;yrk 'kek*

Mk- vf[ky'k dekj 'kek ^'kkL=h***

हिन्दी–गद्यसाहित्य में व्यंगकार–किरीट हरिशंकर परसाई एक सामाजिक चेतना संपन्न लेखक हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थान दिलाया। उन्होंने रचना को रोचक बनाने, पाठक को बाँधे रखने या गुदगुदी पैदा करने वाला व्यंग्य नहीं लिखा अपितु उसके माध्यम से तमाम उन राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक विद्रूपताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो आज देश–समाज–संस्थाओं एवं व्यक्ति को दीमक की भाँति चाट कर खोखला किये जा रही हैं। परसाई जी स्वातन्त्रयोत्तर व्यंग्यकारों में प्रमुख हैं।

ध्यातव्य है कि उनका लेखन–काल सन् 1950 के पश्चात् का है। वे दिन गहरे असन्तोष के दिन थे क्योंकि स्वतंत्रता–पूर्व जो स्वप्न–किले बनाये गये थे वे अब प्रायः ढह चुके थे। धर्म–दर्शन–शिक्षा आदि की बात तो बाद में आती है, रोटी, कपड़ा, मकान ही मिल जाय तो अच्छी किस्मत थी। साहित्य में भी एक अलग से वातावरण का साम्राज्य था। नई कहानी, नई कविता और उपन्यासों में स्त्री–पुरुष संबंध, शहरी कस्बाई मानसिकता का द्वन्द्व या मध्यम–वर्गीय आदमी की कुण्ठाएँ अभिव्यंजित हो रही थीं। तत्कालीन परिस्थितियों में जब साहित्यकार संत्रास, अकेलापन, कुण्ठा, प्रणय और परिणय से उत्पन्न ग्रन्थियों को मन–मस्तिष्क में दबाए स्त्री–पुरुषों के आँसुओं और संवेदनहीनता की चादर में लिपटे अनुभूतिवाद आदि में आत्म–विस्मृति की दशा में जी रहे थे तब परसाई ने अपने चतुर्दिक वातावरण व समाज को तात्कालिक राजनैतिक साजिशों, प्रशासन की अमानवीयता, धर्म और अध्यात्म के पाखण्डों में बुरी तरह जकड़ा देखा और सामान्य जनता के दुःख व दर्द और उनके पीछे चल रही ताकतों पर व्यंग्य लिखना शुरू किया। कलम तो उनके हाथों से ही चलायी गयी किन्तु जनसाधारण के सम्पर्क ने उनकी संवेदना को परिष्कृत एवं विस्तृत किया।

परसाई जी आकाश की ओर देख कर गहरे मौन में डूबकर दर्शन झाड़ने वाले लेखक नहीं हैं बल्कि वे धूसर खुरदरी जमीन के साहित्यकार हैं। उनकी यह

* प्राध्यापक निवास, आवास संख्या 3, वार्ड–12, जमानियां रेलवे स्टेशन, गाजीपुर–232331

** असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर–232331

व्यंग्य–चेतना कूप–मण्डूक न होकर एक विस्तृति लिए हुए है। उनके निबन्धों–उपन्यासों एवं कथाओं में जनसाधारण से लेकर सत्ताधारी नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, मध्यमवर्गीय अध्यापक, डॉक्टर, वकील, थानेदार, विश्व विश्रुत राष्ट्रनायक, कूटनीतिज्ञ, अपराधी, संन्यासी, प्रेमी–प्रेमिका, युद्धशास्त्री, पूँजीपति सभी एक साथ मिल जायेंगे। व्यंग्यकार ने अपनी लेखकीय इयत्ता में रहते हुए सबकी सत्ता में छिपे क्लाउन (जोकर) को पाठक के सामने छोड़ दिया है जो मुस्कुराने, हँसने और ठहाका तक लाने जितना फनी (मजाकिया) दिखता है पर गहराई से सोचने पर यह लगता है वह विदूषक हमारे ही आस–पास है या फिर हम ही हों। वह दुःखी है, व्यग्र है, शोषित है और इसी कारुणिक सहानुभूति अनुभूति को जगाने के लिए ही व्यंग्यकार अपनी किसी भी .ति की सर्जना करता है।

हरिशंकर परसाई राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना से परिपूर्ण एक प्रतिबद्ध लेखक हैं। देश की दिशा व दशा देखकर वे विक्षुब्ध होते हैं– ''मैं अखबार उठाकर देखता हूँ कि दूसरी जगह क्या हाल है। सब कहीं यही हाल है। मुझे सहसा राष्ट्र की एकता का बोध होता है। हे भारतभाग्यविधाता, पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग सब जगह अन्न को मारकर दफना दिया गया। कोटि–कोटि नर–नारी अन्न–संकट के सूत्र में बँधकर एक हो गये हैं। भूखमरी और भ्रष्टाचारी हमारी राष्ट्रीय एकता के सबसे ताकतवर तत्व बन गये हैं। धर्म, संस्कृति और दर्शन कमजोर पड़ गये हैं। कैसी अद्भूत एकता है।''[1] इसी प्रकार संस्कृति पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं– ''संस्कृति की हड्डी को अब कुत्ते चबाते घूम रहे हैं। संस्कृति की हड्डी कुत्ते का जबड़ा फोड़कर उसका खून उसी को स्वाद से चटवा रही है। हाँ, हम विश्व बन्धुत्व भी मानते हैं।''[2]

हरिशंकर परसाई का व्यंग्य केवल राजनैतिक गलियारों तक नहीं सिमटा है। उनका व्यंग्य संसद से सड़क तक फैला है। एक ओर तो वे नेताओं की झूठी क्रान्तिकारिता और नारेबाजी की पोल खोलते हैं और वहीं मध्यवर्गीय परिवारों के दैनंदिन राग–विराग से जुड़ते हैं। सारी सहानुभूति और करुणा के बावजूद वे किसी को भी अपने व्यंग्य के धारदार वार से बचाते नहीं। वे किसी को नहीं छोड़ते, कहीं–कहीं तो स्वयं को भी नहीं। गणतन्त्र दिवस और अकाल जैसे विपरीत ध्रुवीय मुद्दों को एक में पिरोते हुए वे आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़ते हैं– ''गणतन्त्र दिवस पर परेड होती है। अकाल में सस्ते गल्ले की राशन दुकान पर भी परेड होती है और ज्यादा जोश से होती है। गणतंत्र परेड कुछ घण्टे होती है, अकाल परेड महीने में हर रोज होती है। राशन दुकान पर खाली झोला लिए खड़ी फौज में उन फौजियों से ज्यादा जोश होता है।''[3]

केवल यही नहीं यह आम व्यक्ति उनकी रचनाओं के केन्द्र में है। मध्यवर्ग की परिभाषा भी वे अपने चिरपरिचित चुटीले अन्दाज में गढ़ते हैं– "उच्चवर्गीय झूठा रोब भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी– यह चरित्र है इस कुत्ते का। यह मध्य वर्गीय चरित्र है। यह मध्यवर्गीय कुत्ता है।"[4] यह 'कुत्ता' शब्द बड़ा ही प्रतीकात्मक बन पड़ा है। जैसे, कुत्ता वफादार होते हुए भी कुछ लोभ–लाभ रखता है वही दशा मध्यवर्गीय परिवार के व्यक्तियों की है। क्रान्ति से लेकर शान्ति तक, व्यवसाय से लेकर अध्यात्म तक, प्रेम से लेकर घृणा तक वह मध्य में ही अटका रहता है। 'गुड़ की चाय' में वे इसी तथ्य का उद्घाटन करते हैं– "हम छोटी–छोटी चीजों से मरते–जीते हैं। मध्यमवर्गीय आदमी शक्कर के अभाव में गुड़ की चाय पीता है, तो सोचता है, इसके आगे भगत सिंह का बलिदान कुछ नहीं है। अगर भारतवासी 1920 से 1930 तक गुड़ की चाय पीते, तो 1931 में ही देश आजाद हो जाता।"[5]

आजकल स्त्री–आन्दोलन काफी जोर–शोर से चलाया जा रहा है। स्त्री को पढ़ाकर और नौकरी करवा कर हर कोई अपनी पीठ आप शाबाशी देने में लगा है। लेकिन यह सारा परिवर्तन क्या आधुनिक समाज की उर्वर सोच मात्र तो नहीं है। व्यंग्यकार इस पर चुभावनी टिप्पणी करता है– "हमारे जमाने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आन्दोलन से? आधुनिक सृष्टि से? उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से? नहीं, उसकी मुक्ति का कारण मँहगाई है। नारी मुक्ति के इतिहास में वह वाक्य अमर रहेगा, "एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता।"[6]

तथाकथित ही सही इस मुक्ति के बाद भी स्त्री के प्रति वह शंका–कुशंका वाली व्यावहारिक सोच आज भी दिलोदिमाग में अपनी धूनी रमाए बैठी है। पत्नी को परीक्षा देनी है पतिदेव आये हैं परसाई जी से व्याख्या सुनने ताकि घर जाकर अपना यह त्वरित ज्ञान श्रीमती जी को दे सकें और वे किसी तरह उत्तीर्ण हो जायें। पर सतही तौर पर कवियों को जानने वाले इन महोदय का निवेदन है कि वे कबीर को पढ़ायें, विद्यापति को नहीं इस पर परसाई जी लिखते हैं– "तू क्या कबीर को भला आदमी समझता है? अरे कबीर को अगर ढ़ंग से समझ ले, तो विद्यापति से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 'मन फूला–फूला फिरे जग में कैसा नाता रे', अगर ठीक से पत्नी समझ ले, तो तेरी गृहस्थी ही टूट जाये।"[7]

इस सन्दर्भ में वे मध्यवर्गीय अभिजात्यवादी मनोविज्ञान को दर्शाते हैं–"हमारी मुश्किल यह है कि हम हमेशा दूसरे की बीवी की खोज करते हैं। दूसरे की स्टेज पर आ जाये अपनी न आये। दूसरे की नहीं आती, तो कहते हैं कि बड़े पिछड़े हुए लोग हैं। हम पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, जिन्होंने उसका मुरब्बा बनाकर घर में रख छोड़ा है।"[8]

व्यंग्य की इस यात्रा में वे उन चलतू प्रेमियों की भी खबर लेते चलते हैं जो प्रेमिका पर जान छिड़कते फिरते हैं पर उधार का हिसाब डायरी पर लिखते जाते हैं– "मुझे ऐसे आदर्श प्रेमी बड़े अच्छे लगते हैं, जो प्राण देने को तैयार हैं, मगर भूखी प्रेमिका को जो आटा देते हैं उसकी कीमत उसके खाते में लिख लेते हैं। प्राण की कोई कीमत है? बाजार में कौन खरीदता है प्राण? आटा फिर भी एक किलो डेढ़ रूपये का होता है। हिसाब प्रेम में जरूर होता है। कहीं प्रेम में फल नहीं आये या शादी न हुई तो कम–से–कम हिसाब तो रिकार्ड में रहेगा।"[9] यहाँ व्यंग्यकार ने बाजारवादी संस्कृति में प्रेम की नस–नस का चेकअप–सा किया है। 'अति सूधो सनेह को मारग' और 'कराल प्रेम पन्थ का मारग' आदि जुमले झूठे हैं। प्रेम पर आस्था–अनास्था पर चिंतन करने की बजाय लोग अर्थव्यवस्था पर चिंतन करते हैं। जाहिर है ऐसे समय में हालांकि अनुभूति अभी अभिनव है पर चेहरे की चमक का कारण प्रेम नहीं साबुन 'डव' है।

उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त श्री परसाई जी ने जमाखोरी, कालाबाजारी, बुद्धिजीवी, युवा, नेता भ्रष्टाचार आदि को भी अपने व्यंग्य–वाङ्मय में समुचित स्थान दिया है। गेहूँ संकट से गुजरते भारत में तत्कालीन परिवेश का पूर्णरूपेण चित्रण किया है– "जब गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबन्ध था, एक जून का आटा अँगोछे में बाँधकर चलने वाले किसान को सजा हो जाती थी और उधर हजारों बोरे गेहूँ रातो–रात सीमा पार हो जाता था, काले बाजार में बिकने के लिए। न्याय को अन्धा कहा जाता है– मैं समझता हूँ न्याय अन्धा नहीं काना है, एक ही तरफ देख पाता है।"[10] कालाबाजारी की निन्दा करते हुए वे एक और जगह कहते हैं– "मुझे एक ज्ञानी ने बताया कि अगर तुम यह कह देते कि गेहूँ खाने के लिए नहीं कालाबाजार में बेचने के लिए ले जा रहे हैं तो आने जाने दिया जाता।"[11]

युवाओं की क्रान्ति का जायजा भी व्यंग्यकार लेने से नहीं चूकता है। जैसे अच्छे कपड़े, बेल्ट, टाई का शौक उन्हें घेरे रहता उसी तरह वे भी मार्क्स और लेनिन को पहन लेते हैं और इस नये परिधान में कुछ दिनों तक शांति भंग किये क्रान्ति–क्रान्ति चिल्लाते हैं। 'अतिक्रान्तिकारी' में वे कहते हैं– "जवानी में जैसे अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी टाई का शौक होता है, वैसे ही सम्पन्न घरों के कुछ युवकों को क्रान्ति का शौक हो जाता है। क्रान्तिकारिता को वे एक और अच्छा सूट, एक और अच्छी टाई, एक और अच्छा जूता समझते हैं। इससे शोभा बढ़ती है। प्रतिष्ठा बढ़ती है। क्रान्तिकारिता नया फैशन है।"[12]

अस्तु हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य का अपने चौतरफा फैले समाज का चित्र खींचने में सशक्त तूलिका की भाँति प्रयोग किया है। "तात्पर्य यह है कि परसाई

का व्यंग्य लेखन अन्य व्यंग्यकारों की भाँति न तो मनोरंजन मात्र है और न दस्तावेजी चित्र। उनका व्यंग्य एक ओर चट्टानी विश्वासों से भरपूर है तो दूसरी ओर विस्फोट की आग लिए है। व्यवस्था के बदलाव की प्रतिबद्धता उनके व्यंग्य को कबीर की भाँति क्रान्तिकारी ताकत प्रदान करती है।"[13] भक्ति करते हुए भी दुनिया की ओर 'वैष्णव' भले ही फिसला हो पर व्यंग्य की 'ताबीज' ने परसाई को तमाम विद्रूपताओं एवं अव्यवस्थाओं में भी तटस्थ बनाए रखा। अपनी विस्तृत चेतना के कारण वे जन–जीवन से जुड़ सके और अपने निबन्धों, उपन्यासों एवं कहानियों की मुख्य धारा को उनसे सम्बद्ध किया।

lUnHkZ xzUFk lwph%

1. प्रतिनिधि व्यंग्य, हरिशंकर परसाई, पृ.सं. 31 (राजकमल प्रकाशन)
2. वही, पृ.सं. 23
3. वही, पृ.सं. 100
4. वही, पृ.सं. 50
5. वही, पृ.सं. 17
6. वही, पृ.सं. 89
7. वही, पृ.सं. 77
8. वही, पृ.सं. 78
9. वही, पृ.सं. 144
10. वही, पृ.सं. 27
11. वही, पृ.सं. 30–31
12. वही, पृ.सं. 27
13. समकालीन हिन्दी व्यंग्यः एक परि.श्य, सं. सुदर्शन मजीठिया, पृ.सं. 40

vk;l Hkk"kkvka ls fgUnh Hkk"kk ea 'kCnka dk xg.k

Mk- vkykd dekj flg*

विभिन्न भाषाभाषियों का सम्बन्ध एक–दूसरे से प्राचीन काल से रहा है। इस सम्पर्क के फलस्वरूप एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा के शब्दों पर प्रभाव स्वाभाविक है। कभी–कभी तो किसी भाषा के शब्द दूसरी भाषा में पूर्णरूप से ग्रहण कर लिए जाते हैं। वर्तमान काल में ही अंग्रेजों के सम्पर्क से बहुत से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हिन्दी आदि देशी भाषाओं में इतनी स्वतंत्रता से होने लगा है कि मानों वे उन्हीं भाषाओं के शब्द हों। उदाहरणार्थ–अंग्रेजी के स्कूल, स्टेशन, प्लेटफार्म आदि शब्द। इसी प्रकार जब आर्य लोग भारत में आए तो उन्होंने बहुत सी आर्येत्तर जातियों के शब्दों को अपनी भाषा में ग्रहण किया। इसके विपरीत बहुत से आर्यों के शब्द आर्येत्तर भाषाओं में अपनाये गए। अतः जब हम दो भाषाओं के शब्दों में समानता देखते हैं तो हमारे सामने यह प्रश्न आ जाता है कि किस भाषा ने दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण किया अथवा वे दोनों भाषायें एक तीसरी भाषा से प्रभावित हुईं ? कभी–कभी इस समस्या को सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि इसका हमें कोई निश्चित आधार नहीं मिलता है। श्री जयनाथ पति ने इस सम्बन्ध में कतिपय नियमों का उल्लेख किया है। वे नियम इस प्रकार हैं–

जब एक भाषा किसी अन्य भाषा से कोई शब्द ग्रहण करती है तो शब्द में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि वह ग्रहण करने वाली भाषा में पूर्णरूप से मिल जाता है। इसे प्रकृतीकरण का नियम कहना उचित होगा। यह प्रथम नियम दो उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है– उन परिवर्तनों के सम्बन्ध में जो प्राकृतिक कारणों से हैं। प्रकृतीकरण की प्रणाली में उन अन्य परिवर्तनों के सम्बन्ध में जो समान कारणों से होते हैं–अर्थात स्वरचना की प्रकृति। उदाहरणार्थ कुछ ध्वनियों व संयुक्त वर्णों के उच्चारण की असमर्थता। उदाहरण–मूर्धन्य वर्ण जो हिन्द ईरानी शाखा की भाषाओं की भिन्नता प्रकट करने वाली विशेषता है, वह अन्य आर्य भाषाओं में पूर्णरूप से अनुपस्थित है तथा द्राविड़ी भाषाओं का एकाधिकार नहीं हैं किन्तु अन्य तातारी भाषाओं में भी प्राप्त होते हैं जैसे वे भाषायें जिन्होंने सिन्धी पर प्रभाव डाला। इस प्रकार वह जाति जिसकी भाषा भारतवर्ष में आर्य हो गयी थी, उस समय द्राविड़ी–भाषी नहीं थी। द्राविड़ी भाषाओं में 'औ' नहीं होता। अतः जब संस्कृत के दो स्वरों से मिश्रित उच्चारण वाले शब्द ग्रहण

---

* असिस्टेंट प्रोफेसर,, हिन्दी विभाग, माँ मंशादेवी महाविद्यालय, चन्दौली

किये जाते हैं तो उसके 'अ' और 'उ' मूल अवयव मधुर उच्चारण वाले व्यावहारिक 'व' के साथ, अलग कर दिए जाते हैं—जैसे संस्.त का 'सौख्यम्', और तमिल का 'सवुक्कियम्'। तमिल भाषी आदि 'र' अथवा 'स' का सरलता से उच्चारण नहीं कर सकते अतः संस्कृत के 'र' अथवा 'स' वर्ण से आरम्भ होने वाले शब्दों के पूर्व उनकी भाषा में एक स्वर लगा दिया जाता है। उदाहरणार्थ संस्कृत का 'राजन' शब्द तथा तमिल भाषा का 'इराशन्' अथवा 'इरायन्' व 'अरयन्' संस्कृत का रेवती तथा तमिल का 'इरवत्ति', संस्कृत का 'रक्त' तथा तमिल का 'इरत्तम', 'अरत्तम', संस्कृत का 'रव' तथा तमिल का 'अरवम', संस्कृत का 'लोक' तथा तमिल के 'उलोगम', 'उलगम', 'उलगु'। यदि किसी भाषा में कोई एक विशेष ध्वनि वाला स्थानीय शब्द नहीं होता है और वह उस ध्वनि वाले किसी शब्द को दूसरी भाषा से ग्रहण करती है तो वह विशेष ध्वनि निकटतम किन्तु साधारणतया कम कठिन ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है (बहुधा उस भाषा के एक ही वर्ग में)—जैसे 'ऋ' से 'इरि', 'क्' से 'क', 'ख्' से 'ख', 'ग्' से 'ग', 'क्'—'ग्', 'ग्'—'ज', 'च्'—'श्', 'ज्'—'श', 'ज्'—'ज', 'श'—'स'। द्राविड़ी (विशेषतः तमिल और मलयालम) उग्री (फीनी, लैपी इत्यादि) तथा बेहिस्तून शिलालेख के शकी अनुवाद में केवल अघोष से ही शब्द आरम्भ होता है जबकि या तो सघोष अथवा द्वित्व अघोष का उच्चारण मध्य में किया जाता है अतः जब ये भाषायें कोई ऐसा शब्द ग्रहण करती हैं जो इस नियम के अनुसार नहीं होता है तो उसमें संशोधन कर लिए जाते हैं। संस्कृत—दंतम्, तमिल—तंदम्, संस्कृत—भाग्य, तमिल—पाक्कियम्, संस्कृत—मंडप, तमिल—मंडबम्, संस्कृत—अन्त, तमिल—अंदम्, संस्कृत—लोक, तमिल—उलोगम्। द्राविड़ी भाषाओं में महाप्राण नहीं होते अतः संस्कृत का सौख्यम् तमिल भाषा में सबुक्कियम् होता है। तुद के अतिरिक्त समस्त द्राविड़ी भाषाओं में डॉ0 काल्डवेल के अनुसार 'फ' अपरिचित है तथा अंग्रेजी भाषा से गृहीत शब्दों में 'फ' के अतिरिक्त 'प' हो जाता है। तमिल का एक भावात्मक शब्द 'शेबम्' (प्रार्थना) है, जो संस्कृत के 'जप्' से गृहीत है, 'शेवा' (सेवा) से नहीं। जब कभी एक भाषा अन्य भाषा से किसी शब्द को ग्रहण करती है तो गृहीत शब्द ग्रहण करने वाली भाषा में पूर्व से वर्तमान समान ध्वनि वाले अथवा निकटतम तुकबन्दी वाले शब्द से प्रभावित होता है जिसके फलस्वरूप गृहीत शब्द ध्वनि में आकृष्ट करने वाले शब्द अथवा शब्दों से या तो कुछ वर्णों को निकाल कर अथवा अपने में कुछ अन्य वर्ण मिलकर लगभग समान हो जाता है। इसे हम स्वरों का मिश्रण कह सकते हैं। मैक्समूलर नामक विद्वान इसे निर्मूल अथवा शैशवीय समता कहते हैं, किन्तु इस पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया गया है। मनोविज्ञान में हम विचार विनिमय का नियम पाते हैं एक वाह्य विचार मस्तिष्क में पूर्व से वर्तमान,

समान विचारों को लाता है। संगीतज्ञों को यह विदित है कि किसी स्वर को निकालना उस दशा में कितना कठिन है जबकि एक भिन्न प्रकार का स्वर निकाला अथवा गाया जा रहा हो। कदाचित् अच्छी या बुरी संगति का नैतिक प्रभाव इसी प्रकार के किसी नियम के लागू होने के कारण होता है। अतः यदि हम शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक संसार के नियमों से समानता रखने वाला कोई नियम भाषा के क्षेत्र में पाते हैं तो हमें आश्चर्य चकित नहीं होना चाहिए वरन् मनोविज्ञान इसकी आवश्यकता पर संकेत करेगा। आत्मविद्या द्वारा इसका कारण अधिक स्पष्ट रीति से समझाया गया है। अपरिचित को परिचित रूप में ले आना, अर्थरहित को अर्थपूर्ण बनाना, मनुष्य के मस्तिष्क के स्वभाव के अन्तर्गत है। इसको कार्यान्वित करने में वह किसी प्रकार की आपत्ति की उपेक्षा नहीं करता है। सर्वप्रथम किसी अपरिचित शब्द को सुनकर विचार विनिमय के नियम द्वारा निकटतम परिचित शब्द स्मरण हो आता है तथा अपरिचित को पुनः उत्पन्न करने में वह यथासाध्य स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर, घटाकर, विस्तृत तथा संकुचित कर निकटतम् रूप बना देता है। इसका प्रभाव भाषा के भौतिक परिवर्तनों में स्वीकार कर लिया गया है।

'ऐज़न' शब्द से हमें 'ऐजन' रूप प्राप्त होता है। तत्पश्चात् अंग्रेजी के 'एन्जिन' शब्द से 'इनजन', 'अंजन' ऐसे अनुस्वार युक्त रूप प्राप्त हुए। बसेनगर के पाली शिलालेख में 'ऐन्तियालकिड्स' शब्द अंत तथा लिखित से प्रभावित होकर 'अंतलिकितस्' हो गया। 'ग्रीक–होरस', 'संस्.त–होड़ा' (समानता षोडस, किन्तु उपर्युक्त समानता का शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से घोड़ा होगा क्योंकि जब यह शब्द ग्रहण किया गया था तब प्राकृत बोली जाती थी, अतः इस शब्द ने इसे अवश्य प्रभावित किया होगा।

स्वरों के मेल में, युक्ति विरुद्ध व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं, यदि जोड़ने से किसी प्रकार वक्ता को किसी परिचित वस्तु की ओर संकेत होता है। जब नवदह तहसील में सहकारी समितियाँ निर्मित हुईं तो ग्रामवासियों ने सोसाइटी शब्द का उच्चारण सुरमुरी शब्द में किया। वे इसी शब्द से प्रभावित थे जिसका अर्थ नाक में एक विचित्र प्रकार की हलचल है। आजकल वे अधिकतर उसे 'सुसैटी' कहते हैं। अंग्रेजी शब्द जनरली से हम जरनैली, जरनल से जरनैल पाते हैं (समानता करनल से करनैल)। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक शब्द छोड़ दिया गया है और अन्य शब्द जोड़ दिया गया है अथवा इसका क्रम बदल दिया गया हो। 'बो–बाजार–बहु बाजार', 'पालकी से पैलैंक्विन'। ऐसा कहा जाता है कि यह 'पलंग' शब्द से उद्घृत है अथवा अधिक निकट समानता के लिए संस्कृत का 'पलयंक' शब्द लाया जाता है। किंतु यह शब्द आधुनिक समय में अंग्रेजी वर्ग में आ गया है तो यह हिन्दी से

उद्‌घृत होगा। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द के निर्माण में फ्रेंच भाषा भी सहायक हुयी है क्योंकि इस शब्द के बनने में 'वैल्डकें' शब्द से सहायता ली गयी है जो कि फ्रेंच भाषा का है।

यदि किसी भाषा के मूल का निर्णय उसके आन्तरिक विकास के स्थापित नियमों के द्वारा उसकी कोई भी धातुओं से नहीं हो सकता तो वह किसी भिन्न भाषा से उद्‌घृत शब्द है। इसे स्वयं सिद्ध प्रमाण भी कहा जा सकता था यदि इसकी गम्भीरता के कारण इसकी शुद्धता के विषय में बहुत से प्रत्यक्ष सन्देहपूर्ण तर्क न होते। बहुधा देखा जाता है कि प्रसन्नचित ग्रामीण अपने एक सम्बन्धी से, जिसे वह रीति रिवाज के अनुसार उपहास कर सकता है, गाँव का नाम पूछता है। दूसरा व्यंग्यात्मक भाषा में प्रश्नकर्ता के ही गाँव का नाम बतलाता है। प्रथम व्यक्ति तुरन्त उससे पिता का नाम पूछता है, दूसरा व्यक्ति इस पर लज्जित हो जाता है। तब चारों ओर से नटखट बालक हँसते हैं और आश्चर्य प्रकट करते हुए चिल्लाते हैं पकड़ गया, फँस गया। इस नियम का भी सिद्धान्त ऐसा ही है, केवल यहाँ पर वह हल्कापन नहीं है। सम्भवतः इस विषय में एक विरुद्ध वचन यह हो सकता है कि यह सब उदाहरणों में लागू नहीं होता। अग्नि तथा अन्य ऐसे शब्दों के मूल का निर्णय किसी भी संस्कृत की धातु से नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि क्या यह भी उद्धरित शब्द है? बहुत संभव है ऐसा ही हो। भाषावैज्ञानिकों के मतानुसार ये शब्द आर्य भाषाओं की उपस्थिति के पूर्व वर्तमान थे जिनमें भी इन शब्दों का अर्थ लगभग सामान ही था। यहाँ पर स्थानीय संस्कृत शब्द का द्राविड़ी भाषा के गृहीत शब्द से अंतर बतलाने के लिए डॉ. कॉल्डवेल के प्रयोगों का प्रसंग देना असंगत न होगा। वे निम्नलिखित हैं–जब कोई संस्कृत का शब्द बिना किसी धातु या मूल के अकेला होता है किन्तु द्राविड़ी भाषा में सम्बंधित शब्दों से घिरा होता है। जब संस्कृत में एक ही भाव को प्रकट करने वाले अन्य शब्द होते हैं तथा द्राविड़ी भाषाओं में केवल प्रसंग वाला ही शब्द होता है। जब भारोपीय परिवार की किसी भाषा में संस्कृत से सम्बंधित शब्द नहीं मिलता है, किन्तु द्राविड़ी परिवार की प्रत्येक भाषा में प्राप्त होता है, वह चाहे कितना भद्दा ही क्यों न हो। जब संस्कृत कोशकारों द्वारा की हुयी शब्द व्युत्पत्ति प्रकट रूप से काल्पनिक होती है, किन्तु द्राविड़ी कोशकार किसी ऐसी समान महत्व वाली स्थानीय धातु से परिणाम निकालते हैं जिससे विभिन्न शब्दों की व्युत्पत्ति की जा सकती है। द्राविड़ी के शब्द का महत्व वास्तविक रूप से भौतिक तथा स्वाभाविक है, जबकि संस्कृत सम्बन्धी शब्द का महत्व कल्पित अथवा केवल समकक्ष है। जबकि स्थानीय तमिल तथा तेलुगू के विद्वान संस्कृत को देववाणी तथा सम्पूर्ण साहित्य की जननी होने की

अन्य कल्पना करने पर भी प्रसंग के शब्द का विभाजन द्राविड़ी भाषा का करते हैं। जब इनमें से कोई कारण दृष्टिगत होता है और विशेषतः जब उनमें से कई अथवा सब परस्पर मिल जाते हैं तो हम सुरक्षित रूप से इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि प्रसंग का शब्द संस्कृत मूल का नहीं बल्कि द्राविड़ी भाषा का है। निम्नलिखित उदाहरणों से उपर्युक्त निरीक्षण के नियमों की पुष्टि हो जाएगी।

द्राविड़ी तथा संस्कृत–अक्का (माँ), अत्ता, अत्ति (माँ, बड़ी बहिन, माँ की बड़ी बहिन), अटवि (वन–संस्कृत के विद्वान इसकी मूल धातु 'अट्ट' बतलाते हैं) किन्तु अड़ शब्द का अर्थ सामीप्य है जो विशेषतः द्राविड़ी शब्द है। केल–वि (श्रवण करना) द्राविड़ी के केल (सुनना) शब्द से है, अणि (गाड़ी की कील), अम्बा, अम्ब (माता, पिता) अलि, कटुक, कटु (कडुवा) गलती से इसकी मूल धातु संस्कृत के 'कट' शब्द (जाना) से बताई जाती है। कला, कुटी (झोंपड़ी तमिल–कुडी–गृह) कूल, नीर (जल–द्राविड़ी नीर, नीरू–द्राविड़ी में जल के लिए केवल यही शब्द है), मीन–मछली (संस्कृत के विद्वान् इसकी मूल धातु भी–'दुःख देना' बतलाते हैं किन्तु यह शुद्ध नहीं हो सकता)। इसकी व्युत्पत्ति द्राविड़ी की 'मि' धातु (चमकना) अधिक सरल तथा सुन्दर है द्राविड़ी 'मीन' (तारा) 'अडुमीन' (सप्तर्षि नक्षत्र)। इसके अतिरिक्त द्राविड़ी में केवल 'मीन' शब्द ऐसा है जिसका अर्थ 'मछली' है जबकि संस्कृत में 'मत्स्य' शब्द भी है। 'मलय' की मूल धातु संस्कृत की 'मल' धातु (रखना, पकड़ना) कही जाती है किन्तु द्राविड़ी के 'मल', 'मलेइ' (पहाड़ी, पर्वत) के सामने यह असंगत है। अतः इसकी उत्पत्ति संस्कृत की अपेक्षा द्राविड़ी से अधिक उपयुक्त है।

डॉ० काल्डवेल के उद्धरण में पर भाषा जब पूर्वभाषा के परिवार की होती है तथा पूर्व वाली भाषा में कोई ऐसा शब्द होता है जो बाद वाली भाषा में भी पाया जाता है किन्तु पूर्वभाषा के शब्द का रूप दो भाषाओं के तुलनात्मक भाषाशास्त्र के स्थापित नियम का उल्लंघन करता है। उदाहरणार्थ जर्मन भाषा का 'कैसर', लैटिन का 'सीजर' इन प्रयोगों के अनुसार वेदों का 'मना' शब्द, लैटिन का 'माइना' ग्रीक का 'मना' ये सब सामी परिवार के शब्दों अथवा अधिक शुद्ध रीति से सुमेरी परिवार से गृहीत किये गए हैं। व्याकरण के व्यवहारों में गृहीत शब्द साधारणतया उन स्थानीय शब्दों में प्रयुक्त शब्दों के नियमों का पालन करते हैं जिनसे वे वाह्य रूप में निकटतम् समानता रखते हैं अथवा भाषा के किसी अपूर्व ग्रहण किये हुए स्वाभाव के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। कभी–कभी विद्वान् लोग व्याकरण के वाह्य रूपों को शब्दों के साथ प्रयुक्त कर अव्यवस्थित बातों को स्थिर रखने का प्रयत्न करते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के विद्वानों ने बहुत कम किसी शब्द को विदेशी

बतलाया है क्योंकि उनका अनुमान था कि वे जितने शब्द जानते थे उनमें से प्रत्येक के लिए संस्कृत की मूल धातु का पता लगा सकते थे। अतः उन्होंने विदेशी शब्दों का पृथक व्यवहार नहीं किया। किन्तु संस्कृत साहित्य से जो कुछ झलक मिल सकती है उससे नियम का अपनाना ही प्रतीत होता है–जैसे ऋग्वेद के 'मना' शब्द का अनुगमन 'हिरण्यया' शब्द के द्वारा किया जाता है। अतः देखने में तृतीया का रूप है और इसीलिए इसका प्रयोग अकारान्त किया गया है।

I UnHk xUFk I ph %

1. Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India by Sylvain Levi, Jean Przyluski, Jules Bloch . (English translation by P.C. Bagchi)
2. L' Inde Classique by Louis Renou and Jean Filliozat-(1949)_Les Races
3 Influence of Portuguese Vocables in Asiatic Languages by Rodolfo Dalgado. (English translation by Anthony Xavier Soares-The Authors Introduction)
4. The Origin and Development of the Bengali Language-Vol.I by Dr. Suniti Kumar Chatterji
5. B.C. Law Volume-edited by Bhandarkar and others-Buddhist Survivals in Bengal-Dr. S.K. Chatterji
6. The Cultural Heritage of India-Vol. III-Hindu Culture and Greater India-Dr. Suniti Kumar Chatterji
7. आर्य संस्कृत के मूलाधार–आचार्य बलदेव उपाध्याय
8. सामान्य भाषा विज्ञान–डॉ. बाबू राम सक्सेना
9. भारतीय इतिहास की रूपरेखा–जयचन्द्र विद्यालंकार

●

fd'kksjkoLFkk esa eknd inkFkksa
ds iHkko dk v/;;u

Mk- vkHkk flag*

किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के 'एडोलेसेन्स' (Adolescence) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। 'एडोलेसेन्स' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिया शब्द 'एडोलस्कर' (Adolescere) शब्द से हुई है जिसका अर्थ है 'परिपक्वता की ओर बढ़ना' (to grow to maturity)। 12 से 22 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना गया है। इस आयु में यदि बालक और बालिका अपने जीवन की रूपरेखा निर्धारित कर लेते हैं तो निश्चयपूर्वक उनका भविष्य उज्जवल होता है।

fd'kksjkoLFkk esa eknd inkFkksa dk iHkko %

वैज्ञानिक शोध से यह सिद्ध हुआ है कि तम्बाकू विषाक्त द्रव्य है। इसमें अनेक महायोग होते हैं। खासकर महाव्याधि कैंसर का अद्‌भुद तम्बाकू द्वारा ही होता है, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने शोध कर यह निष्कर्ष निकाला है कि जितने भी रासायनिक पदार्थ कैंसर वर्धक हैं उनमें सबसे अत्यधिक घातक तम्बाकू में पाये जाते हैं। तम्बाकू किसी भी रूप में सेवन किया जाये, यह अपने विष का प्रभाव उत्पन्न कर शरीर को मृत्यु के मुँह में ढकेलती है। कैंसर, हृदय रोग, क्षय रोग आदि तम्बाकू का दुर्भाग्यपूर्ण देन है।

रासायनिक परिक्षणों से पता चलता है कि तम्बाकू में निकोटिन, सकोलिन, यूरिक एसिड, अमोनिक परफेरोल, पायरीडीन, साइनोजेन, कोलोडीन, कार्बन मोना आक्साइड आदि 24 प्रकार के विष होते हैं। शिकागों के एक शरीर वैज्ञानिक ने लिखा है कि तम्बाकू में पाये जाने वाला निकोटिन पदार्थ इतना विषैला होता है कि इसके एक औंस का 1/400 भाग यदि मनुष्य के रक्त में इंजेक्शन द्वारा मिला दिया जाये तो वह मर जायेगा। तम्बाकू में पाये जाने वाले विषों से कब्ज, दातों के रोग, नेत्र के रोग, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और अनिद्रा रोग उत्पन्न हो जाती है।

शोधों से मालूम हुआ है कि तम्बाकू में पाये जाने वाले विभिन्न पदार्थों की संख्या पन्द्रह मानी गयी है। यह पदार्थ कैंसर के बीज होते हैं। अमेरिका के 'नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट' ने अनुसंधान से तम्बाकू में पाये जाने वाले उन कैंसर

---

* शोध छात्रा, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर

पदार्थों का पता लगाया है जो घुलित अवस्था में सक्रिय होते हैं। उनमें कुछ ऐल्कोलेड हैं। एन. नाइट्रोसोनोरनिकोटिन, एन. नाइट्रोसेमोरफिलिन तथा एन.एम. ओ.आई. ये लार में आसानी से घुल जाते हैं और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। संसार में फैले मुँह वाले कैंसर से 40 प्रतिशत रोगी भारत में हैं।

eknd inkFkkZ dk vFkZ %

साधारण शब्दों में कहा जा सकता है मद्यपान का अर्थ शराब का सेवन है तथा जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसे हम मद्यसेवी कहते हैं यदि एक व्यक्ति मित्रता, मजाक, फैशन या अन्य किसी दुःख दर्द के कारण शराब पीना आरम्भ कर देते हैं तो धीरे–धीरे उसकी आदत पड़ती जाती है और उसी के साथ–साथ शराब की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पहले व्यक्ति की और बाद में समाज की हानि होती है।

मादक द्रव्यव्यसन शब्द का तात्पर्य है, मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता से है। मादक पदार्थों के निरन्तर प्रयोग से शरीर उन पदार्थों की उपस्थिति से अपना सामंजस्य कर लेता है और यदि उनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो शरीर में दर्द, बेचैनी, रूग्णता महसूस होती है। दूसरे शब्दों में मादक द्रव्यव्यसन वह दशा है जिसमें शरीर दो कार्य करते रहने के लिये मादक पदार्थ योग की आवश्यकता महसूस होती है। यदि मादक पदार्थों का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है तो संचालन में बाधा पैदा करती है। इसलिए व्यक्ति चाह कर भी मादक पदार्थों को नहीं छोड़ पाता है।

eknd nzO; O;lu ¼u'khyh nokvksa dk lsou½ %

नशे के लिये केवल तम्बाकू व शराब का प्रयोग नहीं किया जाता है, वरन् अन्य वस्तुओं जैसे– अफीम, गांजा, चरस, भांग, कोकीन, मारफीन, माजून, हशीश, ब्राउन सुगर, पैथोडिन तथा एस्पिरीन आदि। लिण्डर स्मिथ का कहना है कि– मादक द्रव्य व्यसन शब्द का तात्पर्य है कि मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता (Physical Development) से हैं। मादक पदार्थों के निरन्तर प्रयोग से शरीर उन पदार्थों की उपस्थिति से अपना सामंजस्य कर लेता है और यदि उनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो शरीर में दर्द, बेचैनी, रूग्णता महसूस होती है, दूसरे शब्दों में मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थ योग की आवश्यकता महसूस होती है यदि मादक पदार्थों का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है तो संचालन में बाधा पैदा करती है।

अवैध मादक पदार्थों का उपयोग या वैध मादक पदार्थों का दुरूपयोग कहलाता है, जिससे शारीरिक या मानसिक हानि होती है। इसके अन्तर्गत धुम्रपान, गांजा,

हेरोइन, कोकिन, एल.सी.डी. मार्फिन के इंजेक्शन एवं शराब आदि का प्रयोग सम्मिलित है। इन्हें कई बार high on speed या trip या getting kicks जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

e|iku ,d leL;k ds :i esa%

भारत में स्वतन्त्रता से पहले तक मद्यपान की समस्या अधिक गंभीर नहीं थी। कुछ धार्मिक अवसरों पर जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग का उपयोग करता था अथवा कुछ वर्गों में ताड़ी के उपयोग का प्रचलन था। स्वतंत्रता के बाद भारत में मद्यपान की समस्या तेजी से बढ़ने लगी।

महात्मा गांधी कहते हैं कि– 'मद्यपान को मैं चोरी और यहाँ तक की वेश्यावृत्ति से भी अधिक बुरा मानता हूँ क्योंकि यह दोनों बुराइयाँ मद्यपान से पैदा होती हैं।'

समस्या की गम्भीरता को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि सन् 1970 में भारत में शराब का उत्पादन जहाँ केवल 60 लाख लीटर था वही सन् 1977 में मोरार जी देसाई के प्रधानमंत्री काल में सम्पूर्ण देश में महानिषेध लागू हो जाने के कारण इसके उत्पादन में काफी कमी हुई लेकिन चोरी–छिपे रूप से देश में मद्यपान की प्रवृत्ति में अधिक कमी नहीं हो सकी।

v/;;u {ks= %

अनुसंधान के क्षेत्र के चयन हेतु गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत गोरखपुर शहर के अशोक नगर, खजाँची चौराहा, राप्ती नगर, मेडिकल रोड आदि स्थानों का चुनाव किया गया है।

v/;;u i)fr %

इस शोधकार्य की रूपरेखा एक अन्वेषणात्मक (Exploratory) के साथ–साथ में निरूपणात्मक (Formulating) के रूप में तैयार की गयी है क्योंकि इस शोधकार्य में अज्ञात तथ्यों को खोजने का प्रयास किया गया है एवं प्राप्त किये गये तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। जिससे इन तथ्यों का निरूपणात्मक (Formulating) विवेचन संभव किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अनुसंधान विषय, पद्धति तथा प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी बातें सुव्यवस्थित ढंग से निश्चत कर अनुसंधान कार्यक्रम बनाया गया है।

rF; ladyu dh izfof/k;k¡ %

तथ्यों का संकलन अनुसंधान की एक अनिवार्यता है इसके लिए लेख के विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन में प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन में वास्तविक तथ्यों के संकलन के लिए क्षेत्र में जाकर

अनुसूचियों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा गया है। यहाँ पर अध्ययन विषय से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों को उपरोक्त पद्धतियों का उपयोग करते हुए अनुसंधानकर्त्री ने लेख सम्बन्धित तथ्यों को संग्रह करने के लिए जिन तकनीकि का प्रयोग किया है, वो इस प्रकार हैं – अनुसूची एवं अवलोकन, साक्षात्कार, छायाचित्र।

rF;k dh foopuk

1. आप तम्बाकू का सेवन करते हैं ।

Ø	rEckdq dk lsou djrs gS	vko`fÙk	izfr'kr
1.	हाँ	45	90
2	नहीं	5	10
	;ksx	**50**	**100**

90 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि वह तम्बाकू का सेवन करते हैं जबकि 10 प्रतिशत ने कहा कि वह तम्बाकू नहीं खाते। इससे स्पष्ट है कि समाज में अधिक से अधिक लोग तम्बाकू का सेवन विभिन्न रूपों में करते हैं।

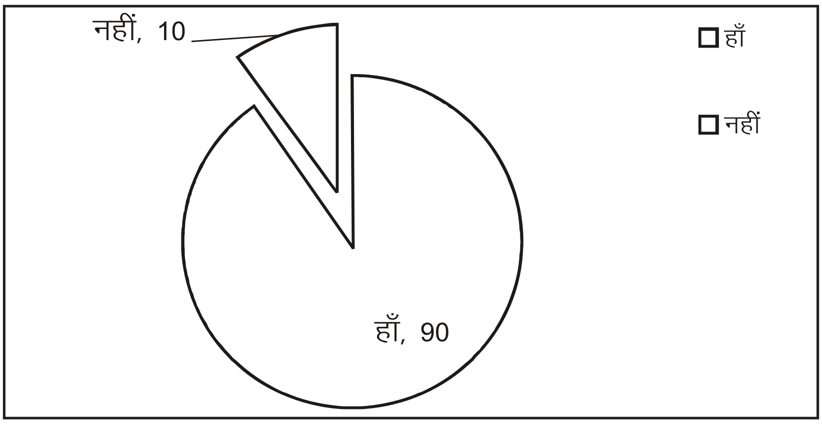

2. आप जानते हैं कि समाज में धूम्रपान की समस्या है।

Ø	gekjs lekt esa c<+rh leL;k /kweziku gS	vko`fÙk	izfr'kr
1.	हाँ	42	84
2.	नहीं	8	16
	;ksx	**50**	**100**

84 प्रतिशत लोगों ने माना है कि किशोरो में धूम्रपान की बढ़ती हुयी आदतें समाज में एक समस्या है जबकि 16 प्रतिशत लोग इससे सहमत नहीं हैं।

3. क्या किशोरावस्था में मादक पदार्थो का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है?

Ø	fd'kkjkoLFkk e eknd inkFk dk iHkko rth l c< jgk g\	vkofÙk	ifr'kr
1.	हाँ	50	100
2.	नहीं	00	00
	;kx	**50**	**100**

आजकल के किशोरों में सिगरेट पीना, शराब पीना, तम्बाकू का सेवन करना फैशन का एक अंग बनता जा रहा है। सर्वे द्वारा यह ज्ञात हुआ कि 100 प्रतिशत किशोरों ने यह बताया कि मादक पदार्थों का प्रभासव किशोरावस्था में तेजी से बढ़ रहा है।

4. क्या बालक भी मद्यपान करते हैं।

Ø-l-	ckyd Hkh e|iku djr gA	vkofÙk	ifr'kr
1.	हाँ	41	82
2.	नहीं	9	18
	;kx	**50**	**100**

अधिकतर पिछड़े वर्ग के बालक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पारिवारिक बोझ पड़ने पर वह मद्यपान का सेवन करने लगता है। सर्वे द्वारा यह ज्ञात हुआ कि 82 प्रतिशत लोगों ने हाँ कहा है जबकि 18 प्रतिशत लोगों ने नहीं कहा है।

5. क्या मद्यपान का सेवन लड़कों के साथ लड़कियां भी कर रही हैं ?

Ø	e|iku dk lou yMd d lkFk yMfd;k Hkh dj jgh g	vkofÙk	ifr'kr
1.	हाँ	48	96
2.	नहीं	2	4
	;kx	**50**	**100**

आधुनिक युग में मद्यपान को फैशन के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि युवा वर्ग में लड़कों के साथ अब लड़कयाँ भी बड़ी संख्या में मद्यपान का प्रचलन पाया गया है। सर्वे द्वारा ज्ञात हुआ है कि 96 प्रतिशत किशोरों ने हाँ कहा है जबकि 4 प्रतिशत किशोरों ने नहीं कहा है।

6. नशीले पदार्थों का किशोरावस्था पर प्रभाव पड़ता है।

Ø	u'khys inkFkksa dk fd'kksjkoLFkk ij izHkko	vkofÙk	izfr'kr
1.	हाँ	43	86
2.	नहीं	7	14
	;ksx	**50**	**100**

नशीले पदार्थों से किशोरावस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जो किशोर मादक पदार्थ का सेवन करते हैं वह अपेन से बड़ों की इज्जत नही करते हैं तथा समाज में विभिन्न प्रकार की बिमारियां फैलाते हैं तथा सर्वे द्वारा ज्ञात हुआ है कि 100 प्रतिशत लोगों ने यह कहा है कि नशीली पदार्थों का किशोरावस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

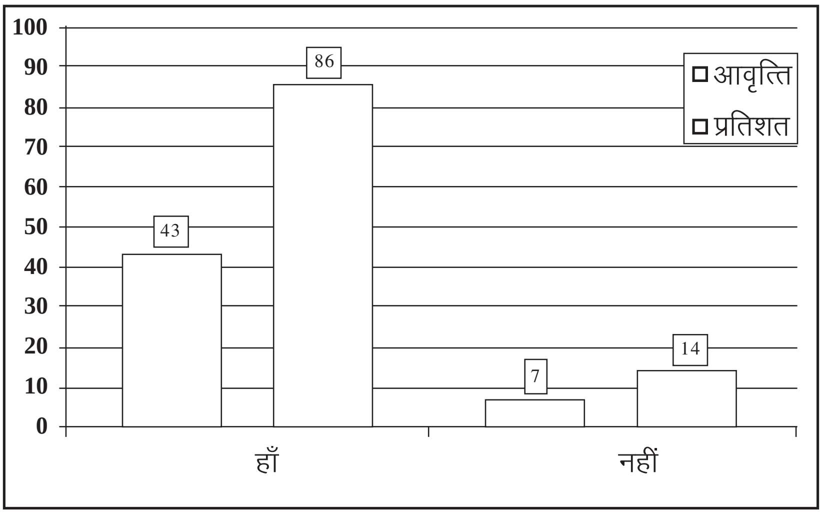

7. क्या युवा पीढ़ी को मद्यपान का सशक्त विरोध करना चाहिए?

Ø-l-	;qok ih<h dk e|iku dk l'kDr fojks/k djuk pkfg,\	vkofÙk	izfr'kr
1.	हाँ	50	100
2.	नहीं	00	00
	;ksx	**50**	**100**

आज के युवा पीढ़ी को मद्यपान का विरोध करना चाहिए। जिससे हमारा समाज एक सभ्य समाज बने तथा उसका विकास और अच्छे से हो सकें। सर्वे द्वारा ज्ञात हुआ कि 100 प्रतिशत लोगों ने यह कहा कि हाँ युवा पीढ़ी को मद्यपान का विरोध करना चाहिए।

8. मद्यपान या धुम्रपान से सम्बन्धित जानकारी किशोर वर्ग को देना चाहिए

Ø	/kziku l lEcfU/kr tkudkjh fd'kkj ox dk nuk pkfg,\	vko`fÙk	izfr'kr
1.	हाँ	20	40
2.	नहीं	30	60
	;kx	**50**	**100**

किशोरावस्था में अगर मद्यपान के बारे में सही ज्ञान नहीं दिया जायेगा तो किशोर इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करने लगेंगे जब उन्हें मद्यपान का सही ज्ञान होगा तो वे उनका सेवन नहीं करेंगे या करेंगे तो उचित मात्रा में करेंगे। सर्वे से ज्ञात हुआ कि 60 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं जबकि 40 प्रतिशत लोगों के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि ऐसा करना उचित होगा।

9. क्या मद्यपान से हमारे जीवन का ह्रास करता है?

Ø	e|iku l gekj thou dk gkl djrk g\	vko`fÙk	izfr'kr
1.	हाँ	47	94
2.	नहीं	3	6
	;kx	**50**	**100**

मद्यपान करने से लोगों के अन्दर कई प्रकार की बिमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उनकी खुशहाल जिन्दगी का ह्रास हो जाता है। सर्वे द्वारा यह ज्ञात हुआ कि 94 प्रतिशत लोगों ने यह कहा हाँ इसके सेवन से खुशहाल जीवन का ह्रास होता है जबकि 6 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं।

10. सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं ?

Ø	flxjV d lou l gn; lEcfU/kr jkx gkrk g	vko`fÙk	izfr'kr
1.	हाँ	46	92
2.	नहीं	4	8
	;kx	**50**	**100**

सिगरेट के सेवन से मुँह का कैंसर, फेफड़े, सम्बन्धी रोग, पेट सम्बन्धी रोग इत्यादि हो सकते हैं। सर्वे द्वारा यह ज्ञात हुआ कि 92 प्रतिशत लोगों ने यह कहा है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

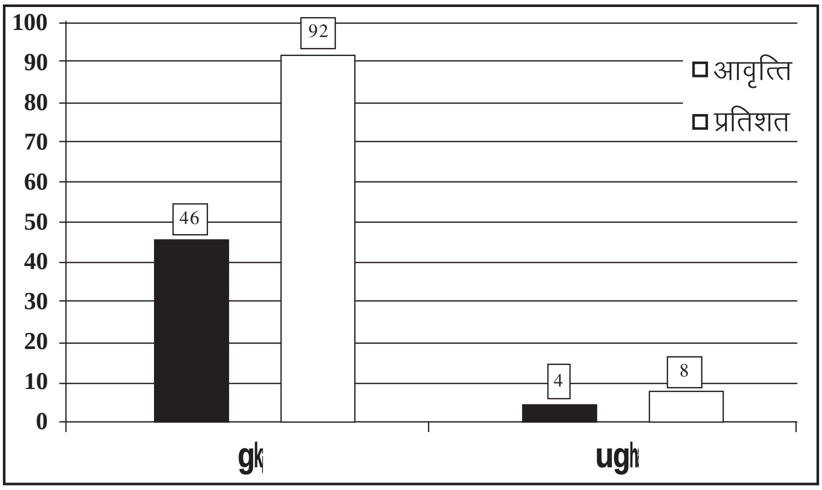

lkjk'k %

तेरह से इक्कीस वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना गया है। इस आयु में बालक और बालिका अपने जीवन की रूपरेखा निर्धारित कर लेते हैं तो निश्चय पूर्वक उनका भविष्य उज्जवल होता है। इसीलिए किशोरावस्था को जीवन की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में किशोरों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे उनके जीने का स्वरूप ही बदल जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन के कारण इस अवस्था को उथ–पुथल, संघर्ष और तनाव की अवस्था भी माना गया है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं को अन्य अवस्था की तुलना में अधिक गम्भीर और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

किशोरावस्था में किशोर जब पढ़ने जाता है तो गलत संगति में पड़कर विद्यालय, कोचिंग न जाकर पार्क, सिनेमा, मद्यपान करना आदि गलत कार्य करने लगता है। नशीले पदार्थों का उपयोग एक इतनी गम्भीर समस्या है कि इसके फलस्वरूप व्यक्ति, परिवार तथा समाज का सम्पूर्ण जीवन धीरे–धीरे विघटित होने लगता है। कालीदास जैसे विद्वान ने एक शराब विक्रेता (क्लालिन) से शराब से भरे घड़ों को देखकर पूछा है कि इसमें क्या है? क्लालिन ने उत्तर दिया–

en% i lkn dyg'p funk] cf){k;k /kel foi;;'pA
l[kL; dU;k ujdL; iU/kk v"VkoukFk ?kVd o lfUrAA

(इस घड़े के अन्दर आठ प्रकार के अनर्थ या दोष भरे हुये हैं– मादकता, सुस्ती, कलह, निद्रा, बुद्धि का पतन, धर्म की अवहेलना, सुख का नाश तथा नरक या विपत्तियों का रास्ता)।

I UnHk xUFk I ph %

1. डॉ. अग्रवाल जी. के : सामाजिक विघटन, एम.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, पेज नं. 260–267, ग्यारहवां संस्करण, 2010
2. डॉ. मिश्रा के. के. : सामाजिक विघटन, भवदीय प्रकाशन, अयोध्या, फैजाबाद, पेज नं. 177–188, संस्करण, 2002
3. डॉ. भटनागर ए.बी., डॉ. भटनागर मीनाक्षी, डॉ. भटनागर अनुराग : अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण– अधिगम प्रक्रिया, प्रकाशक विनय रखेजा द्वारा आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पेज नं. 43–51, संस्करण 2009
4. डॉ. अग्रवाल नीता : मातृकला एवं शिशु पालन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा– 2, पेज नं. 56–60, पांचवा संस्करण 2010–2011
5. श्रीमती मिश्रा उषा, डॉ. श्रीमती अग्रवाल अलकाः आहार एवं पोषण विज्ञान, साहित्य प्रकाशन, पेज नं. 91–94, बारहवां संस्करण
6. डॉ. श्रीमती सिंह बृन्दा : आहार विज्ञान एवं पोषण विज्ञान, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पेज नं0 574–579, छठा संस्करण, 2008

●

dkedkth efgykvksa ds cPpksa ds LokLF; ds fo"k; esa v/;;u djuk

fiz;adk jk;*

महिलाओं में शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान से महिलाओं को सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुए। नौकरी करने के लिए समय पर कार्यालय पहुँचने के लिए ठीक समय पर घर से निकलने की जिम्मेदारी के साथ ही परिवार की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर होती है। कार्यालय पहुँचने से पहले परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था एवं बच्चों को तैयार करके स्कूल या कॉलेज भेजने और टिफिन तैयार करना आदि जिम्मेदारी भी महिलाओं की होती है। मैंने अपने शोध के द्वारा जानने की कोशिश की है कि कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चे आपस में कितना तालमेल बिठाते हैं। खाना के प्रति बच्चों का क्या व्यवहार होता है? यदि बच्चों में भोजन के प्रति अरुचि होगी तब बच्चे निश्चित ही कुपोषित रहेंगे। इस स्थिति में हमारा देश स्वस्थ नहीं रहेगा।

स्वस्थ, शिक्षित और अनुशासित बच्चे ही किसी राष्ट्र के भावी निर्माता होते हैं। ये वो अमूल्य निधि हैं जिसके होने की कल्पना माता के बिना संभव नहीं है। माता ही बच्चों के भावी स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। वर्तमान समय में बदलती हुयी जीवन शैली एवं बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में एक माता के दायित्व में वृद्धि होती जा रही है। स्त्री शिक्षा में वृद्धि होने के साथ–साथ अब महिलाएं अधिकाधिक कामकाजी होती जा रही है। अब उन्हें अपने कार्यों एवं बच्चों के दायित्वों के प्रति चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के कामकाजी होने से उनके तथा बच्चों के जीवन स्तर में सुधार होता है। कामकाजी महिलाओं में बच्चों का स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि एक रिसर्च के द्वारा हम यह देख चुके हैं कि कामकाजी महिलाओं को समय की कमी होते हुए भी अपने कार्यों को व्यवस्थित करती है तथा बच्चों के पोषण पर ध्यान देने का अधिक से अधिक प्रयास कर रही हैं।

v/;;u dk mís'; %

1. कामकाजी महिलाओं में समय प्रबन्ध का अध्ययन करना।
2. कामकाजी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त भोज्य पदार्थों का अध्ययन करना।

---

* शोध छात्रा, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर

3. कामकाजी माँ के बच्चे व्यवहारिक होते हैं।
4. कामकाजी महिलाओं के बच्चों के आहार के बारे में जानना।
5. कामकाजी महिलाओं में बच्चों के स्वास्थ्य का अध्ययन करना।

rF; ladyu dh izfof/k;k¡%

इस शोध लेख में अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन में प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन में वास्तविक तथ्यों के संकलन के लिए क्षेत्रीय कार्य करना पड़ा है। शोधार्थिनी ने अपने शोध विषय से सम्बन्धित सूचनाओं के संग्रह के लिए जिन उपकरणों (Tools) को प्रयोग किया है, वे इस प्रकार हैं– अवलोकन, साक्षात्कार, छायाचित्र, जीवनवृत्त, अनुसूची, प्रश्नावली, मानचित्र। प्रस्तुत शोध में दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि निदर्शन में प्रत्येक वर्ग तथा तत्व उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में वह समग्र होता है।

rF;ksa dk fo'ys"k.k%

rkfydk l[;k&1

dkedkth rFkk ?kjsyw efgykvksa ds ifjokj ds LokLF; esa rqyuk

Ø	er	l[;k	çfr'kr
1	उत्तम	46	46
2	मध्यम	33	33
3	सामान्य	21	21

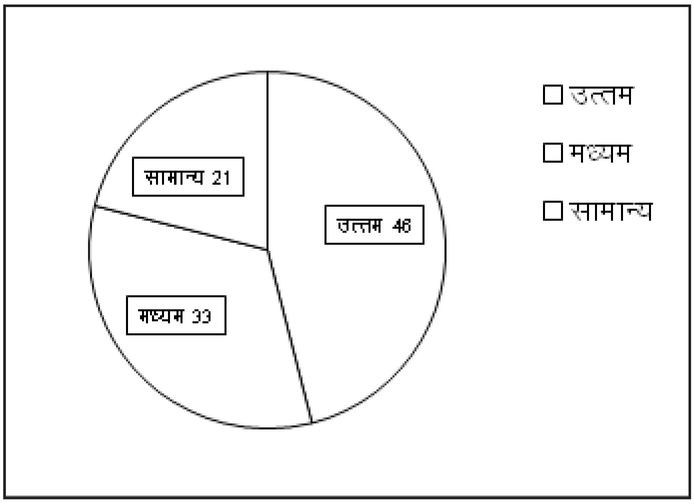

तालिका संख्या-2
कामकाजी महिलाओं के घर से बाहर व्यतीत करने का समय
क्र मत संख्या प्रतिशत
1 5 घण्टे 36 36
2 7 घण्टे 41 41
3 10 घण्टे 21 21
4 12 घण्टे $ 2 2

तालिका संख्या-3
बच्चों के टिफिन में प्रयुक्त भोज्य पदार्थ
क्र मत संख्या प्रतिशत
1 घर का बना 81 81
2 बाजार का बना 19 19

3 पैक फूड 0 0

तालिका संख्या-4
टिफिन की तैयारी करना
क्र मत संख्या प्रतिशत
1 रात को तैयारी करती है। 19 19
2 सुबह गरम करके देती हैं। 0 0
3 सुबह जल्दी उठ जाती हैं। 81 81
4 कैंटीन के भरोसे छोड़ देती हैं। 0 0

तालिका संख्या- 5
भोज्य पदार्थ की वरीयता का क्रम
क्र मत संख्या प्रतिशत
1 अनाज वर्ग 22 22
2 दाल वर्ग 16 16
3 फल और सब्जी वर्ग 20 20
4 मांस वर्ग 7 7
5 दूध 35 35

ामहृमबमामहृमचममत बममदिनममक्ममॅ ामेहृ लमÛÛममॅ ामेहृ उश्रममउस्त्त्म ामेहृ मश्रिमढमत्त्म बमॅ क्मव्त्त्मत्त्मअम ामहृरअमम 137

138 अमश्रत्त्मम डममेव्म ीममf$मामहृम प्ैैछ रू 2249.5118

तालिका संख्या-6
भोजन में पोषक तत्व बढ़ाने के उपाय
क्र मत संख्या प्रतिशत
1 दलिया 50 50
2 मेवे की खीर 20 20
3 दाल का सूप 20 20
4 फ्रूट चाट 10 10

तालिका संख्या-7
बच्चों को बाहर की चीजें देने का आधार
क्र मत संख्या प्रतिशत
1 विज्ञापनों को देखकर 29 29
2 उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थ 71 71

तालिका संख्या-8
बच्चों की सामान्य बीमारियाँ
क्र मत संख्या प्रतिशत
1 बुखार 01 01

2 कम वजन 11 11

3 कम लम्बाई 10 10
4 अन्य बीमारी 03 03
5 कोई बीमारी नहीं 75 75

निष्कर्ष:

1. 46 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं के परिवार का स्वास्थ्य घरेलू महिलाओं के परिवार के स्वास्थ्य से उत्तम है। 33 प्रतिशत महिलाओं के परिवार का स्वास्थ्य मध्यम होता है। 36 प्रतिशत कामकाजी महिलायें घर से बाहर 5 घंटे का समय बिताती हैं। 41 प्रतिशत महिलायें 7 घंटे, 21 प्रतिशत महिलायें
10 घंटे तथा 2 प्रतिशत महिलायें घर से बाहर 12 घंटे का समय व्यतीत करती हैं।

2. कामकाजी महिलाएँ घर से बाहर अधिक समय देने के बावजूद कामकाजी महिलायें समय प्रबन्ध के साथ–साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देती हैं।

3. 81 प्रतिशत महिलायें घर का बना भोजन ही बच्चों के टिफिन में प्रयोग करती हैं, जबकि 19 प्रतिशत महिलायें बाजार के बने भोजन का प्रयोग करती हैं, जिससे हम कह सकते हें कि अधिकांश कामकाजी महिलायें भोजन की पौष्टिकता को ध्यान में रखती हैं, जिससे उनके बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है।

4. कामकाजी महिलायें समय के प्रबन्ध को अधिक महत्व देती हैं, जिसमें 23 प्रतिशत महिलायें निश्चित समय सारणी का प्रयोग करती हैं, टिफिन की तैयारी में हमने देखा की 81 प्रतिशत महिलायें सुबह जल्दी उठ जाती है तथा 19 प्रतिशत महिलायें टिफिन के कुछ वस्तुओं की तैयारी रात में कर लेती है। इस प्रकार से हमने यह पाया कि कामकाजी महिलायें समय को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करती हैं, जिससे कि वे अपना ज्यादा समय बच्चों को दे सकें।

5. भोज्य पदार्थ की वरीयता का क्रम देखने से पता चला कि 35 प्रतिशत बच्चे दूध से बने भोज्य पदार्थ, 22 प्रतिशत अनाज, 20 प्रतिशत फल और सब्जियाँ तथा 16 प्रतिशत दाल से बने भोज्य पदार्थ को कामकाजी महिलायें बच्चों के भोज्य पदार्थ में अधिक वरीयता देती हैं, जिससे बच्चों में होने वाली बिमारी में कमी पायी गयी है, जिसमें 65 प्रतिशत बच्चों को कोई भी बिमारी नहीं पायी गयी है, 11 प्रतिशत में बच्चों का वजन कम है तथा 10 प्रतिशत में बच्चों की लम्बाई कम है, जो एक गम्भीर समस्या नहीं है।

6. उच्च पोषण युक्त भोजन के कारण कामकाजी महिलाओं के बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम पाया गया है। बच्चों के भोजन में पोषक तत्व बढ़ाने के उपाय में हमने देखा कि 50 प्रतिशत कामकाजी महिलायें दलिया का प्रयोग तथा 20 प्रतिशत महिलायें मेवे की खीर तथा फल को आहार में वरीयता देने के लिए 80 प्रतिशत महिलायें फल को कस्टर्ड के रूप में देती है। इसी प्रकार 29 प्रतिशत महिलायें विज्ञापन से प्रभावित होकर बाहर की चीजें देती हैं तथा 71 प्रतिशत महिलायें उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थ आहार में सम्मिलित करती हैं इस प्रकार से हमने देखा कि महिलायें पूर्ण रूप से उनके भोज्य पदार्थों में गुणवत्ता को अधिक ध्यान देती हैं।

7. कामकाजी महिलायें अधिक समय न होते हुए भी बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बच्चों को अधिक ध्यान नहीं दे पा रही हैं, जिसकी पूर्ति के लिए कामकाजी महिलायें नित नये–नये प्रयत्नों के साथ भोजन में बाह्य रूप से पोषक तत्वों की वृद्धि का निरन्तर प्रयास करती रहती हैं तथा निश्चित समय सारणी का प्रयोग कर अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से चलाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहती हैं।
8. कामकाजी महिलाओं के बच्चों का स्वास्थ उनके अधिक ध्यान देने के कारण उत्तम होता है।

lkjk'k %

कामकाजी महिलाओं के बच्चों का स्वास्थ्य घरेलू महिलाओं के बच्चों के स्वास्थ्य से उत्तम पाया गया क्योंकि कामकाजी महिलायें समय के अभाव के कारण बच्चों पर अधिक ध्यान देती हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए निरन्तर तत्पर रहती हैं, जिसके लिये वो बच्चों के खान–पान पर अधिक ध्यान देती हैं।

lUnHk xUFk lph %

1. सुप्रिया उपाध्याय – मेरी दुनियाँ मेरा समाज (15 जून 2015) ''जंक फूड को खा कर सेहत को न करें खराब'' पृ. सं 35
2. वन्दना अग्रवाल, (नवम्बर 2006) – वनिता, "बच्चे हर चीज कैसे खाएं", पृ सं 93.
3. प्रीती व्यास, (जुलाई 1994) – मेरी सहेली "कामकामी महिलायें एवं उनके बच्चे", पृ. सं 46
4. अरूणिमा बनर्जी, (मार्च 2006) – गृह लक्ष्मी, "बच्चों को भाने लगी है कामकाजी माँ", पृ. सं 63
5. डॉ. अशोक बनर्जी (मार्च 2006) – विज्ञान प्रगति, "घातक है फास्ट फूड का बड़ता चलन" पृ.सं. 37
6. श्वेता भाटिया (जून 2006) – वनिता, "खाओ रंग–बिरंगा", पृ. सं. 47.
7. डॉ. नीता अग्रवाल (2000) – मातृ कला एवं शिशु पालन, "बालक–अभिभावक सम्बन्ध", प्रकाशक विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, नवीनतम् संस्करण, 12.
8. डा. नूपुर शरण (2006) – मनोरमा "कामकाजी महिलायें और घर–बाहर की जिम्मेदारियाँ", 82.

9. डॉ. विनाद गुप्ता (अगस्त 2006) – वनिता, "सेहत के प्रहरी गुण", 94
10. सुगन्धा दास (शनिवार 11 नवम्बर 2006) – संगीनी, "हरी सब्जियाँ दिमाग रखे चुस्त–दुरूस्त" 2.
11. सोनिका जैन, (2004) – गृहशोभा, "बच्चे और जंक फूड", 36.
12. ज्योति खरे, (मार्च 2002) – मेरी सहेली, "कैसा हो कामकाजी महिलाओं का बच्चों के प्रति व्यवहार", 60.
13. ज्योति खरे (जुलाई 1994) – मेरी सहेली, "कैसा हो कामकाजी महिलाओं के बच्चों का स्वास्थ्य", पेज नं0–29.
14. अमरनाथ के0 मेनन, (अप्रैल 2006) – इंडिया टुडे, "खाओ और भुगतो", 60.

●

Lukrd Lrj ij v/;;ujr fo|kfFk;ksa esa ngst ds ifr euksof`Ùk dk rqyukRed v/;;u

Mk- v#.k dqekj flag*

iLrkouk %

दहेज को साधारणतः शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता, उसका क्षेत्र व्यापक है। कहीं–कहीं ये रीति–रिवाज, त्यौहारों के नाम पर प्रचलित है तो कहीं अच्छे वर की उचित कीमत अदायगी के नाम पर। हाँ, इसमें एक बात अवश्य है कि लेनदेन अवश्य होता है, प्रायः वह वर मूल्य होता है जैसा वर वैसा दहेज। जबकि आदिवासी कबीलों में यह कन्या मूल्य हो जाता है। दहेज निश्चय ही हमारे समाज का अभिशाप है। यह उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें मनुष्य अपनी मनुष्यता भूलकर मनुष्य को वस्तु की तरह खरीद–फ़रोख्त का साधन बनाता है। दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए न जाने कितने शब्दों का व्यय किया जा रहा है, परन्तु दहेज प्रथा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि हम ऊपरी तौर से इसका विरोध अवश्य करते हैं, परन्तु मूल रूप से समस्या का निदान नहीं करना चाहते। दहेज प्रथा की भयावहता ने न जाने कितनी स्त्रियों के प्राण लिये हैं और न जाने कितनी स्त्रियों का जीवन कंठकाकीर्ण बनाया है (खण्डेला, 2007)।

आज दहेज शब्द समाज में एक दानव के रूप में प्रचारित है। कितनी ही शादियाँ दहेज के कारण होती हैं और कितनी ही शादियाँ दहेज के कारण भी टूटती भी हैं। जिनके घर दहेज के कारण बर्बाद हो रहे है उनके लिए दहेज एक दानव की तरह है। जिनके आबाद हो रहे है (दहेज लेने वाले के नजरिए से) उनके लिए दहेज रूतबा और लक्ष्मी का प्रतीक भी है। वैसे तो दहेज विरोधी होना आज एक फैशन की बात हो गई है लेकिन शायद ही कोई होगा जो लक्ष्मी से प्यार न करता हो। बड़े–बड़े आदर्शवादी भी दहेज के नाम पर लार टपकाते देखे जाते हैं। ज्यादातर यही होता जिन्हें दहेज नहीं मिला वे दहेज विरोधी बन जाते। जिन्हें मिला वे चुप बैठ जाते हैं। खास कर जिनके घर लड़कियाँ ज्यादा हैं वे पक्के दहेज विरोधी हो जाते और लड़के के मामले में लड़कियों को देने का हवाला देकर खूब दहेज बटोरते (शाह, 2013)।

---

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

भारतीय परम्परागत समाज व्यवस्था में कन्यादान को महिमा मंडित किया गया। माता–पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तब एक श्रेष्ठ वर को अपनी सुसज्जित अलंकृत कन्या को दान करते हैं। कन्या के साथ उसकी कुछ आवश्यकता की वस्तु को ही दहेज कहा गया। दहेज दा–यच्छ धातु से बना है। दा यच्छ का प्रयोग देने में लगाया जाता है। इस प्रकार जब विवाह के समय माता–पिता अपनी कन्या को जो कुछ दान में देते हैं उसे दहेज कहा गया। रामचरित मानस में राजा जनक ने सीता के विवाह में बहुत दाइज दिये दाइज अर्थात् स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान परन्तु आज जैसे–जैसे समाज आगे बढ़ता गया दहेज का रूप बिगड़ता गया है और आज के तथाकथित सभ्य समाज में दहेज का रूप विकृत हो गया है। दहेज का रूप वर मूल्य ने ले लिया। विवाह बाजार में वर का मूल्य आंका जा रहा है जो जितना पढ़ा लिखा वर है उसका उतना ही अधिक मूल्य है। लाखों रूपया में वर बिक रहे हैं। आज दहेज एक भयावह समस्या बन गया है। स्वेच्छा के जगह पर जबरदस्ती कन्या के माता–पिता से दहेज माँगे जा रहे हैं। माता–पिता परिवार, समाज को आज भारी कीमत इस समस्या के कारण चुकानी पड़ रही है। (शुक्ला एवं शर्मा, 2013)

भारतीय समाज में दहेज रूपी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (संशोधित 1986) पारित कर दहेज लेने एवं देने को अपराध घोषित किया गया ताकि दहेज जो दान रूप में प्रचलित था, जबरन न दिया लिया जाय या वर–मूल्य के विकृत स्वरूप को समाप्त किया जा सके परंतु व्यावहारिक जीवन में आज कानून खोखला साबित हो रहा है। दहेज के बलिबेदी पर जिंदा बहुएँ जलाई जा रही हैं। ग्रामीण लड़कियों का विवाह दहेज के कारण गंभीर समस्या बन गया है।

यह विडम्बना ही है कि दहेज निषेध कानून बने 40 वर्ष से अधिक हो जाने के बावजूद दहेज की समस्या निरंतर विकट होती जा रही है। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन केवल कानून बनाने और सरकारी डण्डे के बल पर नहीं हो सकता। जब तक लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आयेगा, तब तक दहेज जैसी समस्याएं खत्म होने वाली नहीं हैं। इस समस्या के लिए वरपक्ष तो दोषी है ही, लेकिन वधूपक्ष को भी ''क्लीन चिट'' नहीं दी जा सकती है। यदि हर लड़की का पिता यह तय कर ले कि अपनी लड़की का विवाह ऐसे घर मे नहीं करेगा जहाँ दहेज माँगा जाये तो समस्या अपने आप खत्म हो जायेगी।

वर्तमान में शिक्षित और सम्पन्न परिवार भी दहेज लेना अपनी परम्परा का एक हिस्सा मानते हैं, यहाँ तक कि आजकल लड़कियाँ भी दहेज लेना अनिवार्य

मानने लगी हैं। अतः यह जानना आवश्यक है, कि ऐसे क्या कारण हैं कि दहेज को समाप्त करने हेतु अति कठोर प्राविधानों के होते हुए भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है? दहेज का प्रचलन क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्या लोगों के दृष्टिकोण में कोई विचलनकारी परिवर्तन तो नहीं हो रहा है? इन सबके को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं? प्रस्तुत अध्ययन इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की व्यापकता, कारण एवं दुष्प्रभावों का अध्ययन करते हुए व्यापकता, दहेज निषेध अधिनियम एवं अन्य प्राविधानों की प्रभाविकता का मूल्यांकन किया गया है। साथ ही उन कारकों का भी पता लगाने की कोशिश की गयी है, जो दहेज प्रथा को दूर करने के प्रयासों में बाधा पहुँचा रहे हैं।

v/;;u d mís'; %

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य दहेज के प्रति स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में दहेज के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन करना है। अध्ययन के अन्य विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. भारत में दहेज प्रथा का ऐतिहासिक विवेचन करना।
2. दहेज प्रथा के कारण एवं दुष्प्रभावों का विश्लेषण करना।
3. दहेज प्रथा के प्रति युवाओं की मनोवृत्ति का विश्लेषण करना।

lEcfU/kr lkfgR; dh leh{kk %

nhfIr ¼2008½ ने दहेज प्रथा की रोकथाम में शिक्षा की भूमिका नामक अध्ययन में पाया कि आज शिक्षा के प्रचार के साथ दहेज भी बढ़ रहा है। शिक्षा का दहेज के साथ कोई संबंध नहीं रह गया कि शिक्षित समाज में दहेज घटेगा यह धारणा असत्य साबित हो रही है।

flag ¼2009½ के अनुसार देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें दहेज को लेकर हत्या या आत्महत्या न हुई हो। लड़कियाँ असम से लेकर अंडमान द्वीप तक इसी दहेज की बेदी पर चढ़ाई जा रही है, कहीं लड़कियाँ स्वयं संवेदनशील हो आत्महत्या कर लेती हैं तो कही माँ–बाप की मजबूरी के कारण मर जाती है या किसी दलाल के हाथों बिक जाती है।'

'kek ,o feJk ¼2010½ ने लिखा है कि ''दहेज की प्रथा के लिए दोनों ही पक्ष उत्तरदायी है। न तो हम दहेज दें और ना ही ले, तभी स्थिति सुधर सकती है। इसके लिए जितना वर पक्ष उत्तरदायी है उतना ही कन्या पक्ष।''

flag ¼2011½ ने दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु सुझाव दिया है कि यदि लड़के और लड़की में ऐसा कोई भेद नहीं किया जाये, उन्हें लड़कों की तरह उच्च

एवं तकनीकि शिक्षा दिलाकर आत्मनिर्भर बना दिया जाये तो बहुत कुछ दहेज की समस्या का निदान किया जा सकता है।

'kkg ¼2012½ का कहना है कि भारत में विवाह व्यवाहारिक अनुबंध जैसा होता जा रहा है क्योंकि विवाह में दहेज रूपी धन की ही अधिक प्राथमिकता है। जिसके कारण स्त्री–पुरुष दोनों को ही उत्पीड़न और शोषण का शिकार होना पड़ता है। वैचारिक सामंजस्य ने होने से दोनों का ही जीवन बर्बाद हो जाता है।

l jhu ,o >k ¼2013½ ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा है कि वर्तमान में शिक्षित और सम्पन्न परिवार भी दहेज लेना अपनी परम्परा का एक हिस्सा मानते हैं तो ऐसे में अल्पशिक्षित या अशिक्षित लोगों की बात करना बेमानी है युवा पीढ़ी जिसे समाज का भविष्य समझा जाता है। उन्हें संकल्प लेना होगा कि इस कुरीति को मिटाकर ही रहेंगे, ताकि भविष्य में प्रत्येक स्त्री को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले और कोई भी वधू दहेज हत्या की शिकार न होने पाए। दहेज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसका परित्याग करना बेहद जरूरी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह एक ह्रदयहीन बुराई है।

'kDyk ,o 'kek ¼2013½ ने अपने अध्ययन में पाया कि लगभग सभी जातियों के परिवार दहेज का लेनदेन करते हैं। इन परिवारों ने दहेज माँगने के प्रमुख कारण कुलीन वर की तलाश, समाज की देखादेखी, स्त्री को दोयम दर्जे का मानना, समाज की बढ़ती अर्थलिप्सा उपभोक्तावादी संस्कृति, व्यक्तिवादिता, विवाह की अनिवार्यता आदि को माना है।

ifjdYiuk %

प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पनाएँ इस प्रकार हैं :

1. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में दहेज के प्रति मनोवृत्ति में लिंगवार सार्थक अन्तर है।
2. स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में दहेज के प्रति मनोवृत्ति में सामाजिक वर्गवार सार्थक अन्तर है।

'kks/kfof/k %

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक शोध प्ररचना के उपवर्गों में से सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में आँकड़ों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों से उनकी वैयक्तिक–पारिवारिक प्रस्थिति एवं दहेज के प्रति उनकी मनोवृत्ति सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गयी है तथा द्वितीयक स्रोत के रूप में दहेज प्रथा से संबन्धित सामग्री

जो कि प्रतिवेदनों, अध्ययनों, संक्षिप्त बुकलेटों, पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं तथा अन्य ग्रन्थों के रूप में प्राप्त है, का अध्ययन करके यथेष्ट सामग्री को इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। संख्या की दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत् 150 विद्यार्थियों के विचारों पर आधारित है, जिनका चयन दैव निदर्शन की व्यवस्थित विधि से किया गया है। उत्तरदाताओं से सूचनाओं की प्राप्ति हेतु स्वनिर्मित वैयक्तिक–पारिवारिक साक्षात्कार अनुसूची एवं आर0आर0 शर्मा द्वारा निर्मित डावरी एटीट्यूड स्केल का प्रयोग किया गया है।

ifj.kke ,o fo'y"k.k %

rkfydk l0 1 % mŸkjnkrkvk e ng t d ifr eukofŸk

eukofŸk	mŸkjnkrk		e/;eku
	l[;k	ifr'kr	
धनात्मक	81	54.00	237.37
सामान्य	43	28.67	211.53
ऋणात्मक	26	17.33	187.54
;kx	**150**	**100-00**	**221-33**

तालिका सं0 1 से ज्ञात होता है कि 54.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है। वहीं 28.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं में दहेज के प्रति सामान्य मनोवृत्ति एवं 17.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है।

तालिका सं0 1 से यह भी ज्ञात होता है कि धनात्मक प्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों के दहेज के प्रति मनोवृत्ति के प्राप्तांको का मध्यमान 237.37 तथा ऋणात्मक प्रवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों का 187.53 है, जबकि सभी विद्यार्थियों का दहेज के प्रति मनोवृत्ति के प्राप्ताकों का मध्यमान 221.33 है।

rkfydk l0 2 % fyxokj mŸkjnkrkvk e ng t d ifr eukofŸk

eukofŸk	Nk=		Nk=k,¡		dy	
	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr
धनात्मक	42	51.22	39	57.35	81	54.00
सामान्य	22	26.83	21	30.88	43	28.67
ऋणात्मक	18	21.95	8	11.76	26	17.33
योग	82	100.00	68	100.00	150	100.00

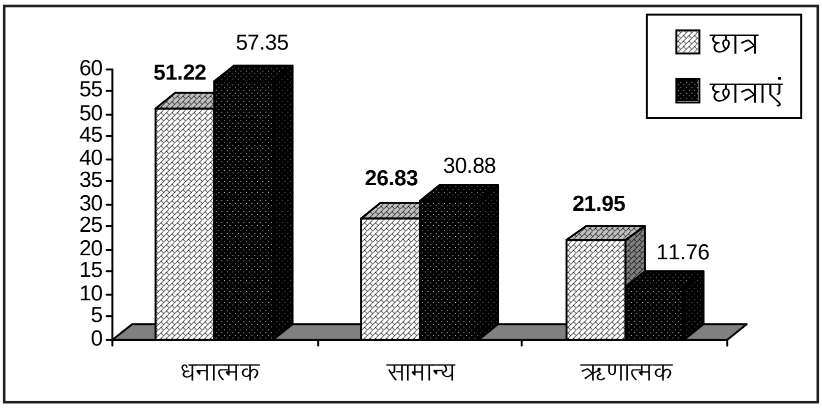

सारिणी संख्या 2 से ज्ञात होता है कि स्नातक स्तर के चयनित छात्रों में से 51.22 प्रतिशत छात्रों में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है। वहीं 26.83 प्रतिशत छात्रों में दहेज के प्रति सामान्य मनोवृत्ति एवं 21.95 प्रतिशत छात्रों में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है।

स्नातक स्तर की चयनित छात्राओं में से 57.38 प्रतिशत छात्राओं में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है। वहीं 30.88 प्रतिशत छात्राओं में दहेज के प्रति सामान्य मनोवृत्ति एवं 11.76 प्रतिशत छात्राओं में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है।

rkfydk l0 2 d % mŸkjnkrkvks es ngst ds izfr fyxokj eukso`fŸk ds e/;ekuks es vUrj dh lkFkZdrk

fyax	vko`fŸk	ek/;	ekud fopyu	ek/;&vUrj	ekud =qfV	Vh&eku
छात्र	82	216.40	21.43	7.26	3.36	*2.27
छात्राएँ	68	223.66	19.67			

ukVs * p= 0.05 पर सार्थक अन्तर, ** p=0.01 पर सार्थक अन्तर,
प्राप्त टी–मान = 2-27
स्वतंत्रता अंश (df) = 148

उत्तरदाताओं में दहेज के प्रति लिंगवार मनोवृत्ति के आगणित प्राप्तांकों के मध्यमानों का टी–मान 1.27 है, जो 0.05 सार्थकता स्तर के सारणी–मान (1.98) से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि स्नातक के छात्र एवं छात्राओं में

दहेज के प्रति मनोवृत्ति में सार्थक अंतर है। तालिका संख्या 2क से यह भी स्पष्ट होता है कि छात्रों में दहेज के प्रति मनोवृत्ति (माध्य– 216.40) छात्राओं (223.66) की अपेक्षा कम धनात्मक है, अर्थात छात्राओं की अपेक्षा छात्र दहेज लेना–देना अधिक उचित मानते हैं।

rkfydk l0 3% lkekftd oxZokj mŸkjnkrkvksa esa ngst ds izfr euksofŸk

मनोवृत्ति	सामान्य		अ0 पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		कुल
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
धनात्मक	26	41.27	25	55.56	30	71.43	81
सामान्य	22	34.92	14	31.11	7	16.67	43
ऋणात्मक	15	23.81	6	13.33	5	11.90	26
योग	63	100.00	45	100.00	42	100.00	150

सारिणी संख्या 3 में सामाजिक वर्गवार विद्यार्थियों में दहेज के प्रति मनोवृत्ति का विवरण प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि–

सामान्य जाति के कुल विद्यार्थियों में से 41.27 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है। वहीं सामान्य जाति के 34.92 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति सामान्य मनोवृत्ति एवं 23.81 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है।

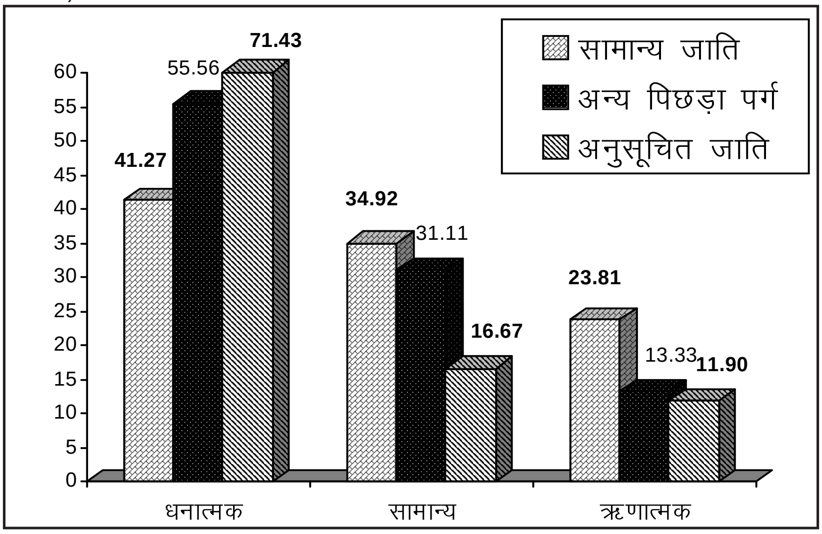

अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल विद्यार्थियों में से 55.56 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के 31.11 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति सामान्य मनोवृत्ति एवं 13.83 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है।

अनुसूचित जाति के कुल विद्यार्थियों में से 71.43 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है। वहीं अनुसूचित जाति के 16.67 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति सामान्य मनोवृत्ति एवं 11.90 प्रतिशत विद्यार्थियों में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है।

rkfydk l0 3d % mŸkjnkrkvksa esa ngst ds izfr lkekftd oxZokj eukso`fŸk esa vUrj dh lkFkZdrk

सामाजिक वर्ग	दहेज के प्रति मनोवृत्ति के अनुसार वितरण						कुल
	धनात्मक		सामान्य		ऋणात्मक		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
सामान्य	26	34.02	22	18.06	15	10.92	63
ओ.बी.सी.	25	24.30	14	12.90	6	7.80	45
एस.सी.	30	22.68	7	12.04	5	7.28	42
योग	81	81	43	43	26	26	150

काई वर्ग का प्राप्त मान = 9.990

स्वतंत्रता अंश (df) = (3-1) x (3-1) = 2 x 2 = 4

सम्भाव्यता स्तर = 0.05

स्वतंत्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर सारणी काई–स्क्वायर = 9.488

दहेज के मनोवृत्ति के अनुसार विद्यार्थियों के सामाजिक वर्गवार वितरण का आगणित काई–स्क्वायर का मान (9.990) स्वतंत्रता अंश 4 एवं सम्भाव्यता स्तर 0.05 पर सारिणी काई–स्क्वायर (9.488) से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक वर्गवार विद्यार्थियों में दहेज के प्रति मनोवृत्तिं में सार्थक अन्तर है।

fu"d"k %

दहेज के प्रति मनोवृत्ति सम्बन्धी सूचनाओं के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत् हैं–

- आधे से भी अधिक (54.00%) उत्तरदाताओं में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है, जबकि मात्र 17.33 प्रतिशत

उत्तरदाताओं में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है।

- आधे से भी अधिक छात्रों (51.22%) में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है, जबकि 21.95 प्रतिशत छात्रों में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है। वहीं आधी से भी अधिक छात्राओं (57.38%) में दहेज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति (दहेज लेना–देना गलत मानना) है। मात्र 11.76 प्रतिशत छात्राओं में दहेज के प्रति ऋणात्मक मनोवृत्ति (दहेज प्रथा को सही मानना) है।
- छात्रों में दहेज के प्रति मनोवृत्ति (माध्य–216.40) छात्राओं (223.66) की अपेक्षा कम धनात्मक है, अर्थात छात्राओं की अपेक्षा छात्र दहेज लेना–देना अधिक उचित मानते हैं। छात्र एवं छात्राओं में दहेज के प्रति मनोवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है (टी–मान 2.27)।
- दहेज को गलत मानने वाले विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक तथा सामान्य जाति के विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम है। सामाजिक वर्गवार उत्तरदाताओं में दहेज के प्रति मनोवृत्ति में सार्थक अन्तर है (आगणित काई–स्क्वायर का मान = 9-990)।

ng t iFkk d ipyu dk jkdu gr l>ko %

- दहेज प्रथा में रोक लगाने हेतु लड़कियों को समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- दहेज प्रथा पर प्रभावी रोक लगाने हेतु जन सामान्य को आगे आना होगा क्योंकि जब तक समाज में यह मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक दहेज निषेध कानून भी बेअसर ही साबित होगा। दहेज एक ऐसी बुराई है जिससे सभी को कभी–न–कभी दो–चार होना पड़ता है। अतः दहेज की हर घटना का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए।
- प्रेम/अन्तर्जातीय विवाहों में दहेज का प्रचलन नहीं होता अतः इस तरह के विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- दहेज प्रथा निवारण के लड़के लड़कियों और उनके माता–पिता आदि सभी को सहयोग देना चाहिये। उनमें जहाँ एक ओर मानवीय भावनाओं का विकास होना चाहिये, वहीं दूसरी ओर अन्याय का विरोध करने की दृढ़ता और संकल्प भी।

lUnHk xUFk lph %

अग्निहोत्री, रवीन्द्र : आधुनिक भारतीय शिक्षा और समाधान, (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर संस्करण, 1987)

अंसारी, एम0ए0 : नारी चेतना और अपराध (पंचशील प्रकाशन, जयपुर 1996)

आहुजा, ममता : घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता (रींगल पब्लिकेशन दिल्ली, 2010)

खण्डेला, मान चन्द : आधुनिकता और महिला उत्पीड़न, (प्रगतिशील प्रकाशन, जयपुर, 2007)

गुप्ता, एस0पी0 : मापन एवं मूल्यांकन (शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद संस्करण, 2008)

गुप्ता, एस0पी0 एवं अलका : सांख्यिकीय विधियाँ (शारदा पुस्तक भवन, 2005)

गुप्ता, एम0एल0 एवं शर्मा, डी0डी0 : सामाजिक अनुसंधान एवं शोध (साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1998)

चतुर्वेदी, सत्येन्द्र : विवाह संस्था सलीब पर, (समृद्ध सुखी परिवार, दिल्ली वर्ष : 1 अंक : 1, अगस्त, 2010)

जैन, शोभित : भारत में परिवार विवाह और नातेदारी (रावत प्रकाशन, जयपुर, 1996)

झा, द्विजेन्द्र नारायण : प्राचीन भारत, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की पड़ताल (ग्रंथ शिल्पी प्रा0लि0, दिल्ली, 2003)

नाटाणी, पी0एन0 एवं गौतम, जे0 : लिंग एवं समाज (रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर एवं दिल्ली 2010)

पाण्डेय, कल्पलता एवं श्रीवास्तव, एस0एस0 : शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि (टाटामैग्रा–हिल पब्लिसिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 2007)

पाण्डेय, के0पी0 : नवीन शिक्षा मनोविज्ञान, वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन (2007)

पाण्डेय, राजेन्द्र : भारत का सांस्कृतिक इतिहास, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1983.

बसु, डी0डी0 : भारत का संविधान (वधवा, नागपुर संस्करण, 2007)

ब्हौरा, आशारानी : भारतीय अस्मिता और अधिकार (नेशनल पब्लिकेशन दिल्ली, 1986)

भटनागर, आर0पी0 : शिक्षा तथा मनोविज्ञान में सांख्यिकीय प्रयोग (नेशनल बुक डिपो, मुरादाबाद संस्करण, 1962)

भार्गव, विवेक : शैक्षिक मनोविज्ञान (राखी प्रकाशन, आगरा, 2007)

माथुर, अनीता एवं चौधरी, अलका : साथ–साथ 'सामाजिक लिंग सोच और विकास दृष्टिकोण' (आस्था, उदयपुर, 1999)

मिश्र, आत्मानन्द : शिक्षा कोष (अजीत प्रकाशन, कौशलपुरी, कानपुर संस्करण, 1994)

मिश्रा, पुष्पा : हिन्दू विवाह के सामाजिक सरोकार, (शोध समीक्षा और मूल्यांकन, अगस्त, 2009)

रस्तोगी, कृष्णगोपाल : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ (रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड, मेरठ संस्करण, 1977)

वरे. एस0एल0 : भारतीय समाज एवं संस्कृति (कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2009)

शर्मा, प्रज्ञा : महिलाएं, लैंगिक असमानता एवं अपराध, (वाणी प्रकाशन, मेरठ, 2010)

शर्मा, रमा एवं मिश्रा, एम0के0 : भारतीय समाज में नारी, (अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2010)

शाह, संजीव : दहेज और उसका अर्थशास्त्र, (निष्पक्ष प्रतिनिधि, 22 मार्च, लखनऊ, 2013)

शुक्ला, अंजू एवं स्वाती शर्मा : दहेज का विकृत होता स्वरूप : समाजशास्त्रीय विश्लेषण, (सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा (म.प्र.), 2013)

सरीन, अनीता एवं दीप्ति झा : भारतीय समाज में दहेज प्रथा का इतिहास, (सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा (म.प्र.), 2013)

साहू, ए0 : वूमन लिबरेशन एण्ड ह्यूमन राइट्स, (पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर : 2000)

सिंह, अरुण कुमार : शिक्षा में शोध विधियाँ (नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगला रोड, दिल्ली संस्करण, 2006)

सिंह, चेतनचन्द्र : क्या अपराध है औरत होना? (प्रकाशन ग्रंथ, विकास जयपुर 2009)

सिंह, राजबाला : मानवाधिकार और महिलाएं, (सुधा प्रकाशन, मेरठ, 2011)

●

jk"Vh; vkUnksyu ds nkSjku iwokZapy esa jktuhfrd psruk dk izlkj

inhi dqekj ;kno*

किसी भी समाज की अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। यह पृष्ठभूमि ही उस विशेष क्षेत्र में विचार विशेष को सशक्त या कमजोर करती है। राजनीतिक चेतना उसी पृष्ठभूमि का परिणाम है। यह बात न केवल पूर्वांचल के सन्दर्भ में सही है, बल्कि इसको पूरे विश्व के सन्दर्भ में देखा एवं समझा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में पूर्वी उत्तर प्रदेश/पूर्वांचल का विशिष्टि स्थान रहा है। गंगा, घाघरा, राप्ती आदि नदियों द्वारा सिंचित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही बलिदान, शौर्य, कला–कौशल और अपनी संस्कृति के लिए विश्वविख्यात रहा है। वैदिक काल से ही इस क्षेत्र में स्थित वाराणसी धर्म, कला एवं शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उद्भव एवं विकास से वाराणसी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से सदैव जुड़ा रहा, तथा मिर्जापुर देश का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहा है। अतः दीर्घकाल से इस क्षेत्र में कला, उद्योग, धर्म एवं संस्कृति का यह अद्भुत सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार की स्थापना के बाद सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीतियों के कारण विखर गया।

भारत में अंग्रेजी सम्राज्य की स्थापना के बाद पहली राजनीतिक घटना पूर्वांचल में 1778 ई0 में दिखाई पड़ती है। जब अंग्रेज अधिकारी कर्नल हैनी के शोषण के खिलाफ गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में विद्रोह हुए।[1]

इस विद्रोह में जमींदारों एवं किसानों दोनों ने मिलकर संघर्ष किया और गोरखपुर, डुमरियागंज आदि स्थानों पर किसानों ने अधिकार कर लिया, लेकिन अन्ततः इस विद्रोह का अंगेजी सरकार द्वारा कठोरता से दमन कर दिया गया। इस सर्वप्रमुख घटना के बाद छोटी–मोटी घटनाएँ होती रही, लेकिन राजनीतिक चेतना की पराकाष्ठा हमें 1857 ई0 में विद्रोह के समय दिखाई पड़ती है। जब पूर्वांचल के अधिकांश जिले में विद्रोह की आग फैल जाती है।[2]

1857 ई0 के क्रान्ति के नायक मंगल पाण्डेय पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर (बलिया) के निवासी थे। 29 मार्च 1857 ई0 को जब मंगल पाण्डेय के विद्रोह का

---

* शोध छात्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

समाचार जब पूर्वांचल में फैलता है, तो पूरे पूर्वांचल में विद्रोह की लहर दौड़ जाती है और इसका पहला गवाह वाराणसी बनता है।[3] वाराणसी में हुए विद्रोह की खबर आस–पास के जिले में फैलती है, जिसके कारण 5 जून को जौनपुर, 10 जून को अदवन्त सिंह के नेतृत्व में मीरजापुर/भदोही में, फैजाबाद में, गोरखपुर एवं बस्ती में 8 जून को। इसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर में भी विद्रोह की लपटे फैल जाती है। लेकिन विद्रोह को अन्ततः दबा दिया गया।[4]

अंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण पाश्चात्य शिक्षा एवं धर्म सुधार आन्दोलनों का भी प्रभाव भारत पर पड़ा। जिससे भारत में समाजिक सुधार के लिए भी प्रयत्न शुरू हुए। जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश भी अछुता नहीं रहा। 1875 ई0 में आर्य समाज की स्थापना के बाद आर्य समाज की शाखाएँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में स्थापित हुई। सुरेन्द्र नाथ वनर्जी ने 'इण्डियन ऐशोसिएशन' की स्थापना के बाद वाराणसी का दौरा किया तथा अपनी संस्था का प्रचार–प्रसार किया।[5]

1887 में कालाकांकर (प्रतापगढ़) के राजा रामपाल सिंह के प्रयत्नों से कालाकांकर में हिन्दुस्तान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मदनमोहन मालवीय के सम्पादन में प्रकाशित हुआ। तत्कालीन समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रान्तीय समस्याओं पर निडर एवं निष्पक्ष लेखों के कारण हिन्दुस्तान समाचार पत्र काफी लोकप्रिय हुआ।[6]

लार्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन को अखिल भारतीय समस्या बना दिया। बंगाल विभाजन का संयुक्त प्रान्त में भी विरोध किया गया।[7] वाराणसी में बंगालियों की संख्या अधिक होने के कारण इसका तीव्र विरोध हुआ। अक्टूबर 1906 में तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चन्द पाल ने संयुक्त प्रान्त का दौरा किया, जिसके कारण बंग–भंग आन्दोलन का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ।

अनेक स्थानों पर स्वदेशी औद्योगिक केन्द्र खोलने का प्रयास मदनमोहन मालवीय ने किया। गोरखपुर, वाराणसी एवं आजमगढ़ जिलों के गाँवों मे सार्वजनिक सभाओं का गठन हुआ। जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं एवं शिक्षा का प्रसार करना तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था।[8]

प्रथम विश्व युद्ध के समय पूर्वांचल में वाराणसी क्रान्तिकारी गतिविधियों का केन्द्र बना। वाराणसी में बंगालियों की संख्या अधिक होने के कारण बंगाल में चल रहे, क्रान्तिकारी आन्दोलन का उस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वाराणसी में बढ़ती हुई क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण बहुत से व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर सजा दी गई।[9]

सितम्बर 1916 में श्रीमती एनी वेसेन्ट ने ''अखिल भारतीय होम रुल लीग'' की स्थापना की जिसकी शाखाएँ पूर्वांचल के प्रायः सभी जिलों में स्थापित हुई।

गाँधी जी की भारतीय राजनीति में प्रवेश के साथ ही पूर्वांचल में राजनीतिक चेतना का प्रसार तेजी के साथ हुआ यह बात रौलेट ऐक्ट, जालियाँवाला बाग हत्या काण्ड तथा खिलाफत आन्दोलन सभी में देखने को मिलता है। जनता ने गाँधी जी के समर्थन में उपवास एवं भूख हड़ताल किए।[10]

असहयोग आन्दोलन के समय गाँधी जी एवं वाराणसी का दौरा किया तथा यहाँ के लोगों को जागरूक किया। वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा हेतु स्थापित काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी की। विश्व विद्यालय के विद्यार्थी गाँव–गाँव घुमकर लोगों को जागरूक करते थे। इसमें काशी वि0वि0 के विद्यार्थियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्ततः पूर्वांचल के चौरी–चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसा के कारण 5 फरवरी 1922 को आन्दोलन वापस लेना पड़ा। असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के बाद वाराणसी में क्रान्तिकारी गतिविधियों में तेजी के साथ प्रसार हुआ वाराणसी केन्द्र से जुड़े हुए क्रान्तिकारीयों में शचीन्द्र नाथ सान्याल, चन्द्रशेखर आजाद आदि प्रसिद्ध क्रान्तिकारी थे।[11]

20वीं शताब्दी में किसान आन्दोलन का भी तेजी के साथ उद्भव एवं विकास हुआ। इसमें कम्युनिष्ट नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने किसानों एवं मजदूर के बीच काफी संघर्ष किया।[12] अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापकों में से एक स्वामी सहजानन्द इसी पूर्वांचल के गाजीपुर जिले से जुड़े हुए थे। अतः पूर्वांचल में किसानों में भी राजनीतिक चेतना का तेजी से प्रसार हुआ।[13]

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय यह क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था यहाँ पर बलिया में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का भी गठन हुआ, तथा कुछ समय के लिए अंग्रेजी सरकार यहाँ पर अपना नियंत्रण खो चुकी थी।[14] इस क्षेत्र का यह जुझारू संघर्ष आजादी तक किसी न किसी रुप में चलता रहा।

अतः पूर्वांचल में राजनीतिक चेतना के प्रसार का यदि हम विश्लेषण करें तो निम्न तत्थ उभर कर आते हैं।

पूर्वांचल की भौगालिक संरचना को यदि देखे तो यह क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। अतः सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता के कारण यहाँ जनसंख्या की बसावट काफी घनी है। अतः संसाधनों की अधिकता के कारण यहाँ पर इन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए सदैव ही संघर्ष होते रहे अतः राजनीतिक चेतना स्वाभाविक रुप से ऊँची रही।

सामाजिक रूप से वर्गों एवं जातियों में विभाजित पूर्वांचल विषमता मूलक समाज रहा है, यहाँ पर सामाजिक रुप से उच्च जातियाँ एवं वर्ग आर्थिक रुप से भी सम्पन्न रही है। अतः निम्न जातियों असंतोष का प्रस्फुटन समय–समय पर होता रहा है। समाज की उच्च जातिया जहाँ भूमिधारी थी वहीं निम्न जातियाँ भूमिहीन अतः दोनो के बीच का संघर्ष राजनीतिक रुप से उस क्षेत्र को सदैव उर्वर बनाए रखा।

बौद्ध एवं जैन धर्म की कर्मस्थली होने के कारण यह क्षेत्र धार्मिक कट्टरता एवं कर्मकाण्डीय क्रिया कलापों का विरोधी था, अतः उदारवादी राजनीति के लिए यहाँ सदैव से ही स्थान रिक्त रहा अतः सभी तरह के धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलनों को मजबूती प्रदान करने में यह क्षेत्र अग्रणी रहा है।

वाराणसी प्राचीन काल से धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सफल रहा यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म तीनों धर्मों का केन्द्र था। अतः बनारस में आकर बसने वाले लोगों में सभी जाति, धर्म सम्प्रदाय के लोग थे अतः इसकी पहचान बहुलवादी समाज वाले शहर के रुप में रही। यहाँ पर आकर बसने वाले लोगों द्वारा अपने साथ अलग–अलग विचार धाराएँ, मान्यताएँ लेकर आए जो वाराणसी को प्रभावित किया एवं प्रभावित हुए। वाराणसी का प्रभाव पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलता है।

पूर्वांचल कृषि प्रधान क्षेत्र है अतः उद्योग धन्धों एवं अन्य व्यापारिक क्रिया कलाप छोटे–मोटे स्तर पर होते रहे लेकिन व्यापक स्तर पर कृषि ही महत्वपूर्ण जीविकोपार्जन का साधन थी, अतः कृषि पर निर्भरता के कारण भूमि पर सदैव एक तरह का दबाव बना रहा जिसके कारण भूमि सम्पन्न वर्ग एवं भूमिहीन वर्ग के बीच का तनाव किसान संघर्ष के रुप में दिखाई पड़ता है। यह तनाव शुरू में कांग्रेस के नियंत्रण में मुखर हुआ वही आगे चलकर कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित हुआ। हालाँकि अधिकांश समय इसका स्वरुप अहिंसक ही रहा लेकिन कही–कही यह हिंसक स्वरुप ग्रहण कर लिया। आजादी के आस–पास पूर्वांचल में अनेक स्थान पर द्वितीय तेलंगाना बनाने का आह्वाहन कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा करते हुए दिखाई पड़ता है। इसका प्रभाव हमें राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलता है जब कि पूर्वांचल की पहचान कम्युनिस्ट गढ़ के रूप में होती है। और यह कोई संयोग नहीं है कि पूर्वांचल के कई जिले नक्सलवादी आन्दोलन से प्रभावित रहा है।

क्रान्तिकारी गतिविधियों के केन्द्र के रूप में वाराणसी का प्रमुख स्थान रहा है, हालाँकि बंगाल में उसकी तीव्रता सर्वाधिक थी लेकिन बहुत सारे बंगाली लोगों

का बनारस में बसे होने के कारण बंगाल की क्रान्तिकारी गतिविधियों का प्रभाव बनारस एवं आस–पास के क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। पूर्वांचल में क्रान्तिकारीयों द्वारा सरकारी धन को लुटने के लिए आकुँसपुर ट्रेन डकैती, नन्दगंज ट्रेन डकैती जैसी घटनाओं को अन्जाम देकर क्रान्तिकारी आन्दोलन को गति प्रदान की इसमें रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आर0एस0पी0) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में राजनीतिक चेतना का स्तर राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान उच्च स्तर का था, जिसका कारण पूर्वांचल की भौगोलिक, समाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ थी।

lUnHkZ xzUFk lwph %

1. डा0 ताराचन्द– भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग–2
2. विपिन चन्द पाल– भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन का संघर्ष, हि0मा0नि0दि0 वि0वि0, नई दिल्ली, 1990
3. सुमीत सरकार– आधुनिक भारत, राज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992
4. अयोध्या सिंह– इण्डियन फ्रीडम स्ट्रगल, मैकमिलन प्रकाशन, 1977
5. वही, पृष्ठ– 88
6. एम0 जहीर एवं जयदेव गुप्त– दि आर्गनाइजेशन आफ दि गवर्नमेण्ट आफ उ0प्र0, पृष्ठ– 26
7. वही, पृष्ठ– 88
8. गुप्तचर विभाग के अभिलेख
9. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक (गोरखपुर) सूचना विभाग उ0प्र0
10. वही, पृष्ठ– 104
11. ताराचन्द– हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेण्ट इन इण्डिया खण्ड–3, पृष्ठ–296
12. प्रोसीडिग्स आफ होम डिपार्टमेण्ट पोलेटिकल पार्ट वी सितम्बर (1909) पृष्ठ– 84
13. वही पृष्ठ– 105
14. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक सूचना विभाग उ0प्र0, पृष्ठ–85

●